न्यायालयः-अपर सेशन न्यायाधीश, झालावाड, जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन न्यायाधीश – **नरेन्द्र मीणा,** आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्याः- 123/2024

RJJW010028462024

C.I.S.NO. 240/2024

राजस्थान राज्य

-अभियोगी

बनाम

1. अब्दुल बंटी पुत्र अब्दुल हाफिस, उम्र 35 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड (राज.)

2. सैफू खां पुत्र अब्दुल हाफिस, उम्र 45 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड (राज.)

3. राजा उर्फ वसीम अहमद पुत्र अब्दुल हकीम, उम्र 32 साल, निवासी किशनपुरा आतरी, पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़, जिला झालावाड (राज.)

4. शौकत पुत्र अब्दुल हाफिस, उम्र 51 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड (राज.)

5. अब्दुल शफीक उर्फ नंदू उर्फ अब्दुल शरीफ पुत्र अब्दुल लतीफ उम्र 65 साल निवासी कांसखेड़ली,

6.अब्दुल कालू खान पुत्र अब्दुल हाफिस, उम्र 44 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड (राज.)

7. अब्दुल रउफ पुत्र अब्दुल शरीफ, उम्र 33 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड (राज.)

8. तनवीर पुत्र नजीर, उम्र 37 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड (राज.)

9. रियासत खान पुत्र अब्दुल शौकत, उम्र 23 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड (राज.)

10. कदीर पुत्र बशीर, उम्र 40 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड (राज.)

11. घीसू उर्फ सलाम पुत्र जहीर, उम्र 54 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड (राज.)

12. घासू खां पुत्र नजीर, उम्र 43 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड (राज.)

13. लियाकत पुत्र शौकत, उम्र 29 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड (राज.)
14. मोहम्मद शफीक उर्फ वजीर पुत्र मोहम्मद सुलेमान उर्फ बादशाह, उम्र 57 साल, निवासी वार्ड नं.19 रहमानिया स्कूल के पास सुकेत जिला कोटा ग्रामीण (राज.)

–अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 336, 302, 302/149 भा.द.सं. व धारा 3/25, 5/25, 3/30 आर्म्स एक्ट
(प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **107/2022** पुलिस थाना **असनावर**)

उपस्थित

1. श्री विनोद कुमार गोचर, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
2. श्री मनोज शर्मा**,** अधिवक्ता, अभियुक्त नं.1 से 2 एवं 4 से 7 व 9 व 10 एवं 12 से 14 की ओर से।
3. श्री रामबिलास राठौर**,** अधिवक्ता, अभियुक्त नं.8,11 की ओर से।
4. श्री धीरजसिंह झाला, अधिवक्ता, अभियुक्त नं. 3 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 28.04.2026**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी जुगलकिशोर मीणा पुत्र नंदकिशोर मीणा निवासी मकान नं० 467 शिवगर आनंद नगर साहू आटा चक्की के पास भोपाल ने दिनांक 02.06.2022 को अस्पताल असनावर मे एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि कमलकिशोर पुत्र नंदकिशोर उसका भाई है जो मछली ठेकेदार व्यापारी मुख्तार मलिक निवासी भोपाल के यहां झालावाड डेम पर मछली व डेम की चौकीदारी का काम करता था और करीब 7-8 दिन पहले कमलकिशोर डेम पर काम करने के लिये मुख्तार मलिक के पास कालीसिंध डेम पर झालावाड आया हुआ था। मुख्तार के भीमसागर डेम का भी मछली पकडने का ठेका है। दिनांक 31.05.2022 को रात को मुख्तार मलिक के साथ उसका भाई कमलकिशोर और

सफीक मोहम्मद रीछवा, शकील मोहम्मद रीछवा, सलमान रीछवा, विजयकुमार रीछवा, अखलाक खां, गोविंदा एम०पी०, सोयब हुसैन झालावाड तथा 2-3 और भी आदमी नाव से भीमसागर डेम की चौकीदारी और निगरानी के लिये गये थे। आज गई रात को करीब 1-2 बजे कांसखेडली गांव के पास पानी में पहुंचे कि उनके वहाँ पहुँचते ही, वहा पहले से घात लगाकर बैठे व्यक्ति बन्टी पुत्र अब्दुल हफीज, वसीम अहमद राजा पुत्र अब्दुल हकीम और उनके साथ के 8-10 अन्य लोगो ने मुख्तार मलिक, उसके भाई कमलकिशोर और उनके साथ वालो पर पहले से पत्थर फेंकने शुरू कर दिया और फिर बन्टी वसीम की तरफ से इन लोगों ने बन्दूक से उसके भाई कमलकिशोर व उनके साथ वालो पर जान से मारने के लिये फायर किये जो बन्दूक की उसके भाई कमल किशोर के लगी जो वहीं पानी में नाव से गिर गया और कमल की वहीं मौके पर मौत हो गयी तथा और भी साथ वालो के बन्दूक की लगी एवं कमल के साथ वाले नाव से कूदकर इधर उधर भाग गये। आज दिन में उसके भाई के साथ वाले लोगो से सारी घटना का पता चला वे भी वहाँ पर पहुँचे और उसके भाई कमल किशोर की लाश को असनावर अस्पताल लेकर आए इत्यादि। इस पर पुलिस थाना **असनावर** में प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर **107/2022** धारा 147, 148, 149, 336, 302 भा.द.सं. तथा धारा 32(2)(VA) SC/ST में मुकदमा दर्जकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण अब्दुल बंटी, सेफू खां, राजा उर्फ वसीम के विरूद्ध अपराध धारा 147, 148, 149, 302, 336, 504 भा.द.सं. एवं धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं अभियुक्त शौकत के विरूद्ध अपराध धारा 147, 148, 149, 302, 336, भा.द.सं. एवं धारा 3/30 आर्म्स एक्ट तथा अभियुक्तगण अब्दुल कालू खान, तनवीर, अब्दुल रउफ के विरूद्ध अपराध धारा 147, 148, 149, 302, 336, भा.द.सं. एवं अभियुक्तगण रियासत, कदीर, घीसू, शफीक उर्फ नंदू, शरीफ खान, शफीक उर्फ वजीर के विरूद्ध अनुसंधान लंबित रखते हुए धारा 173 (8) द.प्र.सं. मे आरोप-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा यह प्रकरण अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा

अन्वीक्षा योग्य होने से प्रकरण माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड़ को विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्रेषित किए जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. दिनांक 07.01.2023 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त **1. अब्दुल बंटी, 2. राजा उर्फ वसीम अहमद 3. सैफु खां** को धारा 147, 148, 336, 302 या 302/149 भा.द.सं. व धारा **3/25** आर्म्स एक्ट, 4. **शौकत** को धारा 147, 148, 336, 302 या 302/149 भा.द.सं. व धारा **3/30** आर्म्स एक्ट, 5**. तनवीर, 6. अब्दुल कालू खान, 7. अब्दुल रऊफ** को धारा 147, 148, 336, 302 या 302/149 भा.द.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्तगण ने आरोप को सुन समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. दिनांक 03.05.2024 को अभियुक्तगण अब्दुल शफीक उर्फ नंदू उर्फ अब्दुल शरीफ, रियासत खान, कदीर, घीसू उर्फ सलाम, घीसू, लियाकत, शरीफ पुत्र लतीफ के विरूद्व अपराध धारा 147, 148, 149, 302, 302, 336 भा.द.सं. एवं अभियुक्त मोहम्मद शफीक उर्फ वजीर के विरूद्व अपराध धारा 5/25 आर्म्स एक्ट में एवं अभियुक्त शरीफ पुत्र अब्दुल मजीद के विरूद्व फौती में संपूर्ण आरोप-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा यह प्रकरण अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा योग्य होने से प्रकरण माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड़ को विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्रेषित किया गया। उक्त अभियुक्तगण की बहस चार्ज की स्टेज पर उक्त प्रकरण माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय, द्वारा माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय, एन.डी.पी.एस. प्रकरण न्यायालय में विधिवत निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

4. दिनांक 07.08.2024 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त 1. **कदीर 2. रियासत खान, 3. घीसू उर्फ सलाम, 4. घासू खां, 5. लियाकत** को धारा 147 व 148, 336, 302 या 302/149 भा.द.सं. **6. अब्दुल शफीक उर्फ नंदू उर्फ अब्दुल शरीफ** को धारा 147 व 148, 336, 302 या 302/ 149 भा.द.सं., एवं धारा 3/30 आर्म्स एक्ट 7**. मोहम्मद शफीक उर्फ वजीर** को धारा **5/25** आर्म्स एक्ट के आरोप पृथक से

विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्तगण ने आरोप को सुन समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. कालान्तर में साक्ष्य अभियोजन की स्टेज पर उक्त प्रकरण माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय झालावाड़ के आदेश दिनांक 04.10.2024 से यह प्रकरण विधिवत निस्तारण हेतु माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय, एन.डी.पी.एस. प्रकरण झालावाड़ के न्यायालय से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

6. **अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य**

क्र.सं.	साक्षी क्रम	साक्षी का नाम
1	पी.डबल्यू. 01	जुगल किशोर
2	पी.डबल्यू. 02	मोहम्मद अनीस
3	पी.डबल्यू. 03	संतोष
4	पी.डबल्यू. 04	डॉ. लविश पाटीदार
5	पी.डबल्यू 04	डॉ. लविश पाटीदार **पुनः**
6	पी.डबल्यू 05	डॉ. अंकुश माहेश्वरी
7	पी.डबल्यू 06	शकील मोहम्मद
8	पी.डबल्यू 07	बसंत मीणा
9	पी.डबल्यू 08	रवि
10	पी.डबल्यू 09	बालचंद
11	पी.डबल्यू 10	शफीक मोहम्मद
12	पी.डबल्यू 11	सलमान
13	पी.डबल्यू 12	विजय कुमार
14	पी.डबल्यू 13	ब्रजराज
15	पी.डबल्यू 14	महेन्द्र कुमार
16	पी.डबल्यू 15	परमानंद
17	पी.डबल्यू 16	हरवंत सिंह
18	पी.डबल्यू 17	डॉ. रमाकान्त शर्मा
19	पी.डबल्यू 18	सत्यनारायण शर्मा
20	पी.डबल्यू 19	डॉ. हुकमचंद मीणा
21	पी.डबल्यू 20	डॉ. मस्तराम मीणा
22	पी.डबल्यू 21	श्रवण कुमार

23	पी.डबल्यू 22	शीबा मलिक
24	पी.डबल्यू 23	सबा
25	पी.डबल्यू 24	फरा मलिक
26	पी.डबल्यू 25	बाबर
27	पी.डबल्यू 26	मोहम्मद सादिक
28	पी.डबल्यू 27	नीरज शर्मा
29	पी.डबल्यू 28	राजकुमार
30	पी.डबल्यू 29	आरिफ गौरी
31	पी.डबल्यू 30	शब्बीर हुसैन
32	पी.डबल्यू 31	बृजमोहन
33	पी.डबल्यू 32	सियाराम
34	पी.डबल्यू 33	रामभरोस
35	पी.डबल्यू 33	रामभरोस **पुनः**
36	पी.डबल्यू 34	गिरधरसिंह
37	पी.डबल्यू 35	राजेन्द्रसिंह
38	पी.डबल्यू 36	ललित कुमार
39	पी.डबल्यू 37	दलीप कुमार
40	पी.डबल्यू 38	योगेन्द्र
41	पी.डबल्यू 39	लालचंद
42	पी.डबल्यू 40	तेजकरण
43	पी.डबल्यू 41	मोहम्मद इरशाद
44	पी.डबल्यू 42	अखलाक
45	पी.डबल्यू 43	दिनेश कुमार सुमन
46	पी.डबल्यू 44	चक्रवती सिंह

7. **अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य**

क्र.सं.	प्रदर्श	नाम दस्तावेजात
1	प्रदर्श पी- 01	तहरीरी रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी- 02	फर्द फोटोग्राफी लाश मृतक कमल किशोर
3	प्रदर्श पी- 03	फर्द जप्ती शर्ट लाश मृतक कमल किशोर
4	प्रदर्श पी- 04	फर्द पंचा. लाश मृतक कमल किशोर

5	प्रदर्श पी- 05	फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक कमल किशोर
6	प्रदर्श पी- 06	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक कमल किशोर
7	प्रदर्श पी- 07	एक्स रे रिपोर्ट मृतक कमल किशोर
8	प्रदर्श पी- 08	एक्स रे प्लेट मृतक कमल किशोर
9	पुनः प्रदर्श पी- 08	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक मुख्तार मलिक
10	पुनः प्रदर्श पी- 09	एफ.एस.एल. रिपोर्ट
11	प्रदर्श पी- 10	एफ.एस.एल. रिपोर्ट
12	प्रदर्श पी- 11	एफ.एस.एल. रिपोर्ट
13	प्रदर्श पी- 12	फर्द निरीक्षण घटना स्थल
14	प्रदर्श पी- 13	पुलिस बयान गवाह ब्रजराज
15	प्रदर्श पी- 14	फर्द तस्दीक घटना स्थल
16	प्रदर्श पी- 15	फर्द तस्दीक घटना स्थल
17	प्रदर्श पी-16	तहरीर स्वतंत्र गवाह हेतु
18	प्रदर्श पी- 17	फर्द जप्ती एवं बरामदगी एक नाली बंदूक
19	प्रदर्श पी- 18	नक्शा मौका
20	प्रदर्श पी-19	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त अब्दुल बंटी
21	प्रदर्श पी- 20	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त अब्दुल कालू खान
22	प्रदर्श पी-21	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त शौकत
23	प्रदर्श पी-22	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त शैफू खां
24	प्रदर्श पी-23	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त अब्दुल रउफ
25	प्रदर्श पी-24	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त तनवीर
26	प्रदर्श पी-25	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त राजा उर्फ वसीम
27	प्रदर्श पी-26	फर्द जप्ती एवं बरामदगी एक नाली बंदूकटोपीदार, एक देशी कट्टा, बारूद्व, टोपियां, छर्रे
28	प्रदर्श पी-27	नक्शा मौका बरामदगीस्थल
29	प्रदर्श पी-28	फर्द जप्ती एवं बरामदगी एक बंदूक का टूटा हुआ पीछे का हिस्सा, भरे तथा खाली कारतूस
30	प्रदर्श पी-29	नक्शा मौका बरामदगीस्थल
31	प्रदर्श पी-30	फर्द जप्ती एवं बरामदगी दो नाली बंदूक बारूद से भरी हुई थैली
32	प्रदर्श पी-31	नक्शा मौका बरामदगीस्थल

33	प्रदर्श पी-32	चाकशुदा प्रथम सूचना रिपोर्ट
34	प्रदर्श पी-33	पर्चा बयान
35	प्रदर्श पी-34	फर्द पंचनामा लाश मृतक मुख्तार मलिक
36	प्रदर्श पी-35	फर्द फोटोग्राफी लाश मृतक मुख्तार मलिक
37	प्रदर्श पी-36	फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक मुख्तार मलिक
38	प्रदर्श पी-37	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त रियासत खान
39	प्रदर्श पी-38	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त कदीर
40	प्रदर्श पी-39	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त घीसू उर्फ सलाम
41	प्रदर्श पी-40	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त घीसू पुत्र नजीर
42	प्रदर्श पी-41	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त लियाकत
43	प्रदर्श पी-42	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त अब्दुल शफीक उर्फ नंदू उर्फ अब्दुल शरीफ
44	प्रदर्श पी-43	फर्द जप्ती एक एन्ड्रायड मोबाईल वीवी
45	प्रदर्श पी-44	फर्द जप्ती एक कीपेड मोबाईल
46	प्रदर्श पी-45	फर्द जप्ती एक कीपेड मोबाईल नोकिया
47	प्रदर्श पी-46	फर्द जप्ती एक एन्ड्रायड मोबाईल वीवी
48	प्रदर्श पी-47	फर्द जप्ती एक कीपेड मोबाईल नोकिया
49	प्रदर्श पी-48	नक्शा मौका बरामदगीस्थल
50	प्रदर्श पी-49	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त शफिक उर्फ वजीर
51	प्रदर्श पी-50	जाति प्रमाण-पत्र
52	प्रदर्श पी-51	पुलिस बयान गवाह आरिफ गौरी
53	प्रदर्श पी-52	पुलिस बयान गवाह शब्बीर
54	प्रदर्श पी-53	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि.
55	प्रदर्श पी-54	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि.
56	प्रदर्श पी-55	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि.
57	प्रदर्श पी-56	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि.
58	प्रदर्श पी-57	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि.
59	प्रदर्श पी-58	फर्द तस्दीक बेचानस्थल नक्शा मौका
60	प्रदर्श पी-59	नक्शा मौका
61	प्रदर्श पी-60	नक्शा मौका
62	प्रदर्श पी-61	अनुज्ञा पत्र

63	प्रदर्श पी-62	एफ.एस.एल. रिपोर्ट
64	प्रदर्श पी-63	एफ.एस.एल. रिपोर्ट
65	प्रदर्श पी-64	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि.
66	प्रदर्श पी-65	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि.
67	प्रदर्श पी-66	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि.
68	प्रदर्श पी-67	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि.
69	प्रदर्श पी-68	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि.
70	प्रदर्श पी-69	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि.
71	प्रदर्श पी-70	मालखाना रजिस्टर
72	प्रदर्श पी-70ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
73	प्रदर्श पी-71	अग्रेषण पत्र थानाधिकारी
74	प्रदर्श पी-72	अग्रेषण पत्र पुलिस अधीक्षक
75	प्रदर्श पी-73	प्राप्ती रसीद
76	प्रदर्श पी-74	आरमोर्रर की रिपोर्ट
77	प्रदर्श पी-75	अग्रेषण पत्र थानाधिकारी
78	प्रदर्श पी-76	अग्रेषण पत्र पुलिस अधीक्षक
79	प्रदर्श पी-77	प्राप्ती रसीद
80	प्रदर्श पी-78	अग्रेषण पत्र थानाधिकारी
81	प्रदर्श पी-79	अग्रेषण पत्र पुलिस अधीक्षक
82	प्रदर्श पी-80	प्राप्ती रसीद
83	प्रदर्श पी-81	पुलिस बयान गवाह अखलाक
84	प्रदर्श पी-82	अभियोजन स्वीकृति
85	प्रदर्श पी-85	अग्रेषण पत्र पुलिस अधीक्षक
86	प्रदर्श पी-86	अग्रेषण पत्र पुलिस अधीक्षक
87	प्रदर्श पी-87	प्राप्ती रसीद
88	प्रदर्श पी-88	प्राप्ती रसीद
89	प्रदर्श पी-89	मृत्यु प्रमाण पत्र अब्दुल शरीफ
90	प्रदर्श पी-90	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि.
91	प्रदर्श पी-91	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र शकील
92	प्रदर्शपी-92 से 94	एक्स रे प्लेट व कवर नोट

8. साक्ष्य अभियोजन के समापन पर अभियुक्तगण का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. किया गया, अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों को गलत होना बताते हुए स्वयं का निर्दोष होना व झूठा फंसाए जाने का कथन किया तथा प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करना चाहा, प्रतिरक्षा साक्ष्य में डी.ड.1 अब्दुल शरीफ के बयान लेखबद्व किए गए। दौराने साक्ष्य अभियोजन अभियुक्तगण की ओर से पुलिस बयान शफीक मोहम्मद प्रदर्श डी 01 एवं लाईसेंस की फोटो प्रति प्रदर्श डी 2ए को प्रदर्शित कराए गए।

9. बहस अन्तिम सुनी गयी।

10. दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक का यह तर्क रहा है कि प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है तथा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

11. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क यह रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई आपराधिक घटना कारित नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष की कहानी प्रथम दृष्टया ही झूंठी है। यह झूंठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। अतः अभियुक्तगण को सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने बहस अन्तिम दिए गए तर्कों एवं उनपर न्यायालय का विश्लेषण एवं विवेचन निर्णय की अग्रिम पंक्तियों में किया जाएगा।

12. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किए गए-

(1)- 2003 (2) Cr.L.R. **(Raj.) पेज 1263** poona Ram **&** Ors. Versus State of Rajasthan

(2)- (2011) 2 Supreme Court Cases **(Cri.) पेज 915** A.SHANKAR Versus STATE OF KARNATAKA

(3)- 2016(1) Cr.L.R.**(Raj) पेज 521** Aladdin **&** Anr. Versus State of Rajasthan

(4)- 2025 Cr.L.R.(SC) **पेज 120** Wadla Bheemaraidu Versus State of Telangans

(5)- 1993 Cr.L.R. (Raj.) **पेज 390** pooran & Ors. Versus The State of Rajasthan

(6)- 1983 Supreme Court Cases (Cri) **पेज 387** KORA GHASI Versus STATE OF ORISSA

(7)- RCC, March **1989 पेज 158** Heera Lal Vs. The State of Rajasthan

(8)- (2025) 1 Supreme Court Cases (Cri.) **पेज 147** ALLARAKHA HABIB MEMON AND OTHERS Versus STATE OF GUJARAT

(9)- 2003 Supreme Court Cases (Cri.) **पेज 751** RAJEEVAN AND ANOTHER Versus STATE OF KERALA

13. उक्त न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

14. उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

15. हस्तगत प्रकरण के निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न हुआ हैः-

> **क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 01.06.2022 को रात्रि को 1.00 या 2.00 ए.एम पर अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर, जो संख्या में पांच या उससे अधिक थे, मोजा कासखेड़ली गाँव में सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घातक हथियारों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर बल व हिंसा का प्रयोग का बलवा कारित किया तथा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में परिवादी जुगलकिशोर का भाई कमलकिशोर जो कि मछली ठेकेदार मुख्तार मलिक के साथ काम करता था मछली ठेकेदार व उसके अन्य साथीगण के साथ नाव में बैठकर चौकीदारी एवं निगरानी कर रहे थे उस समय परिवादी के भाई एवं उसके साथियों पर उपेक्षा व उतावलेपूर्ण ढ़ग से पथराव कर मानव जीवन संकटापित किया एवं सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में परिवादी के भाई कमल किशोर पर बंदूक से फायर कर उसकी हत्या कारित कर दी। दिनांक 05.06.2022 को समय 12.25 पी.एम. पर अभियुक्त अब्दुल बंटी के चेतन्य आधिपत्य से बिना वैध अनुज्ञा पत्र के एक टोपीदार बंदूक एक नाली, एक देशी कट्टा एक नाली टोपीदार, एक थैली बारूद्व एक टिब्बी गन केप (टोपिया) व एक**

डिब्बी छर्रे बरामद किए गए एवं अभियुक्त राजा उर्फ वसीम अहमद के चेतन्य आधिपत्य से बिना वैध अनुज्ञा पत्र घटना में प्रयुक्त एक टोपीदार बंदूक दो नाली व बारूद (गन पाउडर) से भरी थैली जप्त की गई तथा अभियुक्त मोहम्मद सुलेमान द्वारा उक्त आपराधिक घटनाक्रम में उपयोग में लाए गए देशी कट्टा अभियुक्त अब्दुल बंटी को एवं कारतूस अभियुक्त सैफू को बेचान किए एवं अभियुक्त शौकत द्वारा अपनी लाईसेंसी बंदूक का आपराधिक घटना में प्रयोग कर लाईसेंस की शर्तो व नियम का उल्लंधन किया?

16. समस्त तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक मनन करने के उपरांत तथा अभिलेख पर उपलब्ध प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के गहन अवलोकन, विश्लेषण एवं विवेचन से यह प्रकट होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी कहानी के समर्थन में **कुल 44 गवाहान** के बयान लेखबद्ध करवाए गए हैं।

17. अभियोजन साक्षी **पी.ड.1 जुगल किशोर** है, जिसने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि लगभग एक साल पहले की बात है, वह उसके घर पर ही था। उसके बड़े भाई कमल किशोर मीणा की कांसली खेड़ा मे मुलजिम बंटी ने हत्या कर दी थी। उसके भाई को मारने वालो मे बंटी के साथ अन्य सात-आठ लोग भी शामिल थे। उसके भाई के साथ वालो ने ललितपुर मे सूचना दी थी और ललितपुर वालो ने उसे जरिये मोबाइल घटना के बारे में जानकारी दी थी। सूचना पाकर वह उसके परिजन के साथ थाना असनावर मे पहुंचा। जहां से पुलिस उन्हे असनावर अस्पताल लेकर गयी थी। उसे उसके भाई की लाश दिखाई जिसकी उसने उसके भाई की लाश के रूप में पहचान की थी। मृतक की लाश का पोस्टमार्टम हुआ था। उक्त घटना की हस्तलिखित रिपोर्ट उसने थाना असनावर मे पेश की थी जो प्रदर्श पी 1 है. जिस पर ए से बी दो स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके भाई की लाश की फोटोग्राफी की थी जो प्रदर्श पी 2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके भाई की शर्ट जब्त की थी जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके भाई की लाश का पंचनामा बनाया था जो प्रदर्श पी 4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उन्हे उसके भाई की लाश सुपुर्द की थी। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 5 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके भाई के चेहरे पर आंख

के नीचे चोट के निशान थे। पुलिस ने पुछताछ की थी और बयान लिए थे। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए है कि उसे घटना की जानकारी ललितपुर से उसके भाई के दोस्त ने दी थी। वे असनावर शाम 5-6 बजे पहुँच गए थे। यह सही है कि उसने घटना घटित होते नही देखी और न ही में मौके पर मौजूद था। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 पुलिस वाले ने बोली थी और उसने लिखी थी। वह असनावर में पहली बार ही आया था। यह सही है कि उसके भाई के साथ जो काम करते थे उन्हे वह पहले से नहीं जानता था। प्रदर्श पी 2 लगायत 5 पुलिस ने उसे पढ़कर नहीं सुनाई थी, उसने केवल हस्ताक्षर किए थे। उसका भाई कमल किशोर लड़ाई होने से 7-8 दिन पहले भोपाल वाले मुख्तार मलिक के साथ गया था, मुख्तार मलिक भोपाल के ही है। यह सही है कि मुख्तार मलिक भोपाल के हिस्ट्रीशीटर व गैंगस्टर है, जिन पर 58-60 मुकदमे चल रहे है। मृतक कमल किशोर पहले ललितपुर मे चौकीदारी का काम करता था। यह सही है कि कमल किशोर सात-आठ दिन पहले जब आया था और जिस दिन वारदात हुई, उस बीच में उन्होने उससे किसी का लडाई-झगडा होने बाबत नही सुना। यह सही है कि मुलजिमान का नाम उसे पुलिस ने ही बताया था। वह मुलजिम बंटी को पहले से नहीं जानता। बंटी का नाम उसे वारदात के बाद पता चला था। यह सही है कि सूचना उपरांत वे असनावर शाम 5-6 बजे आए थे और उसी रात 9-10 बजे मृतक की लाश लेकर भोपाल लौट गए थे। यह सही है कि वे असनावर लगभग पांच घण्टे रूके थे। यह सही है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी-01 का ए से बी भाग दिनांक 01.06.2022 को..... गोली लगी सुनकर कहा कि गलत है उसने नहीं लिखाया। उसे फोन पर केवल लड़ाई होने के बारे में बताया था। घटना की पूरी जानकारी उसे थाने आकर मिली थी। यह सही है कि घटना की जानकारी उसे पुलिस के बताने पर मिली थी। उसकी रिपोर्ट पुलिस द्वारा बतायी जानकारी के आधार पर की गयी है। उसका भाई बारहवीं पास था और डेम की चौकीदारी का काम करता था। यह कहना गलत है कि उसके भाई की लाश ले जाने के उपरांत मृत्तक मुख्तार मलिक का परिवार उसके संपर्क मे हो।

18. **पी.ड.2 मोहम्मद अनीस** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि लगभग 6-7 साल पहले की बात है। उसे भोपाल से बंसत मीणा जी असनावर अस्पताल लेकर आए थे जहां पर पुलिस ने उसके समक्ष कमल किशोर की लाश की फोटोग्राफी की थी। फर्द फोटोग्राफी प्रदर्श पी 2 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष मृत्तक कमल किशोर की शर्ट जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 3 जब्त की थी, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने कमल किशोर की लाश का पंचनामा फर्द प्रदर्श पी 4 बनाया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने मृत्तक कमल किशोर की लाश उसके भाई जुगलकिशोर को जरिये फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी 5 सुपुर्द किया था, जिस पर भी उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए है कि पुलिस ने उसे फर्दोत प्रदर्श पी-02 लगायत 5 की लिखा पढ़ी पढ़कर नहीं सुनाई थी।

19. **पी.ड.3 संतोष** ने मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि लगभग सालभर पहले की बात है। पुलिस ने कमल किशोर की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी-04 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए है कि यह सही है कि पुलिस ने उसे प्रदर्श पी-04 पढ़कर नहीं सुनाया।

20. **पी.ड.4 डॉ. लविश पाटीदार** ने मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि वह दिनांक 01.06.2022 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र असनावर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस प्रतिवेदन पर कमल किशोर पुत्र नन्दकिशोर का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के दो डॉक्टरो द्वारा किया गया जिसमे वह भी शामिल था। पोस्टमार्टम मे पाया कि मृत्यु 24 घंटे के भीतर हुई थी उसके चेहरे की बायी तरफ कटा हुआ घाव था जो कि 1x0.5x0.5 सेन्टीमीटर का था। शरीर की समस्त मेंबरेन कंजेस्टैंड थी और फेफडो को खोलने पर उनके एल्वालाई मे पानी भरा पाया गया था। शरीर के बाकी समस्त लक्षण साधारण अवस्था में पाये गये। दौराने पोस्टमार्टम मैटेलिक फाईडिंग के लिए शरीर का एक्स-रे कराया गया था। बाद एक्स-रे शरीर मे कोई भी मैटेलिक बीज नहीं पायी गयी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 है

जिस पर ए से बी बोर्ड की राय है तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। मृतक का सिर व पसलियो का एक्स-रे कराया गया था जो प्रदर्श पी 07 है जिस पर ए से बी बोर्ड की राय है व सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। एक्स-रे फिल्म शामिल पत्रावली है, जो क्रमशः प्रदर्श पी 08, 09, 10 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए है कि यह सही है कि मृतक की मृत्यु पानी में डूबने से हुयी थी। यह सही है कि मृतक के शरीर पर सिर्फ एक चोट थी जो साधारण प्रकृति की थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 07 के अनुसार मृतक के शरीर में कोई मैटेलिक फाईडिंग नहीं आयी थी। यह कहना सही है कि मृतक के शरीर पर कोई फायर आर्म्स / गनशोट इंजरी नहीं थी। यह कहना सही है कि मृतक को तैरना नहीं आता हो और वह पानी में गिर गया हो उस कारण मृत्यु संभव है।

21. **पुनः पी.ड.4 डॉ. लविश पाटीदार** ने मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि दिनांक 01.06.2022 को सी.एच.सी. असनावर पर चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना असनवार के प्रतिवेदन पर मजरूब शकील मोहम्मद पुत्र उस्मान मोहम्मद के शरीर पर आयी चोटो का उसके द्वारा मेडिकल मुआयना किया था। जिसके चोट संख्या 01- कुचला हुआ 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 सेमी दाए आर्म पर चोट संख्या 02- सूजन विद एब्रेशन 1 गुणा 0.5 सेमी सीधे हाथ के अगूठे पर। सभी चोटे कुंद हथियार से कारित थी। चोट संख्या 02 साधारण प्रकृति की थी। चोट संख्या 01 की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे की राय दी गयी थी। बाद एक्सरे चोट संख्या 01 भी साधारण प्रकृति की पायी गयी थी। चोटो की अवधि 24 घण्टे के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 91 है जिस पर ए से बी मजरूब का पहचान चिह्न अंकित है, सी से डी बाद एक्सरे उसकी राय अंकित है, ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 92 व 93 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 94 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी राय अंकित है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए है कि यह कहना सही है कि एक्स रे रिपोर्ट पर अस्पताल में मरीज का नाम अंकित नहीं है। एक्सरे के लिए पुलिस केस वाले मामले

में सामान्य परिस्थितियों में एडवाइज किया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 91 पर जी से एच दो स्थान पर सिम्पल लिखा हुआ है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 94 पर एक्सरे लिये जाने व एक्सरे के ऑपिनियन का एक्जेक्ट समय अंकित नहीं है। यह कहना भी सही है कि प्रदर्श पी 94 पर रेडियोग्राफर के हस्ताक्षर व सील अंकित नहीं है अजखुद कहा कि रेडियोग्राफर की सील नहीं होती है। यह कहना सही है कि दोनो चोटे एक ही हाथ पर थी। यह कहना सही है कि दोनो चोटे सामान्य चोटें हो जिसमे यदि कोई व्यक्ति हाथ के बल गिर जाये तो भी आ सकती है। यह कहना सही है कि दिनांक 23.08.2024 को इस प्रकरण में न्यायालय मे उसके बयान पीडब्ल्यू-04 की हैसियत से हो चुके है।

22. **पी.ड.5 डॉ. अंकुश माहेश्वरी** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 03.06.2022 को एस.आर.जी.एच. मे चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन पुलिस प्रतिवेदन पर डॉ. रमाकांत वर्मा की अध्यक्षता मे गठित बोर्ड मे वह और डॉ हुकमचंद मीणा सदस्य थे उन्होने मृतक मुख्तार मलिक पुत्र मुस्तफीर उल्ला निवासी भोपाल का पोस्टमार्टम किया था जिसमे प्रथम दृष्टया मृत्यु का संभावित कारण कई दिनो तक भूखे, प्यासे रहने के कारण होना पाया गया था जिसे सत्यापित करने हेतु उन्होने शरीर के विभिन्न अंगो से सैम्पल ई से एफ सीलबद्ध करके एफ.एस.एल. भेजे जिनकी रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम में समानता पायी गयी। बोर्ड ने अपनी राय में पाया था कि मृतक के शरीर पर किसी भी धारदार हथियार से चोट कारित नहीं की गयी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 08 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा सी से डी उनकी राय अंकित है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 लगायत पी 11 है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए है कि यह कहना सही है कि मृतक के शरीर पर जो भी चोटे थी, वह गिरने पडने से आना संभव है। यह कहना सही है कि मृतक के शरीर पर कोई भी फायर आर्म इन्जरी नहीं थी। यह कहना सही है कि एफ.एस.एल. रिपोर्ट में मृतक के डाइबिटिक पेशेंट होने का जिक्र है। यह कहना सही है कि रिपोर्ट के अनुसार मृतक को किसी भी प्रकार का कोई भी जहर

अथवा केमिकल नहीं होना पाया गया था। यह कहना सही है कि पोस्टमार्टम की कार्यवाही मे उसके अलावा अन्य वरिष्ठ चिकित्सक भी शामिल थे।

23. **पी.ड.6 शकील मोहम्मद** ने मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि दिनांक 31.05.2022 की बात है, उस समय वह मुख्तार मलिक निवासी भोपाल के यहां पर मछली का काम काली सिंध डेम भंवरासा पर काम करता था। इसके बाद मुख्तार मलिक ने भीमसागर डेम पर भी मछली का ठेका ले लिया था। उन लोगो की नाव को बंटी निवासी कांसखेडली उसके घर पर ले गया था। ठेकेदार ने बंटी से फोन पर बात कर कहा कि ठेका उसने ले लिया है और वह उसकी नाव क्यो लेकर गये। इस पर बंटी ने ठेकेदार से कहा कि कांसखेडली आ जाओ और उनके अंदर दम हो तो नाव लेकर चले जाओ। इस पर वह, ठेकेदार मुख्तार मलिक, विक्की, शफीक, सलमान, ब्रजराज, विजय, आरिफ, सोहेल, अख्लाक, कमल मीणा सब मिलकर कांसखेडली गांव गये। वहां पर मुलजिमान बंटी, शौकत, शैफू, कालू, राजा और दो तीन अन्य लोग थे, जिन्होने उनके किनारे पर पहुंचने से पहले ही पत्थर फैकने चालू कर दिये। ठेकेदार मुख्तार मलिक ने उन्हे पत्थर फेकने से मना किया फिर भी यह लोग नहीं माने और फायरिंग करना शुरू कर दिया। वहां भगदड मच गयी। भगदड से नाव पानी मे डूब गयी। वे सब भी पानी मे गिर गये थे, जिससे वह तैर कर दूसरे किनारे पर निकल गये थे। पुलिस ने उसकी निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 12 जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए है कि यह उसे पता नहीं है कि अभियुक्तगण भी मछली के ठेकेदार थे या नहीं थे। वह अभियुक्तगण को पहले से नहीं जानता था। मुख्तार मलिक के साथ 7-8 लोग गये थे। यह कहना सही है कि मुलजिम बंटी नाव को उसके सामने नहीं लेकर गया था। यह कहना सही है कि मुख्तार मलिक की अब्दुल बंटी से फोन पर बात भी उसके सामने नहीं हुयी थी। यह कहना सही है कि घटना वाले दिन उन्होने पुलिस को घटना की जानकारी दी थी और उसी दिन पुलिस ने उसके बयान लिये थे। पुलिस ने बयानो पर उसके हस्ताक्षर करवाये थे। यह कहना सही है कि अभियुक्तगण के नाम उसे पुलिस ने

ही बताये थे। यह कहना सही है कि जो नाव डूबी थी, वह उसी मे था। घटना वाले दिन उसके गोली लगी थी। अजखुद कहा कि सीधे हाथ पर लगी थी। यह कहना सही है कि घटना वाले दिन पुलिस ने उसका मेडिकल मुआयना करवाया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 12 पर उसके हस्ताक्षर घटना वाले दिन ही करवा लिये थे। जब नाव डूबी तो वह तैरता हुआ दूसरी तरफ किनार पर जंगल मे चला गया था। उसके बाद वहां से वह सीधा असनावर थाने गया था। यह कहना सही है कि घटना वाले दिन जब वह असनावर थाने रिपोर्ट करने के लिये गया था, तब विक्की, शफीक, सलमान, ब्रजराज, विजय, आरिफ, सोहेल, अख्लाक उसके साथ थे। यह कहना सही है कि घटना वाले दिन विक्की, शफीक, सलमान, ब्रजराज, विजय, आरिफ, सोहेल, अख्लाक के पुलिस ने बयान लिये थे और पुलिस ने इनके हस्ताक्षर भी करवाये थे। यह कहना गलत है कि मुख्तार मलिक के साथ वे लोग आगे होकर झगडा करने के लिये गये हो। यह उसे पता नहीं है कि मुख्तार मलिक के उपर 20-30 पुराने मुकदमें चल रहे हो। यह कहना सही है कि उसे मछली के काम में एक महीना ही हुआ था और उसे इससे पहले इस काम की कोई जानकारी नहीं थी। यह कहना सही है कि वह एक महिने तक मुख्तार मलिक के साथ ही था। यह कहना सही है कि उसका खुद का ठेका नहीं है। यह कहना सही है कि उसने कभी भी ठेके बाबत कोई कागज नहीं देखे थे। यह कहना गलत है कि वे लोग डेम से मछली चोरी करते हो। यह कहना गलत है कि वास्तव में कोई घटना घटित नहीं हुयी हो और उन्होने अभियुक्तगण को रंजिशवश फंसाया हो। यह कहना सही है कि अभियुक्त बंटी ने भी उनके उपर इसी घटना का एक केस किया था। यह कहना सही है कि उस केस में विक्की, शफीक, सलमान, ब्रजराज, विजय, आरिफ, सोहेल, अखलाक सभी अभियुक्तगण है। यह कहना गलत है कि वास्तव मे वे मछली चोरी करते हो, जिस रंजिश के कारण उन्होने अभियुक्तगण को प्रकरण में झूठा फंसाया हो। यह कहना सही है कि उसका मुख्तार मलिक का कर्मचारी होने बाबत उसने पुलिस को कोई दस्तावेज नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि वह मुख्तार मलिक का कर्मचारी नहीं हो। यह कहना गलत है कि वह मुख्तार मलिक के ठेके के डेम मे

मछली चोरी करता हो। यह कहना गलत है कि मुख्तार मलिक व कमल किशोर को उसके द्वारा पानी में फेका गया हो। यह कहना गलत है कि वह प्रकरण में दिनांक 03.06.2022 को गलत गवाह बना हो। उसका ससुराल भालता है, जो रीछवा से 30 किमी की दूरी पर है। घटना करीब रात्रि 1-2 बजे की है। यह कहना सही है कि रात्रि में 1-2 बजे अंधेरा रहता है। घटना किनारे के पास की है। वह घटना वाले स्थान पर पहले नहीं गया था। यह कहना सही है कि अभियुक्तगण के मकान नदी के किनारे से कितनी दूरी पर है, यह वह नहीं बता सकता। उसने पहले बताया है कि नाव डूब गयी थी और वह पानी में तेरता हुआ गया था लेकिन यह सही है कि उसने उसके गीले कपडे पुलिस को जप्त नहीं करवाया था। वह उसकी जेब में मोबाइल और पैसे रखता है, उसने पुलिस को उसका मोबाइल जप्त करवाया था। यह कहना गलत है कि उसने कपडे इसलिये जप्त नहीं करवाये थे क्योंकि वह मौके पर था ही नही हो और उसके कपडे गीले नहीं हुये हो। यह उसे पता नही है कि मुख्तार मलिक के पास कौन-कौन से हथियार के लाईसेंस थे और कौन-कौन से नहीं थे। मुख्तार मलिक उसे 8000 रूपये महिने तनख्वाह देते थे। मुख्तार मलिक के परिवारजन को वह जानता है तथा उसका अच्छा व्यवहार था। उसे वह अच्छा रखता था और वे साथ ही पार्टी भी करते थे। यह कहना गलत है कि घटना के दिन वह उसके ससुराल भालता में था और मुख्तार मलिक के साथ उसके अच्छे संबंध होने के कारण में झूठा गवाह बना हो।

24. **पी.ड.7 बसन्त मीणा** ने मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि लगभग दो साल पहले पुलिस ने उसके समक्ष मृतक कमल किशोर की लाश का पंचनामा असनावर अस्पताल की मोर्चरी में बनाया था। फर्द लाश पंचनामा प्रदर्श पी 04 है, जिस पर जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए है कि यह कहना गलत है कि उसके हस्ताक्षर थाने पर खाली कागज पर करवाये हो। उसके हस्ताक्षर पंचानामे पर किस तारीख व समय को करवाये थे, यह उसे ध्यान नहीं है। अजखुद कहा कि 2022 का मामला है।

25. **पी.ड.8 रवि** ने मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि लगभग दो साल पहले की बात है। पुलिस ने उसके समक्ष मृतक कमल किशोर की लाश का पंचनामा असनावर अस्पताल की मोर्चरी में बनाया था। फर्द लाश पंचनामा प्रदर्श पी 04 है, जिस पर आई से जे स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 04 पर उसके हस्ताक्षर की दिनांक व समय आज उसे याद नही है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 04 पर उसके हस्ताक्षर थाने पर करवाये हो। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 04 पर क्या लिखा है, इसकी जानकारी उसे नहीं है।

26. **पी.ड.9 बालचंद** ने मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि वह दिनांक 01.06.2022 को पुलिस थाना असनावर मे ए.एस.आई. के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाने पर सूचना मिलने पर सी.एच.सी.असनावर पर पहुंचा, जहां पर फरियादी जुगल किशोर पुत्र नंदकिशोर ने एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी फरियादी जुगलकिशोर व सी से डी दो स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन मृतक कमल किशोर की लाश की फोटोग्राफी उसके स्वयं के मोबाइल द्वारा की गयी, फर्द फोटोग्राफी प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ए से बी फरियादी, सी से डी गवाहान तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। मृतक कमल किशोर की एक शर्ट फरियादी जुगल किशारे द्वारा पेश करने पर शर्ट को मौके पर सील मोहर किया गया व फर्द जप्ती मुर्तिब की गयी, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ए से बी फरियादी, सी से डी गवाह व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। मृतक कमल किशोर की लाश का पंचनामा तैयार कर फर्द पंचनामा मुर्तिब किया गया, फर्द लाश पंचनामा प्रदर्श पी 04 है, जिस पर ए से बी फरियादी, सी से डी, ई से एफ, जी से एच, आई से जे गवाहान व के से एल उसके हस्ताक्षर है। बाद पंचनामा मृतक कमल किशोर की लाश को अंतिम संस्कार हेतु उसके परिवारजन भाई जुगल किशोर को सुपुर्द की थी, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 05 है, जिस पर ए से बी जुगल किशोर, सी से डी गवाह, ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन बाद कार्यवाही वापसी थाने पर आकर उसने तहरीरी रिपोर्ट मय फर्दोत के

एस.एच.ओ. साहब के सामने प्रकरण दर्ज करने हेतु पेश किये थे। **प्रतिपरीक्षा** मे इस गवाह ने यह कथन किए है कि यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण मे उसके द्वारा कोई तफ्तीश नहीं की गयी थी। यह कहना सही है कि फरियादी जुगल किशोर भोपाल का निवासी था। यह उसकी जानकारी मे नही है कि जुगल किशोर को घटना की जानकारी किसने दी थी। यह वह नही बता सकता कि अभियुक्तगण से रंजिश रखने वाले व्यक्ति ने फरियादी को अभियुक्तगण के नाम बताये हो, जिस कारण उसने रिपोर्ट मे अभियुक्तगण के नाम का अंकन किया हो। यह कहना सही है कि लाश की फोटोग्राफी उसने उसके मोबाइल से की थी। यह कहना सही है कि फोटोग्राफी करने के लिये उसे उच्चाधिकारी से कोई तहरीर नहीं मिली थी। यह कहना गलत है कि फोटोग्राफी की कार्यवाही थाने पर की हो। अजखुद कहा कि सीएचसी असनावर में की थी। शर्ट मृतक के भाई जुगल किशोर ने लाकर पेश की थी। यह उसे याद नहीं है कि घटना के कितने दिन बाद लाश उन्हे कार्यवाही हेतु मिली थी। फोटोग्राफी, लाश सुपुर्दगी, पंचनामा की कार्यवाही के लिये वह थाने से हेमंत कानि. साथ था। यह कहना सही है कि सुपुर्दगी लाश पंचनामे की कार्यवाही में जिन्हे गवाह बनाया गया है, वह वहां पहले से ही अस्पताल में मौजूद थे। यह उसकी जानकारी में नही है कि उक्त कार्यवाही के संदर्भ में रोजनामचा रजिस्टर में जो इन्द्राज किया था वह पत्रावली पर मौजूद हो। समस्त कार्यवाही में करीब दो ढाई घण्टे का समय लगा था। यह कहना गलत है कि वह आज न्यायालय में झूठे बयान दे रहा हो।

27. **पी.ड.10 शरीफ मोहम्मद** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि लगभग दो ढाई साल पुरानी बात है। वह रीछवा का रहने वाला है। करीब 5-6 साल से वह कालीसिंध डेम पर चौकीदार का काम करता है। मुख्तार मलिक साहब ने दिल्ली वाले इरशाद भाई से ठेका लिया था, जिसमे वह चौकीदारी का काम करता था अन्य मजदूर भी काम करते थे। मजदूर मछली पैंकिग का काम करते थे और वह नदी से मछली लेकर आता था और उनकी तुलाई करवाकर पैकिंग भी करता था। महिने भर बाद मलिक साहब ने इरशाद भाई से भीम सागर डेम का भी ठेका ले लिया था।

मलिक साहब ने सभी चौकीदार जिसमे शकील, सलमान, ब्रजराज, विजय, कमल मीणा, विक्की, शोयब, आरिफ, अखलाक सभी से भीमसागर डेम पर सामान लेने जाने के लिये कहा था। इस पर सभी 11 लोग जिसमे मलिक साहब भी थे, भीम सागर डेम पर बोट लेकर गये थे। रास्ते मे बोट खराब हो गयी थी तो कमल मीणा ने उसे ठीक किया था। उसके बाद वह जो बंटी बोट लेकर गया था, उस बोट को लेने के लिये गये तो वह बोट कांसखेडली के नाले के पास खडी थी, उसके पास उनकी बोट उन्होने खडी की थी तो वहां पर बंटी, सेफू, कालू, राजा उर्फ वसीम, तनवीर, शरीफ, शौकत, घीसू व एक अन्य घीसू, लियाकत, रउफ व अन्य करीब 5-7 लोग थे, जो कि जाते ही उन पर पत्थर फेकने लगे, उन्होने जैसे ही बेट्री लगाकर देखा तो बंटी, सेफु, कालू, राजा इनके पास बंदूके थी। सैफू के गले में काला पट्टा टंगा हुआ था। सेठ मुख्तार मलिक साहब ने पत्थर फैकने के लिये मना किया था तो वह नही माने और पत्थर फेकने लगे। इतने मे ही बंटी, कालू, सैफू, राजा ने बंदूके चलायी, जिससे शकील के एक छर्रा लगा, कमल मीणा के आंख के यहां गोली लगी। भगदड होने से बोट डूब गयी थी, जिसमे 5 जने शकील, सलमान, सोयब, अखलाक और वह तो एक तरफ तेरकर किनारे पर निकले वहां से जंगल के रास्ते होते हुये सुबह करीब 6-7 बजे भीमसागर डेम पर पहुंचे, जहां पर उन्हे विजय, ब्रजराज, आरिफ मिले। वे सभी असनावर पहुंचे। भीमसागर डेम के यहां पर कमल मीणा, मुख्तार मलिक साहब और विक्की नहीं मिले। वहां पर कमल मीणा की लाश गोली लगी हुयी निकली, जिसके बाद वे असनावर थाने पर चले गये थे। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि उसके पुलिस में बयान हुये थे। यह कहना सही है कि इसी मामले में उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुयी थी, जिसका केस इसी अदालत में चल रहा है। उसने उसके पुलिस बयान में घटना से संबंधित सारी बातें बता दी थी। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी 01 है। वह अभी डेम पर ही काम करता है। यह कहना सही है कि घटना रात के 1-2 बजे की है। यह वह नहीं बता सकता कि अभियुक्तगण के मकान घटनास्थल से कितनी दूरी पर है। यह कहना सही है कि उनकी बोट पानी में डूब गयी थी और वह भी पानी में डूब गये थे और तेरकर

पानी से निकले थे। यह कहना सही है कि घटना के बाद घटनास्थल से वह उसके घर नहीं गया था बल्कि विजय के साथ असनावर थाने पर गया था। अजखुद कहा कि शकिल, सलमान, अखलाक, सोहेल और वह थाने पर गये थे। वह उसका मोबाइल आज लेकर आया है। वह मलिक साहब के यहां एक महिने से काम कर रहा था। उसे 15000 रूपये महिने तनख्वाह मिलती थी। वह मुख्तार मलिक के घरवालों को नहीं जानता है उसके और मुख्तार मलिक के कभी लडाई झगडा नहीं हुआ था। मुख्तार मलिक उसके सेठ थे। वे कालिसिंध डेम पर ही चौकीदार का काम चार पाच साल से कर रहे थे। वह और शकील है। भीमसागर डेम पर वे मलिक साहब के कहने से गये थे। यह उसे पता नहीं है कि मुख्तार मलिक के पास कौन कौन से हथियार व लाईसेंस थे। मुख्तार मलिक कहां के रहने वाले है, यह उसे पता नहीं है। यह उसकी जानकारी नहीं है कि मुख्तार मलिक के खिलाफ 55-60 मुकदमें चल रहे हो। यह भी उसकी जानकारी नहीं है कि इनके उपर मर्डर, हत्या के प्रयास व फिरौती के मुकदमें चल रहे हो। जब वह पानी में गिर गया था, उस समय उसके पास टच स्क्रिन मोबाइल था। उस मोबाइल में उसकी वहीं सिम थी, जो आज उसके पास है। उसका मोबाइल नम्बर 9799845802 है। उसका मोबाइल खराब हो गया था लेकिन उसने पुलिस को मोबाइल जप्त नहीं करवाया था। यह उसे पता नहीं कि कमल किशोर बोट में किस जगह बैठा हुआ था। घटनास्थल पर वह पहली बार गया था, वहां कितना गहरा पानी है, इसकी जानकारी उसे नहीं है। बोट पानी में डूब गयी थी। पहले लडाई झगडा शुरू हुआ था, उसके बाद बोट डूब गयी थी। उसे पता नहीं है कि उसने उस दिन कौनसे कपडे पहन रखे थे। उनके पास दो टॉर्च थी। पुलिस में उन्होने वह टॉर्च जप्त नहीं करवायी थी। अजखुद कहा कि वह डूब गयी थी। इस लडाई झगडे में किस किसके खून निकला था, यह वह नहीं बता सकता क्योंकि रात का समय था और अंधेरा हो गया था। यह उसे पता नहीं है कि वे जब थाने पर पहुंचे तब उन्होने उनके पहने हुये कपडे जप्त करवाये थे या नहीं करवाये थे। यह उसकी जानकारी नहीं है कि उस दिन घटनास्थल पर उनके साथ जो लोग मौजूद थे उन्होने किस तरह के कपडे पहन रखे थे और किस रंग के

कपडे पहन रखे थे। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी 01 का ए से बी भाग '' लेकिन..... किया।'' के बारे में पूछा कि क्या इस फायर से किसी को चोट पहुंची तो कहा कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि पानी में डूबने से कपडे गीले हो गये थे। यह कहना गलत है कि मलिक साहब के यहां नौकरी करने के कारण उनके परिवार वालों के कहने से मैं प्रकरण में झूठा गवाह बना हो। यह कहना सही है कि जब वह घटना के बाद पहली बार थाने पर गया था तब उसने पुलिस वालों को घटना की सारी जानकारी दे दी थी। यह कहना सही है कि उसी समय पुलिस वालों ने उसके बयान लेकर उसके हस्ताक्षर करवाये थे। यह कहना गलत है कि प्रथम बार मे उसने पुलिस वालों को नाव के पलटी खाने से लोगो का डूबना बताया हो। यह कहना गलत है कि घटना के तीन चार दिन बाद उसने फरियादी पक्ष से मिलकर प्रदर्श डी 01 गलत रूप से दिये हो। यह कहना सही है कि उनकी बोट खराब हो गयी थी। बोट चल नहीं रही थी। बोट में 11 लोग थे। यह कहना गलत है कि बोट में क्षमता से ज्यादा व्यक्ति बैठे थे जिससे बोट पलटी खा गयी हो। यह कहना गलत है कि बोट के पलटी खाने से लोग डूब गये हो और कुछ लोग भीम सागर डेम में डूब गये हो। यह कहना सही है कि अंधेरा होने से व्यक्ति इधर उधर निकलकर भाग गये थे। यह कहना सही है कि वे रात को असनावर थाने पर नहीं गये थे। यह कहना सही है कि जब वे सुबह थाने पर गये थे तब कांसखेडली के कुछ लोगों को बिठा रखा था। यह कहना गलत है कि थाने पर मौजूद व्यक्तियों के नाम पुलिस वालों ने ही उन्हे बताये हो। यह कहना सही है कि जो लोग थाने पर बिठा रखे थे उनके खिलाफ पुलिस ने उनसे कहा था कि रिपोर्ट दर्ज करवाओ तो उन्होने रिपोर्ट दर्ज करवाने से मना कर दिया था। यह कहना सही है कि थाने पर जो कांसखेडली के लोग बिठा रखे थे उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी थी। यह उन्हे पता नहीं है कि रिपोर्ट करवाने के लिये मृतक कमल के घरवालों को बुलाया हो और बाद में रिपोर्ट दर्ज करवायी हो। यह कहना सही है कि उनके खिलाफ धारा 307 आईपीसी का मुकदमा जिला एवं सेशन न्यायालय में चल रहा है, जिसमें उसकी जमानत भी हुयी थी। यह कहना गलत है कि

इस मुकदमे से बचने के लिये ही जो पुलिस थाना असनावर में कांसखेडली के लोगों को मुलजिम बनाया और उनके खिलाफ झूठे बयान दिये हो। यह कहना गलत है कि कमल की मृत्यु पानी में डूबने से हुयी थी। अजखुद कहा कि उसके गोली लगी थी। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि दूसरे मृतक की मृत्यु कैसे हुयी थी। अजखुद कहा कि वह तो थाने में था।

28. **पी.ड.11 सलमान** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि लगभग ढाई तीन साल पहले वह काली सिंध डेम पर चौकीदारी का काम करता था। शाम को 5-5.30 बजे डेम पर आया था। वहां पर उसे मलिक साहब मिले थे, जिन्होने बताया था कि उसने भीमसागर डेम पर मछली का ठेका ले लिया है। मलिक ने कहा था कि भीमसागर डेम पर बोट लेने के लिये जाना है। वह, मालिक, शफीक, शकिल, विजय, ब्रजराज, अखलाक सोहेल, कमल मीणा, एक अन्य व्यक्ति एम पी का था सब भीमसागर डेम पर गये थे। भीमसागर डेम पर पहुंचे थे। उन्होने उनकी बोट भीमसागर डेम में उतारी थी। वे सभी नाव में बैठकर भीमसागर डेम मे माता जी के मंदिर के पास पहुंचे थे। जब वे पहुंचे थे तब 11-11.30 पीएम बजे गये थे, जहां से उनकी बोट खराब हो गयी थी, जहां पर कमल मीणा ने बोट को ठीक किया था। वे बोट को सही करके जहां बंटी ने बोट बांध रखी थी, वे वहां पहुंचे थे। तभी बंटी ने पत्थर वगै. फेकने शुरू कर दिये थे। बंटी के साथ वहां पर सैफू, कल्लू, तनवीर, रउफ, दो घीसू, इनके अलावा 8-10 लोग थे। सभी ने पत्थर फेकने शुरू कर दिये थे। मलिक ने पत्थर फेकने के लिये मना किया था। उन्होने इन पर बेट्री लगायी तो बंटी, सैफू और राजा इन तीनो के पास बंदूके थी और सैफू के गले मे काला पट्टा था। इन्होने फाइरिंग शुरू कर दी थी। भगदड मचने से नाव डूब गयी थी और वे तैरकर जंगल में निकल गये थे। वे दूसरे दिन 7-7.30 एएम पर भीमसागर के दूसरी ओर डेम पर पहुंचे, जहां पर उन्हे विजय और ब्रजराज मिले थे। वहां से वे गाडी बुलाकर थाने पर पहुंचे थे। उसके सिर पर चोट आयी थी। शकिल के हाथ पर छर्रा लगा था। कमल मीणा के सिर पर छर्रे की लगी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी। उन्हे कमल मीणा, मलिक और एक अन्य व्यक्ति

नहीं मिला था। पुलिस ने उससे पुछताछ कर बयान लिये थे। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि वह मुख्तार मलिक साहब के लिये तनख्वाह पर काम करता था। जो विवाद हुआ था, वह मछली के ठेके से संबंधित था। यह उसे पता नही है कि इरशाद भाई ने मुख्तार मलिक साहब को ठेका देने से पहले किसको ठेका दे रखा था। मुलजिमान व मुख्तार मलिक साहब और इरशाद भाई के बीच मछली ठेके के लेनेदेन के पैसे को लेकर क्या विवाद था, उसे इसकी जानकारी नहीं है। उसे मुख्तार मलिक साहब ने कहा था, घटनास्थल पर चलने के लिये। अजखुद कहा कि बोट ड्राइवर था। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि मुख्तार मलिक साहब ने जो लोग उनके साथ घटनास्थल पर गये थे, उनके अलावा भी और लोगो से चलने के लिये कहा हो परंतु वो लोग नहीं जा पाये हो। यह उसे पता नहीं है कि जिस बोट को वे लेकर गये थे, उसमे नियमानुसार कितने लोग बैठ सकते हो। बोट ईंजन से चलने वाली थी, जिसे ड्राइवर चलाता है। रात के 1-2 बजे के लगभग वे घटनास्थल पर पहुंच गये थे। घटनास्थल पर पहुंचकर उसने बोट बंद कर दी थी, ईजन बंद था। घटनास्थल जंगल ऐरिया है। वे जेल चले गये थे, इसलिये उन्हे पता नहीं है कि मुख्तार मलिक साहब जंगल में मिले या नहीं मिले थे। नाव का बेलेंस बिगडने के बाद वह भी पानी में कूद गया था और तैरकर दूसरी साइड आ गया था। पहली बार जब वे थाने पर गये थे, तब सारी बात बता दी थी। कमल और मुख्तार मालिक बोट मे उसके आगे ही बैठे थे। यह उसे पता नहीं है कि मुख्तार मलिक साहब ने जो हवाई फायर किया था, उस बंदूक का उनके पास लाईसेंस था या नहीं था। मुख्तार मालिक साहब भोपाल के रहने वाले है। यह उसे जानकारी नही है कि मुख्तार मालिक साहब के उपर 55-60 मुकदमे हत्या, हत्या के प्रयास व फिरोती वगै. के चल रहे हो। यह कहना गलत है कि वह आज न्यायालय में झूठे बयान दे रहा हो। जब वे थाने पर पहुंचे तब वहां पर कोई भी नहीं था। वे सुबह 8.30 बजे थाने पर पहुंचे थे। वे 5 लोग थाने पर गये थे। यह कहना गलत है कि उन 5 ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी हो। प्रदर्श पी 01 तहरीरी रिपोर्ट शाम को 6 बजकर 10 पी.एम. पर जुगल किशोर मीणा ने दर्ज करवायी थी। यह कहना सही

है कि उनके द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी गयी थी। यह बात सही है कि रात को वे इजंन वाली नाव लेकर घूम रहे थे तब काफी अंधेरा था। यह कहना सही है कि रात को बोट खराब हो गयी थी। यह कहना सही है कि बोट के खराब होने से वह चल नहीं रही थी। यह कहना गलत है कि वे सब लोग शराब के नशे में हो जिससे बोट पल्टी खा गयी हो। यह कहना गलत है कि बोट के पल्टी खाने से वे लोग पानी में डूब गये हो और वे लोग निकलकर जंगल में रात को अंधेरे में इधर उधर भाग गये हो। यह कहना गलत है कि कमल मीणा को तैरना नहीं आता हो, जिससे उसकी पानी में डूबकर मृत्यु हो गयी हो। वे सभी जंगल में भाग गये थे। यह कहना गलत है कि उनके साथ कोई घटना घटित नहीं हुयी हो, घटना घटित होती तो वे उसी समय रिपोर्ट दर्ज करवा देते। यह कहना सही है कि घटना की रिपोर्ट हमने 01.06.2022 को दर्ज नहीं करवायी और ना हीं पुलिस को उस दिन बयान दिये। यह कहना सही है कि डीजे कोर्ट में उनका धारा 307 आईपीसी का केस चल रहा है। यह कहना गलत है कि वह उस मुकदमें से बचने के लिये आज झूठे बयान दे रहा होउ। यह कहना सही है कि उन्हे थाने में ही अरेस्ट कर लिया था।

29. **पी.ड.12 विजय कुमार** है जिसने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि यह कथन किए है कि वह रीछवा का रहने वाला है वह पहले ड्राइवर का काम करता था। घटना के एक महिने पहले से वह मुख्तार मलिक के यहां मछली तुलाई का काम भवरासा डैम पर करता था। दिल्ली वाले इरशाद ठेकेदार से उनके सेठ मुख्तार मलिक ने दिनांक 31.05.2022 को भीम सागर डेम का ठेका लिया था। जिसमे लिखाई पढाई मे उनके ठेकेदार के नाम नाव वगै. लिखा दी थी। वह और उसके साथ डेम पर काम करने वाले विक्की, मुख्तार मलिक, सलमान, शफिक, शकिल, कमल मीणा, ब्रजराज, अखलाक, आरिफ, शोयब वे कांसखेडली भीमसागर डेम पर गये तो वहां पर उन्हे नाव नहीं मिली। जब उनके सेठ ने बंटी से फोन पर बात की तो बंटी ने बोला कि उसे इरशाद से पैसे लेने है, यह ठेका पहले उसके था तो उसके पैसे दे जाओ और नाव ले जाओ। उसके बाद वे 7-8 बजे नाव लेकर भीम सागर डेम पर गये। रास्ते मे उनकी

बोट खराब हो गयी थी, जिसे कमल मीणा ने ठीक किया था। उसके बाद वे लेट हो गये तो कांसखेडली रात्रि करीब 12-01 बजे पहुंचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे तो उन्होने बेट्री लगायी। वहां पर बंटी, सैफू, राजा उर्फ वसीम वहां पर बंदूक लेकर दिखे और उन्होने पत्थर मारना शुरू कर दिया तो उनके सेठ ने बंदूक निकालकर हवा मे फायर किया तो सामने से भी फायरिंग हुयी। जैसे ही अफरा तफरी हुयी तो वे बोट से पानी मे गिर गये और बोट भी डूब गयी थी। वे जैसे तैसे तेरकर बाहर किनारे पर निकलकर जंगल के रास्ते भीमसागर डेम पर पहुंचे। थोडी देर बाद उनको शोयब, सलमान, शकील, अखलाख ये मिले और मुख्तार मलिक, विक्की, कमल मीणा नहीं मिले। उनको पता चला कि कमल मीणा की गोली लगने से पानी में डूबकर मृत्यु हो गयी थी। वे असनावर थाने पर चले गये थे। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने कथन किया है कि उसके पुलिस बयान हुये थे। वह डेम पर मुख्तार मलिक साहब के लिये काम करता था, मछली तुलाई का। यह कहना सही है कि उसने जो बताया है कि इरशाद भाई से मुख्तार मलिक साहब ने ठेका लिया था दिनांक 31.05.2022 को उसमें वह गवाह नहीं है जो लिखा पढी हुयी थी, उसकी कॉपी उसके पास नहीं है। उसके कहने के मुताबिक वे बोट लेने गये थे। बोट कौनसी कंपनी की थी, यह उसे पता नहीं है जो वे बोट लेने गये थे, वह ईंजन से चलने वाली थी। उस बोट को ड्राइवर चलाता है, जो हैडल से चलाता है, स्टीयरिंग नहीं होता है। वे जिस बोट से गये उसको सलमान चला रहा था। बाकि वे सब लोग उस बोट में बैठे थे। यह कहना सही है कि मलिक साहब के उपर भोपाल व अन्य कई जगह 55-60 मुकदमें चल रहे है। यह उसे पता नहीं है कि कौन कौनसे मुकदमें चल रहे है। यह उसे पता नहीं है कि मलिक साहब ने जिस बंदूक से फायर किया, उसका उनके पास लाईसेंस था या नहीं था, यह वह नहीं बता सकता है। यह कहना सही है कि बंटी को इरशाद से पैसे लेने थे, जो उसने मलिक साहब से मांगे थे। उसे यह अंदाजा नहीं है कि कितने रूपये पैसे का विवाद था। मुख्तार मलिक साहब से पहले इरशाद और बंटी वगै. साथ में ही मछली ठेके का काम कर रहे थे। वे 7-8 बजे रवाना हुये थे। नाव का बेलेंस बिगडने से वे पानी में गिर गये थे। आज वह

मोबाइल लेकर आया है जो टच स्क्रिन का है। उस दिन पानी में डूबने से उसके कपडे वगै. गीले हो गये थे। यह कहना सही है कि पुलिस को उन्होने उनके कपडे जप्त नहीं करवाये थे। कमल मीणा बोट उसके पास ही खडा था। अभी ठेका कौन संभाल रहा है, यह उसे पता नहीं है। कमल को पानी में डूबने के बाद उसके सामने ही निकाला था। मुख्तार मलिक साहब जंगल में तीसरे दिन मिले थे। मलिक साहब रहने वालें भोपाल के है। घटना के बाद उनकी पत्नी व परिवार के लोग भी आये थे। यह कहना सही है कि बोट को एक आदमी भी चला लेता है, उसमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। वे घटनास्थल पर मुख्तयार मलिक साहब के कहने से ही गये थे जो लोग उनके साथ गये थे, उनके खिलाफ भी मुकदमें चल रहे हो तो उसे इसकी जानकारी नहीं है। यह उसे पता नहीं है कि जो लोग उनके साथ गये थे, वह लडाई झगडा करने के आदतन अपराधी हो और उनके खिलाफ मुकदमें चल रहे हो। घटनास्थल जिस जगह पानी में उनकी बोट खडी की थी, वहां से मुलजिमान के मकान थोडी ही दूरी पर है। वे घटनास्थल से निकलकर असनावर थाना गये थे फिर वापस घटनास्थल पर लगभग सुबह 8-9 बजे गये थे। यह उसे पता नहीं है कि मुलजिम पक्ष बंटी वगै. ने भी घटना की रिपोर्ट दर्ज करवायी या नहीं करवायी थी। घटना 31.05.2022 की है। यह कहना गलत है कि वह मुख्तार मलिक के यहां काम करने की वजह से झूठा गवाह बना हो और झूठी गवाही दे रहा हो। यह कहना सही है कि घटना के बाद जब वे पुलिस थाने पर गये थे, तब उन्होने पुलिस को सारी घटना बता दी थी और पुलिस उन्हे डेम लेकर गयी थी। पुलिस ने उनके बयान बाद में थाने पर लिये थे। बयान लिये थे, उन पर हस्ताक्षर भी करवाये थे। यह कहना गलत है कि घटना वालें दिन उसने उसके पुलिस बयान में पुलिस को यह बताया हो कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि बाद में वह मुख्तार मलिक का कर्मचारी होने से प्रकरण में झूठा गवाह बना हो। भीम सागर डेम पर वह, सलमान, शकिल, शफीक, ब्रजराज, शोयब, आरिफ, मुख्तार मलिक, विक्की, कमल मीणा, अखलाक गये थे। वे रात को 7-8 बजे गये थे। वे सभी बोट लेकर डेम पर गये थे। काफी अंधेरा था। यह कहना सही

है कि आगे जाकर उनकी बोट खराब हो गयी थी। यह कहना सही है कि आगे बोट चल नहीं रही थी, खराब होने की वजह से। यह कहना गलत है कि वे ज्यादा लोग बोट में बैठे हो जिससे बोट पलटी खा गयी हो। यह कहना गलत है कि पल्टी खाने से कमल वहीं डूब गया हो और वे जंगल की ओर भाग गये हो। वे रात को तीन चार बजे तक थाने पर रिपोर्ट करवाने के लिये नहीं गये थे। यह कहना गलत है कि जब वे थाने पर गये हो जब वहां पर कांसखेडली के कुछ लोगों को बिठा रखा हो। यह कहना गलत है कि उनके खिलाफ चल रहे डीजे कोर्ट में 307 के मुकदमें से बचने के लिये वह आज झूठे बयान दे रहा हो।

30. **पी.ड.13 ब्रजराज पक्षद्रोही** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह रीछवा का रहने वाला है लगभग तीन साल पुरानी बात है। वे रात को नाव लेने के लिये गये थे। उसके साथ शकिल, शफीक, सलमान, मुख्तार मलिक, अखलाक, सोहेल, विजय व एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम उसे याद नहीं है, गये थे। जैसे ही वे कांसखेडली गांव नाव लेने गये तो वहां पर हल्ला हो गया था। इतने में ही सामने से पत्थर चले। भगदड हुयी। जिससे नाव डूब गयी थी। फिर वह तो तेरकर निकल गया था। पुलिस ने नक्शा मौका बनया था जो कि प्रदर्श पी 12 है जिसपर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी से किसी प्रकार की प्रतिपरीक्षा अभियुक्तगण की ओर से नहीं की गई है।

31. **पी.ड.14 महेन्द्र कुमार** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 06.06.2022 को पुलिस थाना असनावर मे कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन थाना हाजा के मुकदमा नं. 107/22 में मुलजिम शेफु खान और अब्दुल बंटी की सूचना पर अनुसंधान अधिकारी ने उसके समक्ष मुलजिमान की निशादेही से सुकेत रहमानिया मदरसा के पास शफीक भाई के मकान मे जिस स्थान से कारतूस खरीदे थे, उस स्थान की तस्दीक करवायी थी, फर्द तस्दीक खरीदस्थल व नक्शा मौका प्रदर्श पी 14 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन मुलजिम अब्दुल बंटी व शेफु खान के द्वारा दी गयी सूचना के अनुसरण मे अनुसंधान अधिकारी ने उसके समक्ष अब्दुल शरीफ से मुलजिम शेफु ने 12 बोर बंदूक जिस जगह से खरीदी थी व अब्दुल

बंटी बारूद व टोपियां अब्दुल शरीफ से जिस जगह से खरीदी थी, उस स्थान की तस्दीक करवायी थी, फर्द तस्दीक खरीदस्थल व नक्शा मौका प्रदर्श पी 15 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान अधिकारी ने स्वतंत्र गवाह लाने हेतु नोटिस दिया था, जो प्रदर्श पी 16 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी नोटिस, ई से एफ उसका जवाब अंकित है। उसी दिन अनुसंधान अधिकारी ने मुलजिम शेफु की सूचना पर मुलजिम शेफु ने अपने रिहायशी मकान के बगल से होकर अपने रिहायशी मकान के पीछे पहुंचा, जहां पर मकान के पीछे खाली जगह पर उगी झाडियों के अंदर से एक लोहे की नाली(बेरल) को निकालकर पेश किया था, जिसे अनुसंधान अधिकारी ने बतौर वजह सबूत जप्त कर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्क ई दिया, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 17 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बरामदगीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 18 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि प्रदर्श पी 14 तस्दीक स्थल व नक्शा मौका की वह केवल तस्दीक करने के लिये गया था। तस्दीक के लिये वह मय जाप्ता अनुसंधान अधिकारी व मुलजिमान बंटी और शेफु गये थे। प्रदर्श पी 14 उन्होने स्थल पर ही बनाया था। तस्दीकस्थल के आस पास वाले जगह मुलजिमान ने ही बताये थे। यह कहना सही है कि उसने तस्दीक स्थल के आस पास के मकान वालों से उनके स्वामित्व बाबत कोई पूछताछ नहीं की थी। यह कहना सही है कि उसने नक्शा मौका में दिखाये गये मकान के स्वामित्व बाबत दस्तावेज की कोई जांच नहीं की थी। वे जिस वाहन से गये थे, उसके नम्बर आज उसे याद नहीं है। यह उसे पता नहीं है कि सरकारी वाहन को ले जाने पर लोक बुक में एंट्री होती है या नहीं। अजखुद कहा कि यह काम ड्राइवर का है। उस दिन ड्राइवर कौन था, यह उसे ध्यान नहीं है। तस्दीक नक्शा मौका पहले बनाया या बाद में बनाया और उसकी तहरीर स्वतंत्र गवाह हेतु हुक्मनामा पहले जारी किया या बाद में यह उसे पता नहीं है। अजखुद कहा कि अनुसंधान अधिकारी ने किया होगा। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 14 व पी 15 में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 14 व पी 15 सघन आबादी

क्षेत्र है। प्रदर्श पी 14 बनाने के लिये वे करीब 10 बजे थाने से रवाना हो गये थे। थाने से घटनास्थल प्रदर्श पी 14 की दूरी करीब 35-40 किमी है। उसे ज्यादा जानकारी नहीं है कि वे प्रदर्श पी 14 बनाने के लिये कब रवाना हुये थे। अजखुद कहा कि उस दिन थाने से रवाना होकर न्यायालय में मुलजिम पेश किया था बाद 27 की सूचना पर रवाना होकर तस्दीक मौका हेतु सुकेत पहुंचे थे। मुलजिम को न्यायालय में करीब 11 बजे पेश किया था। वे सुकेत से करीब 3.15 पीएम पर रवाना हो गये थे और कांसखेडली पर वे 4.15-4.30 पीएम के आस पास पहुंच गये थे। प्रदर्श पी 16 मौके पर ही बनाकर दिया था। स्वतंत्र गवाह ढूंढने में करीब 15 मिनट का समय लगा था। उसे कुछ लोग मिले परंतु वह सभी स्वतंत्र गवाह बनने के लिये राजी नहीं हुये थे। स्वतंत्र गवाह संबंधी सारा काम लगभग 15 मिनट में हो गया था। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 17 वाले स्थान पर सीसीटीवी केमरे लगे हो। बरामदगी की कार्यवाही उन्होने 5.30 पीएम पर प्रारंभ की थी। इसमें उन्हे कितना समय लगा, इसकी जानकारी आज उसे नहीं है। यह उसे याद नहीं है कि झाडियों में नाली किस हालत में थी। प्रदर्श पी 18 में उनका वाहन कहां खडा किया था, इसका अंकन नहीं है। यह कहना सही है कि जंगल में जो झाडियां थी, वह हरी भरी थी। यह कहना गलत है कि उन्होने सभी कार्यवाही थाने पर बैठकर की हो और उसने अनुसंधान अधिकारी के कहने से फर्दात पर हस्ताक्षर थाने पर ही किये हो।

32. **पी.ड.15 परमानंद** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 03.06.2022 को पुलिस थाना असनावर में हैड कानि. के पद पर तेनात था। उस दिन थाना हाजा के मुकदमा सं. 107/22 में अनुसंधान अधिकारी ब्रजमोहन जी ने चश्मदीद गवाह शकील मोहम्मद की निशादेही से उसके व ब्रजराज के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 12 बनाया था, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन अनुसंधान अधिकारी ने थाना परिसर से प्रकरण में वांछित मुलजिमान अब्दुल बंटी पुत्र अब्दुल हाफिज, अब्दुल कालू खान पुत्र अब्दुल हफिज, शौकत पुत्र अब्दुल हकीम, शेफु खां पुत्र अब्दुल हाफिज, अब्दुल रउफ पुत्र

अब्दुल शरीफ, तनवीर पुत्र नजीर निवासीयान कांसखेडली थाना असनावर, मुलजिम राजा उर्फ वसीम अहमद पुत्र अब्दुल हकीम निवासी किशनपुरा आंतरी थाना कोतवाली को उसके व सत्यनारायण कानि. के समक्ष जरिये फर्द गिरफ्तार किया था, जिनकी फर्द गिरफ्तारियां क्रमशः प्रदर्श पी 19 लगायत पी 25 है, जिन सभी पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 05.06.2022 को अनुसंधान अधिकारी ने मुलजिम अब्दुल बंटी की निशादेही से मुलजिम अब्दुल बंटी ने अपने रिहायशी मकान के तिबारी में रखे टीन के बक्से के अंदर से एक टोपीदार बंदूक एक नाली, एक देसी कट्टा एक नाली टोपीदार, एक थैली बारूद से भरी हुयी, एक डिब्बी छर्रों की, एक डीब्बी गन केप (टोपियां) को उसके सामने बतौर वजह सबूत जप्त करवाया था, टोपीदार बंदूक एक नाली को मार्क बी 01 दिया था, एक थैली में भरे बारूद को मार्क बी 02 दिया था, गन केप 156 को उसी डिब्बी मे रखकर ढक्कन लगाकर मार्क बी 03 दिया था, एक नीले रंग की डिब्बी को जिसमें 212 छर्रे पाये थे, छर्रे को उसी डिब्बी में भरकर ढक्कन लगाकर मार्क बी 04 दिया था, एक देसी कट्टा टोपीदार एक नाली मार्क बी 05 दिया था, सभी को पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली में रखकर बतौर वजह सबूत जप्त किया था, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 26 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 27 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन अनुसंधान अधिकारी को मुलजिम शेफु ने अपने रिहायशी मकान की तिबारी मे रखे एक बडे बक्से में रखे एक बंदूक का टूटा पीछे का हिस्सा बिना बेरल को बतौर वजह सबूत जप्त कर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क सी 01 दिया था, एक कपडे का पट्टा जिसमे 12 भरे हुये कारतूस लगे हुये थे को बतौर वजह सबूत जप्त कर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क सी 02 दिया था तथा 19 खाली कारतूस को बतौर वजह सबूत जप्त कर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क सी 03 दिया था, जिनकी फर्द बरामदगी जप्ती प्रदर्श पी 28 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका नक्शा मौका प्रदर्श पी 29 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

उसी दिन अनुसंधान अधिकारी ने मुलजिम राजा उर्फ वसीम की निशादेही से कांसखेडली के जंगल से एक पेड के नीचे झाडियो के अंदर से एक दो नाली टोपीदार बंदूक को बतौर वजह सबूत जप्त कर सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्क डी 01 दिया, एक थैली में भरे हुये बारूद की थैली को बतौर वजह सबूत जप्त कर सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्क डी 02 दिया, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 30 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बरामदगीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 31 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि नक्शा मौका सीओ साहब के रीडर कमलेश की कलमी है। नक्शा मौका उसके ही सामने बनाया था। नक्शा मौका बनाने में करीब 20 मिनट लगे थे। नक्शा मौका बनाने के लिये वह, ब्रजराज, सीओ साहब और उनका स्टाफ गया था। ब्रजराज सिविलियन है। नक्शे मौके में वाहन नहीं दर्शाया है। वे नक्शा मौका बनाने के लिय दो तीन वाहन से गये थे। वह सरकारी जीप थाने की जीप में था, जिसके नम्बर आज उसे याद नहीं है। उसकी गाडी में सत्यनारायण और वह बैठा था। सारी गिरफ्तारियां थाने पर ही की थी। सभी मुलजिमान को सीओ साहब ने थाने पर ही बुलाया था। गिरफ्तारी की सूचना उन्होने किसको दी थी, यह उसे आज याद नहीं है, वह देखकर बता सकता है। मुलजिमान को वह पहले से नहीं जानता था। उसने नक्शा मौका में स्वतंत्र गवाह को बनाने का प्रयास नहीं किया था। फर्द गिरफ्तारी में भी कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया था। सिर्फ उसे व सत्यनारायण कानि. को गवाह बनाया था। इस हेतु कोई तहरीर भी जारी नहीं की थी। नक्शा मौका बनाने के लिये वे थाने से कितने बजे निकले थे, यह आज उसे ध्यान नहीं है। नक्शा मौका वाला स्थान थाने से करीब 20 किमी की दूरी पर है, जाने में कितना समय लगा था, यह आज उसे ध्यान नहीं है। अजखुद कहा कि करीब 1-1.30 घण्टा लगा था। मुलजिमान की जामा तलाशी में कुछ नहीं मिला था। जप्ती करने के लिये वे दिनांक 05 को दिन के करीब 12 बजे गये थे। वे 12 बजे थाने से निकले थे। जप्ती के लिये सीओ साहब, उनका स्टाफ, जिनका उसे नाम ध्यान नहीं है, सत्यनारायण और वह गये थे। कुल कितने लोग गये थे, यह भी उसे आज याद

नहीं है। जप्तीस्थल करीब 20 किमी की दूरी पर है। जप्ती में करीब 30-45 मिनट लगे थे। जप्तीस्थल के पास और भी रिहायशी मकान है। प्रदर्श पी 27, पी 29 व पी 31 सीओ साहब के रीडर की कलमी है। यह कहना सही है कि जप्ती के समय अन्य लोग भी आ गये थे। उनमें मुलजिम के परिवारजन व अन्य लोग भी आ गये थे। जप्तीस्थल पर कोई कैमरा लगा हुआ नहीं था। प्रदर्श पी 27, पी 29 व पी 31 में उन्होने गाडी को कहां खडा किया था, इसका अंकन नहीं है। आस पडौस के मकान बाबत मुलजिमान ने ही स्वयं बताया था, जिनकी तस्दीक सीओ साहब ने ही की थी। जिस मकान से जप्ती की थी, उसके स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज मुलजिमान से नहीं लिये थे। जप्ती वाले मकान कच्चे है। मकान का दरवाजा कितना बडा था, यह वह आज नहीं बता सकता है अजखुद कहा कि बाहर खुली हुयी टांटियां बांध रखी है। प्रदर्श पी 27 के मकान का दरवाजा दक्षिण की ओर खुलता है। जब वे प्रदर्श पी 27 वालें मकान पर पहुंचे तब वहां पर कोई नहीं था, सब भाग गये थे। मकान में कोई भी नहीं मिला था। टीन का बक्सा पुराना था, साईज व किस रंग का था, यह आज उसे ध्यान नहीं है। प्रदर्श पी 27 से जप्त की गयी बंदूक आदि खुली हुयी रखी हुयी थी। बक्सा पर अगर ताला लगा हो तो यह उसे ध्यान नहीं है। बक्सा मुलजिम से खुलवाया था। मकान के अंदर सीओ साहब, वह, सत्यनारायण और पूरा जाप्ता गया था। एक दो बाहर भी रूके थे। बंटी, शेफु और राजा उर्फ वसीम का मकान पास पास ही है। प्रदर्श पी 29 वाला मकान कच्चा पक्का था। इसके स्वामित्व संबंधित दस्तावेज उन्होने नहीं लिये थे। प्रदर्श पी 29 वाला मकान के सामने कच्चा रास्ता था, जिसकी चौडाई कितनी थी, यह आज उसे ध्यान नहीं है। प्रदर्श पी 27 व पी 29 में जप्त किया गया सामान को चिट चस्पा वहीं पर किया था। सील थाने में लगायी थी। प्रदर्श पी 26, पी 28 मौके पर ही बनायी थी। प्रदर्श पी 31 वाला स्थान प्रदर्श पी 29 से 5-25 मीटर की दूरी पर है। पहाडी इलाका है। उन्होने मिट्टी में दबी हुयी टोपीदार बंदूक और बारूद जप्त की थी। जप्तीस्थल पर काफी सारे पेड पौधे थे। प्रदर्श पी 31 वाला स्थान शेफु ने बताया था। अजखुद कहा कि राजा उर्फ वसीम ने बताया था। बारूद भी खुला था। जंगल से बरामद की गयी टोपीदार

बंदूक पुरानी थी, जिस पर जंग लगा हुआ था। बारूद को थैली में जप्त किया था, थैली प्लास्टिक की थी, जिसका रंग आज उसे याद नहीं है। थैली की साइज उसे याद नहीं है। इन्हे भी चिट चस्पा किया था और पैक थाने पर किया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 31 वाला स्थान जंगल है, जहां पर कोई भी आ जा सकता है। जप्ती की कार्यवाही में 2-3 घण्टे का समय लगा था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 26 लगायत पी 31 के सभी गवाह पुलिसकर्मी ही है। स्वतंत्र गवाह हेतु उन्होने कोई तहरीर जारी नहीं की थी। मौखिक निर्देश दिये थे। संपूर्ण जप्ती में कितने सामान थे, यह आज उसे ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि उसके सामने कोई जप्ती नहीं की हो। यह कहना गलत है कि उसके सामने कोई गिरफ्तारी नहीं की हो और उसने अनुसंधान अधिकारी के कहने से हस्ताक्षर किये हो।

33. **पी.ड.16 हरवन्त सिंह** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 02.06.2022 को थाना असनावर मे थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन बालचंद जी ए.एस.आई. की तहरीर मुकदमा नं. 107/22 धारा 147, 148, 149, 302, 336 आई पी सी, 3(2) की उपधारा 5 एस सी एस टी एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान श्री ब्रजमोहन मीणा डीवाईएसपी एस सी एस टी सेल झालावाड के सुपुर्द किया था। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी प्रार्थी जुगल किशोर, सी से डी ए.एस.आई. बालचंद, ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 32 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 03.06.2022 को दौराने अनुसंधान उसके द्वारा बाबर मलिक के पर्चा बयान उसके कथनानुसार लेखबद्ध किये थे। पर्चा बयान बाबर प्रदर्श पी 33 है, जिस पर ए से बी दो स्थान पर उसके व सी से डी दो स्थान पर बाबर के हस्ताक्षर, ई से एफ पुलिस कार्यवाही का अंकन है। उसी दिन मृतक मुख्तार मलिक की लाश का पंचनामा बनाया था, जो प्रदर्श पी 34 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी, ई से एफ, जी से एच, आई से जे, के से एल गवाहान के हस्ताक्षर है। उसी दिन लाश की फोटोग्राफी की गयी थी, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 35 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी व ई से एफ गवाहान के हस्ताक्षर है।

मृतक मुख्तार मलिक की लाश की सुपुर्दगी की फर्द प्रदर्श पी 36 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी व ई से एफ गवाहान के हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि एफ.आई.आर. बालचंद जी ने लाकर दी थी। प्रदर्श पी 01 बाहर ही लिखी थी। प्रदर्श पी 01 किसने लिखी थी, यह उसे पता नहीं है। प्रदर्श पी 01 की दिनांक में ओवरराइटिंग है। बालचंद जी के पास एफ.आई.आर. कितने बजे आयी थी, इसकी जानकारी उसे नहीं है। घटनास्थल एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 01 मे बताया गया है, वह थाने से करीब 10-12 कि.मी. की दूरी पर है। फरियादी ने उन्हे कोई आई. डी. नहीं दी थी, जिससे उसकी जाति या नाम का पता चल सके। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 01 में जिनके नाम लिखे है, उनको वह पहले से जानता हो। पंचनामा प्रदर्श पी 33 उसके मुंशी हैमन्त की कलमी है। मुख्तार की मृत्यु झालावाड अस्पताल में हुयी थी। मुख्तार को सुबह करीब 7-8 बजे अस्पताल लेकर आये थे। असनावर चेकअप करवाया था, जहां से झालावाड अस्पताल में रैफर कर दिया था। लाश लेने के लिये लोग लगभग 9-10 बजे आ गये थे। फोटोग्राफी उसने उसके मोबाइल से की थी। फोटोग्राफी करने हेतु उसने कोई तहरीर नहीं बनायी थी। लाश सुपुर्द करने के बाद उसे कहां ले गये थे, इसकी जानकारी उसे नहीं है। उसने पूछा था तो बताया था कि भोपाल ले जा रहे है।

34. **पी.ड.17 डॉ. रमाकान्त** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 03.06.2022 को एस.आर.जी.एच. झालावाड में मेडिकल ज्युरिष्ठ के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना असनावर के पुलिस प्रतिवेदन पर मेडिकल सुपरीडेंट एस.आर.जी.एच. झालावाड के द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में मृतक मुख्तार मलिक पुत्र मुस्तफिर उल्ला उर्फ अन्नू मलिक के शव का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट तैयार की थी। शव के बाह्य परीक्षण में शरीर सुडौल व सुपोषित था। मृत्यु के उपरांत अकडन पूरे शरीर मे पंजो के अलावा मौजूद थी। पोस्टमार्टम स्टेनिंग शरीर के पीछे हल्के रंग की पेच में उपस्थित थी। दोनों आंखे सुकडी हुयी व आधी खुली हुयी थी। मुंह सेमी ओपन था व होठ सूखे हुये, झुर्रीदार व क्रेक थे। मुंह की गुहा सूखी हुयी,

जीभ सुखी हुयी, जिस पर मोटी पपडी जमी सूखी हुयी थी। चमडी का रंग हल्का पीला व सूखी हुयी व झुर्रीदार थी। अन्य सभी शरीर के छिद्र स्वस्थ थे। बाह्य परीक्षण मे बांये पेर के तलवे पर, 7.5 गुणा 5 सेमी, चमडी उतरी हुयी थी, जिसमें अंदर की मांसपेशी व अन्य उत्तक दिखाई दे रहे थे, जगह जगह पर खून के थक्के जमे हुये थे, इसमें धूल व मिट्टी के कण भी लगे हुये थे। बांये पैर की ऐडी पर सूजन मौजूद था। दाहिने पैर के तलवे पर, 8 गुणा 5 सेमी, चमडी उतरी हुयी थी, जिसमें मांसपेशी व अन्य उत्तक दिख रहे थे, जगह जगह खून के थक्के जमे हुये थे, इसमें धूल व मिट्टी के कण भी लगे हुये थे। बांये पैर की ऐडी मे सूजन आया हुआ था। बहुत सी खरोंचे, 3 गुणा 0.5 सेमी से 0.5 गुणा 0.25 सेमी, दाहिनी भुजा व अग्रभुजा पर मौजूद थे, जिस पर लाल रंग का कठोर खरूठ मौजूद था। बहुत सी खरोंचे, 4 गुणा 0.5 सेमी से 0.5 गुणा 0.2 सेमी, बांयी भुजा व अग्रभुजा पर मौजूद थे, जिस पर लाल रंग का कठोर खरूठ मौजूद था। नीलगू निशान, 10.5 गुणा 6 सेमी, पेट पर दाहिनी ओर अग्रभाग में मध्य एक तिहाई हिस्से में नाभि से बाहर की तरफ, जो गहरे भूरे नीले रंग का था। बहुत सी खरोंचे, 0.5 गुणा 0.2 सेमी से 0.2 गुणा 0.1 सेमी, पेट पर दाहिनी तरफ अग्रभाग पर मौजूद थे, जिस पर लाल रंग का कठोर खरूठ मौजूद था। बहुत सी खरोंचे, 2 गुणा 0.5 सेमी से 0.7 गुणा 0.2 सेमी, बांये पेर पर जगह जगह मौजूद थे, जिस पर लाल रंग का कठोर खरूठ मौजूद था। बहुत सी खरोंचे, 1.5 गुणा 0.7 सेमी से 0.5 गुणा 0.2 सेमी, दाहिने पेर पर नीचले एक तिहाई भाग पर जगह जगह मौजूद थे, जिस पर लाल रंग का कठोर खरूठ मौजूद था। उक्त सभी चोटे मृत्यु पूर्व कारित थी। चोट सं. 01 व 03 ताजा अवधि की व अन्य सभी चोटे दो से तीन दिन मुत्यु पूर्व अवधि की थी। सभी चोटें कुंद हथियार से आना पायी थी। शव के आंतरिक परीक्षण में दोनों फेफडे कंजस्टेड, सुकडे हुये व सतह पर छोटे छोटे हेमरेज मौजूद थे। अमाशय में झिल्ली पर गहरे हरे रंग की परत जमी हुयी थी। लिवर में पित की थैली पित से भरने से खुली हुयी थी। तिल्ली की सतह सूखी हुयी व झुर्रीदार थी। दोनो किडनी साइज में बडी हुयी थी, व उनकी सतह पर छोटे छोटे हेमरेज मौजूद थे। शरीर के अन्य

सभी आंतरिक अंग स्वस्थ थे। परीक्षण के दौरान एफ.एस.एल. व हस्टोपेथोलॉजी जॉच हेतु ए से जी जार में विसरा सेंपल लिये गये थे। पोस्टमार्टम के समय मृत्यु की अवधि 12 घण्टे के भीतर की थी। मेडिकल बोर्ड की राय में मृत्यु का कारण एफ.एस.एल. व हस्टोपेथोलॉजी रिपोर्ट प्राप्त होने तक रिजर्व रखा गया था। सभी चोटें कुंद हथियार से कारित थी। इनमें से कोई भी चोट फायर आर्म्स हथियार से कारित नहीं थी। दोनों हाथों की हथेली से गन पाउडर की जांच हेतु सेंपल लिये गये थे। मृत्यु की राय बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफ.एस.एल. रिपोर्ट व हस्टोपेथोलॉजी रिपोर्ट के अवलोकन में मृतक मुख्तार मलिक की मौत का कारण भूख व प्यास के कारण शरीर में पानी की कमी व पांव तलवों के घाव से खून बहने से पैदा शोक के कारण होना पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 08 है, जिस पर ए से बी डॉ अंकुश माहेश्वरी के हस्ताक्षर है, सी से डी ओपीनियन, ई से एफ विसरा व सेंपल, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। एफ.एस.एल. रिपोर्ट, हस्टोपेथोलॉजी रिपोर्ट प्रदर्श पी 09 लगायत पी 11 है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि राय सी से डी बिंदु सं. 03 में जिन सेंपल के बारे में अंकित किया गया है, वह फायर आर्म्स एवं गन शॉट रेज्युड की जांच के लिये लिये गये थे। यह कहना सही है कि मृतक के शरीर पर जो घाव है, वह सामान्य परिस्थितियों में जंगल में गिरने पडने व नंगे पांव घूमने से आ सकते है।

35. **पी.ड.18 सत्यनारायण** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 03.06.2022 को पुलिस थाना असनावर में कानि. के पद पर तेनात था। उस दिन थाना हाजा के मुकदमा सं. 107/22 में अनुसंधान अधिकारी ब्रजमोहन जी ने थाना परिसर से प्रकरण में वांछित मुलजिमान अब्दुल बंटी पुत्र अब्दुल हाफिज, अब्दुल कालू खान पुत्र अब्दुल हफिज, शौकत पुत्र अब्दुल हकीम, शेफु खां पुत्र अब्दुल हाफिज, अब्दुल रउफ पुत्र अब्दुल शरीफ, तनवीर पुत्र नजीर निवासीयान कांसखेडली थाना असनावर, मुलजिम राजा उर्फ वसीम अहमद पुत्र अब्दुल हकीम निवासी किशनपुरा आंतरी थाना कोतवाली को उसके व परमानंद हेड कानि. के समक्ष जरिये फर्द गिरफ्तार

किया था, जिनकी फर्द गिरफ्तारियां क्रमशः प्रदर्श पी 19 लगायत पी 25 है, जिन सभी पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 05.06.2022 को अनुसंधान अधिकारी ने उसके समक्ष मुलजिम अब्दुल बंटी की निशादेही से मुलजिम अब्दुल बंटी ने अपने रिहायशी मकान के तिबारी में रखे टीन के बक्से के अंदर से एक टोपीदार बंदूक एक नाली, एक देशी कट्टा एक नाली टोपीदार, एक थैली बारूद से भरी हुयी, एक डिब्बी छर्रों की, एक डीब्बी गन केप (टोपियां) को उसके सामने बतौर वजह सबूत जप्त करवाया था, टोपीदार बंदूक एक नाली को मार्क बी 01 दिया था, एक थैली में भरे बारूद को मार्क बी 02 दिया था, गन केप 156 को उसी डिब्बी में रखकर ढक्कन लगाकर मार्क बी 03 दिया था, एक नीले रंग की डिब्बी को जिसमें 212 छर्रे पाये थे, छर्रे को उसी डिब्बी में भरकर ढक्कन लगाकर मार्क बी 04 दिया था, एक देशी कट्टा टोपीदार एक नाली मार्क बी 05 दिया था, सभी को पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली में रखकर बतौर वजह सबूत जप्त किया था, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 26 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 27 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन अनुसंधान अधिकारी को मुलजिम शेफु ने उसके समक्ष अपने रिहायशी मकान की तिबारी में रखे एक बडे बक्से में रखे एक बंदूक का टूटा पीछे का हिस्सा बिना बेरल को बतौर वजह सबूत जप्त कर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क सी 01 दिया था, एक कपडे का पट्टा जिसमें 12 भरे हुये कारतूस लगे हुये थे को बतौर वजह सबूत जप्त कर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क सी 02 दिया था तथा 19 खाली कारतूस को बतौर वजह सबूत जप्त कर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क सी 03 दिया था, जिनकी फर्द बरामदगी जप्ती प्रदर्श पी 28 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 29 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन अनुसंधान अधिकारी ने मुलजिम राजा उर्फ वसीम की निशादेही से कांसखेडली के जंगल से एक पेड के नीचे झाडियों के अंदर से एक दो नाली टोपीदार बंदूक को बतौर वजह सबूत जप्त कर सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्क डी 01

दिया, एक थैली में भरे हुये बारूद की थैली को बतौर वजह सबूत जप्त कर सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्क डी 02 दिया, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 30 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। बरामदगीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 31 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 07.02.2023 को अनुसंधान अधिकारी गिरधर सिंह जी ने उसके व रामभरोस कानि. के समक्ष मुलजिमान रियासत खान पुत्र अब्दुल शौकत निवासी कांसखेडली, कदीर पुत्र बसीर निवासी कांसखेडली, घीसू उर्फ सलाम पुत्र जहीर निवासी कांसखेडली, घीसू पुत्र नजीर निवासी कांसखेडली, लियाकत पुत्र अब्दुल शौकत निवासी कांसखेडली, अब्दुल शफीक उर्फ नंदू उर्फ अब्दुल शरीफ पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी कांसखेडली को कार्यालय अकलेरा में गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी क्रमशः प्रदर्श पी 37 लगायत पी 42 है, जिन सभी पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन अनुसंधान अधिकारी ने उसके व रामभरोस के समक्ष मुलजिम रियासत खान की जामा तलाशी के दौरान पेंट की जेब से एक एंड्रोइड मोबाइल वीवो कंपनी का मिला, जिसे बतौर वजह सबूत जप्त कर एक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क एफ दिया था, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 43 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन अनुसंधान अधिकारी ने उसके व रामभरोस के समक्ष मुलजिम कदीर की जामा तलाशी के दौरान उसकी पहनी हुयी पेंट की दाहिनी जेब से एक कीपेड मोबाइल लावा कंपनी का मिला, जिसे बतौर वजह सबूत जप्त कर एक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क जी दिया था, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 44 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन अनुसंधान अधिकारी ने उसके व रामभरोस के समक्ष मुलजिम घीसू उर्फ सलाम पुत्र जहीर की जामा तलाशी के दौरान उसकी पहनी हुयी शर्ट की जेब से एक कीपेड मोबाइल नोकिया कंपनी का मिला, जिसे बतौर वजह सबूत जप्त कर एक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क एच दिया था, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 45 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन अनुसंधान अधिकारी ने उसके व रामभरोस के समक्ष मुलजिम लियाकत खान की जामा तलाशी के दौरान उसकी पहनी हुयी पेंट की बांयी जेब से एक एंड्रोइड मोबाइल वीवो कंपनी का

मिला, जिसे बतौर वजह सबूत जप्त कर एक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क आई दिया था, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 46 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन अनुसंधान अधिकारी ने उसके व रामभरोस के समक्ष मुलजिम अब्दुल शफीक उर्फ नंदू उर्फ अब्दुल शरीफ की जामा तलाशी के दौरान उसकी पहनी हुयी पेंट की बांयी जेब से एक कीपेड मोबाइल नोकिया कंपनी का मिला, जिसे बतौर वजह सबूत जप्त कर एक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क जे दिया था, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 47 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 08.02.2023 को अनुसंधान अधिकारी ने उसके व रामभरोस के समक्ष मुलजिमान रियासत, कदीर, घीसू उर्फ सलाम, घीसू पुत्र नजीर, लियाकत, अब्दुल शफीक उर्फ नंदू उर्फ अब्दुल शरीफ की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 48 बनाया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 10.09.2023 को अनुसंधान अधिकारी चक्रवती सिंह जी ने उसके व अमजद खान कानि. के समक्ष मुलजिम मोहम्मद शफीक उर्फ वजीर पुत्र मोहम्मद सुलेमान उर्फ बादशाह निवासी रहमानिया स्कूल के पास सुकेत को वृत कार्यालय अकलेरा से गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 49 बनायी थी, जिस पर ए से बी हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने कथन किया है कि उसकी थाना असनावर में करीब 4-5 साल में दो पोस्टिंग हो गयी है। पहले वह कानि. था और अब हैड कानि. है वह थाने पर 2020 से 2023 तक कानि. था। इसके बाद उसका ट्रांसफर भालता हो गया था, वहां पर 10-11 महिने रहा और फिर वह वापस असनावर आ गया था। वह करीब 2 साल से थाना असनावर में हैड कानि. के पद पर तैनात है। उसकी पोस्टिंग संबंधी इस पत्रावली पर कोई दस्तावेज है या नहीं है, इसकी उसे जानकारी नहीं है। दिनांक 03.06.2022 को रात्रि करीब 10 बजे अनुसंधान अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। पुलिस की ड्युटी 24 घण्टे के लिये पाबंद होती है। उस दिन ड्युटी ऑफिसर कौन था, समय अधिक होने के कारण आज उसे ध्यान नहीं है। मुलजिमान अब्दुल बंटी, शेफू, राजा, तनवीर और दो तीन अन्य मुलजिम थे, जिनके नाम आज उसे ध्यान नहीं है, कुल 7 मुलजिमान थे,

जिनको थाने से गिरफ्तार किया था। उसके सामने इनको थाने से गिरफ्तार किया था, उसकी जानकारी में यह नहीं है कि यह स्वयं आये थे या इन्हें कौन लाया था। अजखुद कहा कि यह अनुसंधान अधिकारी को पता होगा। फर्द गिरफ्तारी करीब 10 पी.एम. पर चालू की गयी थी और करीब 10.40 पी.एम. पर समाप्त हो गयी थी। गिरफ्तारी की सूचना अनुसंधान अधिकारी ने पृथक से दी होगी। अनुसंधान अधिकारी का कार्यालय झालावाड में है, वह सरकारी वाहन से आये थे। समय अधिक होने से वह कितने बजे आये थे, यह आज उसे ध्यान नहीं है। उनके साथ उनका स्टाफ था, जिनके नाम समय अधिक होने के कारण आज उसे ध्यान नहीं है। एक मुलजिम की गिरफ्तारी में करीब 5-7 मिनट का समय लगता है। दिनांक 05.06.2022 को वे सुबह करीब 9-10 बजे करीब जप्ती के लिये निकले थे। वह, परमानंद जी हैड साहब, अनुसंधान अधिकारी मय सरकारी वाहन व और भी जाप्ता था, जिनके नाम आज उसे समय अधिक होने से ध्यान नहीं है। उस दिन ड्यूटी ऑफिसर कौन था, यह आज उसे ध्यान नहीं है। थाने से निकलते समय अनुसंधान अधिकारी ने आमद रवानगी रपट डाली थी। हैड बॉय कौन था, जो कम्प्यूटर पर बैठा यह उसे ध्यान नहीं है। आमद रवानगी रपट नम्बर भी आज उसे ध्यान नहीं है। आज पत्रावली में आमद व रवानगी रपट है या नहीं है, यह उसे पता नहीं है। उनके थाने से मुलजिम अब्दुल बंटी का मकान लगभग 20 किमी की दूरी पर है। किस दिशा में है, यह उसे पता नहीं है। अजखुद कहा कि रातादेवी रोड तांडी सोनपुरा खेडा गउपुरा होते हुये एक रास्ता जाता है। वे कांसखेडली करीब 12 बजे के लगभग पहुंचे थे। दोनों गाडियां साथ ही पहुंची थी। मकान के बाहर करीब 12 बजे के लगभग रास्ते पर गाडी रोकी थी। यह कहना गलत है कि जब वे वहां पर पहुंचे थे, तब वहां पर भीड हो गयी हो। आस पास मोहल्ले वाले कोई नहीं थे। अजखुद कहा कि बंटी के परिवार की महिलायें वगै. होंगे। मकान कुछ कच्चा कुछ पक्का है। मकान का मैन दरवाजा किस दिशा में खुलता है, यह आज उसे ध्यान नहीं है। मैन दरवाजा कैसा है, काफी समय होने से उसे ध्यान नहीं है। घर के अंदर सबसे पहले कौन गया था, इसकी जानकारी उसे नहीं है। अजखुद कहा कि सभी जाप्ता साथ था, तो मुलजिम के

साथ सभी अंदर गये थे। अनुसंधान अधिकारी, वह, परमानंद जी हैड साहब व अब्दुल बंटी व अन्य जासे का जवान जिसका नाम उसे ध्यान नहीं है, घर के अंदर गये थे। टीन के बक्से का रंग व उसकी साइज उसे पता नहीं है। बक्से पर ताला नहीं लगा हुआ था। यह उसे पता नहीं है कि बक्सा के उपर कुछ बीछा हुआ था या नहीं बीछा था। बक्सा तिबारी में रखा था। तिबारी पक्की थी या कच्ची थी, यह उसे पता नहीं है। बक्सा नया था या पुराना था, यह उसे ध्यान नहीं है। बक्सा बंटी ने खोला था। बंदूक की साइज कितनी थी, यह आज उसे ध्यान नहीं है। देशी कट्टा था, जिसमें पीतल की रींग लगी थी, उसके फल की लंबाई कितनी थी, यह आज उसे ध्यान नहीं है। डिब्बी का रंग उसे ध्यान नहीं है। बारूद की थैली कपडे की थी या प्लास्टिक की थी, यह भी उसे ध्यान नही है। उसका रंग भी उसे ध्यान नहीं है। बारूद करीब 200-250 ग्राम के आसपास था। बक्से में से सामान बंटी ने स्वयं निकालकर अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश किया था। छर्रे डिब्बी में मिले थे, जिसका रंग उसे ध्यान नहीं है। छर्रे बंटी के सामने अनुसंधान अधिकारी ने गिने थे। मौके पर ही अनुसंधान अधिकारी ने जप्त कर सीलचिट किये थे। जप्ती की कार्यवाही में करीब आधा पौन घण्टा लगा था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 27 अनुसंधान अधिकारी के दिशा निर्देश में उनके रीडर ने बनाया था। वह उनकी लेखनी नहीं पहचानता है। नक्शे मौके में दर्शाये गये मकान की जानकारी वहां पर खडी महिलाओं व मुलजिम ने दी थी। यहां से वे करीब एक घण्टे के बाद शेफू के घर गये थे। शेफू के घर पैदल गये थे। शेफू का घर पास ही है, एक ही दीवार है। शेफू का मकान भी आधा कच्चा व आधा पक्का है। इसके गेट वगै. की जानकारी उसे नहीं है। शेफू के घर में सबसे पहले शेफू, उसके साथ अनुसंधान अधिकारी, वह, परमानंद जी हैड साहब गये थे। शेफू के घर में बक्श एक पट्टी पोश तिबारी में रखा था। यह उसे पता नहीं है कि बक्शा कैसा था, उसका रंग व साइज भी पता नहीं है। वह ताला लग रहा था या नहीं था, यह भी उसे ध्यान नहीं है। बक्से में एक टूटी हुयी बंदूक, जिस पर बैरल लगी हुयी थी, लगभग 12 कारतूस मिले थे, जिनके पीछे पीतल व एल्यूमिनियम टाइप की खोल लगी हुयी थी।

यह कारतूस उन्हे शेफू ने निकालकर दिये थे। इसके अलावा 19 खाली कारतूस थे। बक्से में इसके अलावा कुछ और था या नहीं था, यह उसे पता नहीं है। इनको सीलचिट भी मौके पर ही किया था। इस कार्यवाही में करीब एक घण्टे का समय लगा था। इसके बाद वे मुलजिम राजा के कहने से पैदल पैदल झाडियों में अनुसंधान अधिकारी के साथ गये थे। दूरी करीब 100-150 मीटर है। झाडियों तक पहुंचने में करीब 20-25 मिनट का समय लगा था। झाडियों वाला स्थान जंगल है। जंगल का रास्ता है। वहां पर राजा ने झाडियों से एक दो नाली बंदूक व छर्रे व बारूद निकालकर अनुसंधान अधिकारी को पेश किये थे। यह झाडियों में छिपाकर रख रखे थे। आस पास पेड भी है। यह पेड थे या नहीं थे, यह उसे पता नहीं है। इस पर मिट्टी नहीं लग रही थी। झाडियों के बाहर से कुछ नहीं दिख रहा था। छर्रे कितने थे, यह उसे ध्यान नहीं है। छर्रे किसी थैली में हो तो उसे ध्यान नहीं है। बारूद किस रंग की थैली में था, यह भी ध्यान नहीं है। प्रदर्श पी 31 अनुसंधान अधिकारी के कहे अनुसार उनके रीडर ने बनाया था। दिनांक 07.02.2023 को वह तथा रामभरोस कानि. मुकदमा हाजा के मुलजिम तलाश हेतु इलाका थाना होते हुये सीओ कार्यालय अकलेरा गये थे। आमद रवानगी किसने डाली थी, यह आज उसे ध्यान नहीं है। उस दिन थाना असनावर का ड्रयूटी आंफिसर कौन था, यह आज उसे पता नहीं है। वे थाना असनावर से लगभग 11 बजे के आस पास निकले थे। आज समय अधिक होने से अदालत में उपस्थित मुलजिमान रियासत, कदीर, घीसू पुत्र जहीर, धीसू पुत्र नजीर, लियाकत, अब्दुल शफीक उर्फ नंदू में से किसी को भी नहीं पहचानता पा रहा है। वे सीओ कार्यालय अकलेरा पर करीब 5 बजे पहुंचे होंगे। जामा तलाशी का प्रोसीजर क्या है, उसे पता नहीं है। अजखुद कहा कि वह अनुसंधान अधिकारी को पता होगा। रियासत खान से कौनसा मोबाइल मिला था, यह आज उसे ध्यान नहीं है। इसने किस रंग की पेंट पहन रखी थी, यह भी आज उसे ध्यान नहीं है। उसकी कौनसी जेब से मोबाइल मिला था, यह भी उसे पता नहीं है। उसकी तलाशी अनुसंधान अधिकारी ने ली थी। कुल 6 मोबाइल जप्त किये गये थे। कदीर की जामा तलाशी में मोबाइल मिला था। कदीर से कौनसा मोबाइल मिला

था, यह आज उसे ध्यान नहीं है। घीसू पुत्र सलाम, घीसू पुत्र नजीर, लियाकत, अब्दुल शफीक, की जामा तलाशी में मोबाइल मिले थे, जिनकी जामा तलाशी उसने अनुसंधान अधिकारी के कहने पर उनके समक्ष ली थी। यह मोबाइल कौनसी कंपनी के थे, यह समय अधिक होने से उसे आज याद नहीं है। दिनांक 05.06.2022 को अनुसंधान बॉक्स को वे थाने से लेकर गाडी में रखकर लेकर गये थे। इसकी कोई डायरी नहीं होती है। इसको वे चाहे तो आमद रवानगी में लिखवा सकते है। उस दिन उन्होने लिखवायी थी, या नहीं लिखवायी थी, यह आज उसे पता नहीं है। अनुसंधान अधिकारी ने लिखवाया हो तो उसे पता नहीं है। दिनांक 05.06.2022 को कुल कितने सामान जप्त किये थे, यह उसे ध्यान नहीं है। दिनांक 07.02.2023 को जामा तलाशी में मिले हुये कुल 5 मोबाइल जप्त किये थे। दिनांक 10.09.2023 को बादशाह को गिरफ्तार किया था। इसे थाना असनावर से गिरफ्तार किया था। अजखुद कहा कि अनुसंधान अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। इसकी जामा तलाशी किसने ली थी, उसे ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि जिस दिन बादशाह को गिरफ्तार किया हो, वह उस दिन वहां पर नहीं हो। राजा उर्फ वसीम किशनपुरा आंतरी थाना कोतवाली झालावाड का रहने वाला है। किशनपुरा आंतरी से कासंखेडली गांव लगभग 40 किमी की दूरी पर है। यह कहना सही है कि जहां से राजा से बंदूक बरामद होना बताया है, वह स्थान खुला स्थान है कोई भी आ जा सकता है, कच्चा रास्ता है। बंदूक की लंबाई लगभग तीन फिट होगी। राजा से बंदूक दिनांक 05.06.2022 को समय 3.10 पीएम पर जप्त की थी। यह कहना गलत है कि राजा वसीम से कोई बंदूक बरामद नहीं की हो तथा इसको घटना में झूठा लिप्त करने के लिये यह बरामदगी बतायी हो।

36. गवाह **पी.ड.19 डॉ. हुकमचंद मीणा** ने भी गवाह **पी.ड.17 डॉ. रमाकान्त** के अनुसार अपने मुख्य परीक्षण में कथन किए है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किया है कि यह कहना सही है कि मृतक के जो चोटें थी, वह जंगल में नंगे पैर दौड़ने से आना संभव है।

37. **पी.ड.20 डॉ. मस्तराम मीणा** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 01.06.2022 को सी.एच.सी. असनावर मे चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन पुलिस थाना असनावर के पुलिस प्रतिवेदन पर कमल किशोर पुत्र नंदकिशोर का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा गठित समिति द्वारा किया गया था। बोर्ड द्वारा गठित समिति में वह तथा उसके साथ सदस्य के रूप में डॉ लवीश पाटीदार भी थे। पोस्टमार्टम में पाया था कि मृत्यु 24 घण्टे के भीतर हुयी थी। चेहरे के बांयी ओर कटा हुआ घाव था, जो कि 1 गुणा 0.5 सेमी गुणा 0.5 सेमी का था। शरीर के समस्त मेमरेन कंजस्टड थी। फेफडों को खालने पर उनकी एल्वोलाइ में पानी भरा हुआ था। शरीर के बाकि समस्त लक्षण साधारण अवस्था में पाये गये थे। दौराने पोस्टमार्टम मेटेलिक फाइंडिग के लिये शरीर का एक्स रे करवाया था। बाद एक्स रे शरीर में कोई भी मेटेलिक फाइंडिग नहीं पायी गयी थी। बोर्ड की राय में मृतक किशोर की मृत्यु पानी में डूबने की वजह की दम घुटने की वजह से हुयी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 है, जिस पर ए से बी बोर्ड की राय, सी से डी लविश पाटीदार के हस्ताक्षर है, ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। मृतक के सिर व पसलियों का एक्स रे करवाया था, जो प्रदर्श पी 07 है, जिस पर ए से बी बोर्ड की राय, ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। एक्स रे फिल्म शामिल पत्रावली है, जो प्रदर्श पी 08 लगायत पी 10 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि यह कहना सही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होने मृत्यु के संबंध में अंतिम निष्कर्ष राय दे दी थी। यह कहना सही है कि ऐसा कोई विषय बाकी नहीं रहा था, जिसके लिये एफ.एस.एल. जांच की आवश्यकता हो। वह वर्ष 2020 से चिकित्सक के पद पर कार्यरत है।

38. **पी.ड.21 श्रवण कुमार** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 06.06.2022 को पुलिस थाना असनावर में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन थाना हाजा के मुकदमा नं. 107/22 में मुलजिम शेफु खान और अब्दुल बंटी की सूचना पर अनुसंधान अधिकारी ने उसके समक्ष मुलजिमान की निशादेही से सुकेत रहमानिया मदरसा के पास शफीक भाई के मकान में जिस स्थान से कारतूस खरीदे थे,

उस स्थान की तस्दीक करवायी थी, फर्द तस्दीक खरीदस्थल व नक्शा मौका प्रदर्श पी 14 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन मुलजिम अब्दुल बंटी व शेफु खान के द्वारा दी गयी सूचना के अनुसरण में अनुसंधान अधिकारी ने उसके समक्ष अब्दुल शरीफ से मुलजिम शेफु ने 12 बोर बंदूक जिस जगह से खरीदी थी व अब्दुल बंटी बारूद व टोपियां अब्दुल शरीफ से जिस जगह से खरीदी थी, उस स्थान की तस्दीक करवायी थी, फर्द तस्दीक खरीदस्थल व नक्शा मौका प्रदर्श पी 15 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन अनुसंधान अधिकारी ने मुलजिम शेफु की सूचना पर मुलजिम शेफु ने अपने रिहायशी मकान के बगल से होकर अपने रिहायशी मकान के पीछे पहुंचा, जहां पर मकान के पीछे खाली जगह पर उगी झाडियों के अंदर से एक लोहे की नाली(बेरल) को निकालकर पेश किया था, जिसे अनुसंधान अधिकारी ने बतौर वजह सबूत जप्त कर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्क ई दिया, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 17 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। बरामदगीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 18 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने कथन किया है कि मुलजिम शेफु खान और अब्दुल बंटी आज हाजिर अदालत है। हाजिर अदालत मुलजिम शेफु की ओर इशारा करके बताया कि यह शेफु है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 14 में ई से एफ स्थान पर वाइटनर लगाकर ओवरराइंटिग की हुयी है। जब प्रदर्श पी 14 की सूचना दी थी, तब वह थाने पर मौजूद था। यह उसे पता नहीं है कि मुलजिमान ने धारा 27 की सचूना कितने बजे दी थी। यह उसे पता नहीं है कि उस दिन थाने पर ड्रयूटी आंफिसर कौन नियुक्त था। यह उसे पता नहीं है कि उस दिन मालखाना इन्चार्ज कौन था। यह उसे पता नहीं है कि थाने पर सीसीटीवी केमरे उस समय लगे हुये थे या नहीं लगे हुये थे। यह कहना सही है कि वे पुलिस वाहन से ही गये थे, जिसके नम्बर आज उसे ध्यान नहीं है। यह उसे पता नहीं है कि वाहन से वे जब रवाना तथा वापस आये तब उसमें कितने किमी की रीडिंग थी। यह भी उसे पता नहीं है कि उस दिन थाने में किसके द्वारा वाहन की लोक बुक भरी गयी थी। यह उसे पता नहीं है कि उस दिन आमद रवानगी का

रोजनामचा नम्बर कितना था। यह भी उसे पता नहीं है कि रवानगी के वक्त जप्ती टूलबॉक्स का इन्द्राज व वापसी रजिस्टर नम्बर क्या था। उसे अनुसंधान अधिकारी द्वारा रवानगी के वक्त जप्ती टूल बॉक्स खोलकर दिखाया था। उसे थाने पर ही दिखाया था। यह उसे पता नहीं है कि जप्ती टूल बॉक्स के संबंध में थाने में जो रजिस्टर होता है, उसमें क्या लिखा होता है। यह कहना सही है कि मकान घनी आबादी क्षेत्र में है। आस पास कई लोगों के मकानात है। यह कहना गलत है कि वहां पर लोगों की आवाजाही बनी रहती हो। अजखुद कहा कि साइड में है। यह कहना सही है कि टूलबॉक्स देखने के बाद जीप में बैठकर वे थाने से रवाना हो गये थे। यह उसे पता नहीं है कि उस दिन की गयी कार्यवाही की कोई विडियोग्राफी या फोटोग्राफी करवायी थी या नहीं करवायी थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 15 में अब्दुल शरीफ के मकान के पीछे मस्जिद का भवन दर्शाया गया है। यह कहना सही है कि शरीफ के मकान के बांयी ओर मुस्तकीम पुत्र शकुर खान का मकान दर्शाया है। यह कहना गलत है कि मुस्तकीम के घर के बाहर सीसीटीवी केमरा लगा हुआ हो। यह उसे पता नहीं है कि मुस्तकीम को गवाह बनाया गया था या नहीं बनाया गया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 14 पर शफीक के मकान के सामने रहमानिया मदरसा स्कूल है। रहमानिया मदरसे में कौन कौन मोलवी काम करते है, इसकी जानकारी उसे नहीं है। जीप से उतरने के बाद हम लगभग 100 मीटर पैदल चले थे। वे सभी पुलिस वर्दी में थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 18 में बरामदगीस्थल खुला स्थान जंगलात है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 17 में भी बरामदगीस्थल खुला स्थान है। जिन गवाहान ने गवाही देने से इन्कार किया था, उनके नाम व पते के संबंध में कोई फर्द नहीं बनायी थी। यह उसे याद नहीं है कि वहां पर कितने लोग खडे थे। यह लोग पुलिस की गाडी देखकर ही आये थे। यह उसे याद नहीं है कि पुरूष महिला दोनों थी या केवल पुरूष थे। यह उसे पता नहीं है कि आमद रवानगी किसने डाली थी। जिस स्थान से खरीदना बताया है, वह मकान पक्का बना हुआ है। यह उसे याद नहीं है कि प्रदर्श पी 14 खरीदस्थल व नक्शा मौका में वे किस ओर से गये थे और उनका वाहन कहां पर खडा था। मकान

के अंदर कमरे बने हुये थे। यह उसे याद नहीं है कि प्रदर्श पी 14 किसकी कलमी है। वे नक्शा मौका बनाने के लिये करीब 2 बजे के आस पास पहुंचे थे। यहां से वे लोग कांसखेडली गये थे। प्रदर्श पी 14 जहां बनाया था, वहां पर 40-45 मिनट रूके थे। कांसखेडली चार सवा चार बजे पहुंच गये थे। कांसखेडली का रास्ता आधा कच्चा आधा पक्का है। प्रदर्श पी 15 व पी 18 वाला मकान कच्चा पक्का बना हुआ है। बेरल की साइज 30 इंज था, रंग याद नहीं है। वे लगभग दो घण्टे के लिये रूके थे। वहां से वापस कितने बजे आये थे, यह आज उसे याद नहीं है। प्रदर्श पी 18 में रास्ता कच्चा पक्का बना हुआ है। अजखुद कहा कि सीमेंट की ईंटों का बना है। वे वापसी थाने पर कितने बजे पहुंचे थे, यह उसे याद नहीं है। यह उसे पता नहीं है कि अनुसंधान के संदर्भ में पूर्व में अनुसंधान अधिकारी कितनी बार मौके पर गये थे। यह कहना सही है कि पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं है कि जिससे यह प्रमाणित हो कि कार्यवाही के समय उसका पदस्थापन एवं ड्यूटी थाना हाजा में रही हो।

39. **पी.ड.22 शीबा मलिक** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि दिनांक 03.06.2022 की बात है। उसके पति मुख्तार मलिक की लाश का पुलिस ने झालावाड अस्पताल में पंचायतनामा बनाया था, फर्द लाश पंचायतनामा प्रदर्श पी 34 है, जिस पर आई से जे उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन पुलिस ने उसके पति की लाश उसे सुपुर्द की थी, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 36 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह से किसी प्रकार प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है।

40. **पी.ड.23 सबा** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि दिनांक 03.06.2022 की बात है। उसके पिता मुख्तार मलिक की लाश का पुलिस ने झालावाड अस्पताल मे पंचायतनामा बनाया था, फर्द लाश पंचायतनामा प्रदर्श पी 34 है, जिस पर एम से एन उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह से किसी प्रकार प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है।

41. **पी.ड.24 फरा मलिक** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि दिनांक 03.06.2022 की बात है। उसके पिता मुख्तार मलिक की लाश का पुलिस ने झालावाड

अस्पताल मे पंचायतनामा बनाया था, फर्द लाश पंचायतनामा प्रदर्श पी 34 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह से किसी प्रकार प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है।

42. **पी.ड.25 बाबर** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह भोपाल का रहने वाला है, उसके बडे पापा के बेटे मुख्तार मलिक भोपाल के ही निवासी है। उसके बडे पापा के बेटे मुख्तार मलिक ने झालावाड में कालीसिंध और भीम सागर डेम पर मछली पकडने का काम ले रखा था। उनके साथ और भी लडके काम करते थे। दिनांक 31.05.2022 की रात को मुख्तार मलिक, कमल किशोर, शफीक, सलमान, विजय, अख्ताख, गोविंदा और तीन चार अन्य आदमी थे, जो नाव से भीम सागर डेम पर सर्चिंग करने के लिये गये थे। कांसखेडली के पास ही करीब 2 बजे नाव से उक्त व्यक्ति नाव से किनारे के पास पहुंचे थे। बंटी, राजा व कांसखेडली गांव के और भी लोग जो पहले से ही बंदूके लेकर बैठे थे, इन लोगों मुख्तार मलिक, कमल किशोर व उनके साथ के अन्य लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। जब उसके भाई मुख्तार मलिक बचकर वहां से भागे तो वह कांसखेडली के जंगल में जान बचाकर चले गये थे। वहां पर वह दो दिन तक भूखे प्यासे रहे। इस दौरान वे तथा पुलिस ने भी उन्हे ढूंढा पर वह उन्हे नहीं मिले थे। दिनांक 03.06.2022 को वह गांव के पास ही जंगल में गांव वालो को मिले थे। वह बीमार हालत में थे। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची थी। पुलिस ने उनको असनावर अस्पताल पहुंचाया था। वहां पर इलाज के बाद झालावाड एसआरजीएच में भेज दिया था, जहां पर उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। पुलिस ने उसका पर्चा बयान लिया था जो प्रदर्श पी 33 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके भाई मुख्तार मलिक की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी 34 बनाया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने लाश की फोटोग्राफी की थी, जो प्रदर्श पी 35 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके भाई की लाश उनकी पत्नी शीबा मलिक के सुपुर्द की थी, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 36 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने कथन किया है कि घटना दिनांक 31.05.2022 की रात की है। यह कहना सही है कि वह भोपाल से

दिनांक 03.06.2022 को आया था। यह कहना सही है कि वह व्यक्तिगत रूप से किसी भी अभियुक्त को नहीं जानता था। यह कहना सही है कि वह भोपाल से सीधा झालावाड अस्पताल पहुंचा था। वह घटना के दिन असनावर थाने पर आ गया था। यह कहना गलत है कि उसने पुलिस को घटना की बारे में कोई जानकारी नहीं होना बताया हो। यह कहना सही है कि घटना वाले दिन उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिये थे। यह कहना सही है कि उसने पुलिस को प्रथम जानकारी दिनांक 03.06.2022 को झालावाड अस्पताल में दी थी। यह कहना गलत है कि मृतक उसका रिश्तेदार होने से वह इस प्रकरण में झूठा गवाह बना होउ। वह पढा लिखा है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 33 उसका कलमी नहीं है। उसने लिखा नहीं है हस्ताक्षर किये थे। अजखुद कहा कि उसने ही लिखवाया था। मुख्तार मलिक उसके भाई लगते है। मुख्तार मलिक और वह शामलाती में नहीं रहते है। मुख्तार मलिक क्या क्या बिजनेस करते थे, इसकी जानकारी उसे थी। यह उसे जानकारी थी कि मुख्तार मलिक के पास कोई भी लाईसेंसशुदा हथियार नहीं था। उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मुख्तार मलिक के खिलाफ 50 से उपर मुकदमें दर्ज थे या नहीं थे। यह कहना सही है कि मुख्तार मलिक के खिलाफ पुलिस विभाग ने हिस्ट्री शीट खोल रखी थी। यह उसे जानकारी नहीं है कि मुख्तार मलिक के खिलाफ गैगस्टर एक्ट के खिलाफ मुकदमें दर्ज थे या नहीं थे। उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि पर्चा बयान पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद किसी समय पुलिस अनुसंधान के लिये उसके या मुख्तार मलिक के रेजीडेन्शियल ऐरिया में जांच के लिये आयी हो। यह कहना सही है कि उसने अपनी आखों से घटना नहीं देखी थी क्योंकि वह वहां पर नहीं था।

43. **पी.ड.26** मोहम्मद सादिक ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह भोपाल का रहने वाला है। दिनांक 03.06.2022 को उसके ससुर मुख्तार मलिक की लाश का पुलिस ने पंचनामा उसके समक्ष बनाया था जो प्रदर्श पी 34 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उनकी लाश की फोटोग्राफी उसके समक्ष की थी जो प्रदर्श पी 35 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने मुख्तार मलिक

की लाश को उसके समक्ष उनकी पत्नी शीबा के सुपुर्द की थी, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 36 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह से किसी प्रकार प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है।

44. **पी.ड.27 नीरज शर्मा** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 22.08.2022 को सीओ एससीएसटी सेल झालावाड के पद पर तैनात थी। उस दिन थाना असनावर के एफआईआर नं. 107/2022 की पत्रावली अनुसंधान हेतु प्राप्त हुयी थी। उसी दिन दौराने अनुसंधान उसके द्वारा जुगल किशोर पिता नंदकिशोर के बयान उसके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये थे। जुगल किशोर का जाति संबंधि प्रमाण पत्र दौराने अनुसंधान प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया था। जाति प्रमाण पत्र जुगल किशोर प्रदर्श पी 50 है, जो शामिल पत्रावली है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने कथन किया है कि जाति प्रमाण पत्र के लिये उसके द्वारा कोई तहरीर जारी नहीं की गयी थी। अजखुद कहा कि उसने स्वयं ही प्रस्तुत किया था। यह कहना गलत है कि जुगल किशोर के बयान उसने अपनी मनमर्जी से लेखबद्ध किये हो।

45. **पी.ड.28 राजकुमार** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 30.08.2022 को थाना असनावर में एसएचओ के पद पर तैनात था। उस दिन थाना हाजा के एफआईआर नं. 107/22 थाना असनावर धारा 147, 148, 149, 302, 336 आईपीसी व 3/25, 5/25, 30 आर्म्स एक्ट में मुलजिम अब्दुल बंटी, सेफु खां, राजा उर्फ वसीम, शौकत, अब्दुल कालु खान, तनवीर, अब्दुल रउफ के खिलाफ चालान न्यायालय मे पेश किया था तथा शेष मुलजिमान तनवीर पुत्र नजीर, रियासत खान, कदीर, घीसू उर्फ सलाम, घीसू पुत्र नजीर, लियाकत पुत्र अब्दुल शौकत, मोहम्मद शफीक उर्फ वजीर, फौत अभियुक्त शरीफ पुत्र अब्दुल मजीद के खिलाफ पूर्ण चार्जशीट न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.10.2023 को पेश की थी। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि एफ.आई.आर.उसके सामने दर्ज नहीं हुई थी, उसने सिर्फ चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी।

46. **पी.ड.29 आरिफ गौरी पक्षद्रोही** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि करीब तीन साल पुरानी बात है वह मछली बेचने का काम करता है। इरशाद भाई दिल्ली वाले का भीमसागर डेम में मछली पालन का ठेकेदारी का काम है वह उनके साथ 35 प्रतिशत का हिस्सेदार है। वह ठेके से सम्बन्धित सामान लेने के लिये गांव कासखेड़ली गया था। वह सामान लेने बोट से गया था तो रास्ते मे उस बोट पलट गई थी। वह वहाँ से निकलकर अपने घर चला गया था। पुलिस बयान प्रदर्श पी-51 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखाया।

47. **पी.ड.30 शब्बीर हुसैन** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह झालरापाटन का रहने वाला है, उसके पास बन्दूक, पिस्टल एवं बारह बोर कारतूस बेचने का लाईसेन्स है जो राजस्थान सरकार से ले रखा है। वह लाईसेन्स धारियो को बन्दूक, पिस्टल व कारतूस बेचता है। असनावर थाने से पुलिस वाले आये थे जिन्होने उसका लाईसेंस देखा, उसकी दूकान देखी और आधार कार्ड की प्रति लेकर एक कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी-52 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखाया। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि जिस कागज पर पुलिस ने हस्ताक्षर करवाए थे वह खाली थे।

48. **पी.ड.31 बृजमोहन** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 02.06.2022 को सी.ओ. एस.सी.एस.टी. झालावाड के पद पर तैनात था। उस दिन थाना असनावर के प्रकरण सं. 107/2022 की पत्रावली अनुसंधान हेतु प्राप्त हुयी थी। दौराने अनुसंधान गवाहान शकिल मोहम्मद, ब्रजराज, शोयब हुसैन, अखलाक, सलमान, विजय कुमार, शफिक मोहम्मद के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये थे। फरीयादी जुगल किशोर को घटनास्थल का मौका मुआयना हेतु जरिये फोन सूचित किया था जो कि अपने भाई कमल किशोर के अंतिम संस्कार में व्यस्त होने के कारण नक्शा मौका के लिये आने मे असमर्थता जतायी थी। घटना की चश्मदीद गवाह शकिल मोहम्मद की निशादेही से गवाह परमानंद हेड कानि, ब्रजराज भील की उपस्थिति में घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 12 बनाया था, जिस पर ए से बी शकिल

मोहम्मद, सी से डी ब्रजराज, ई से एफ परमानंद, जी से एच दो स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। मृतक कमल किशोर का पोस्टमार्टम करवाया गया था जो प्रदर्श पी 06 है जो उसके द्वारा करवाकर शामिल पत्रावली किया था। दिनांक 03.06.2022 को मृतक मुख्तार मलिक का पोस्टमार्टम करवाया था जो प्रदर्श पी 08 है। दिनांक 03.06.2022 को फर्द गिरफ्तारी अब्दुल कालू खां, शौकत, शेफु खान, अब्दुल रउफ, तनवीर, राजा उर्फ वसीम, अब्दुल बंटी की थी, जो प्रदर्श पी 19 लगायत पी 25 है, जिन सभी पर ए से बी गवाह परमानंद, सी से डी गवाह सत्यनारायण, ई से एफ उसके तथा जी से एच मुलजिमान के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान दिनांक 04.06.2022 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत मुलजिमान अब्दुल बंटी, राजा उर्फ वसीम, शेफु द्वारा सूचना दी गयी जो प्रदर्श पी 53 लगायत पी 55 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी दो स्थान पर मुलजिम के हस्ताक्षर है। दिनांक 06.06.2022 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत मुलजिम अब्दुल व शेफु खान के द्वारा सूचना दी थी, जो प्रदर्श पी 56 व पी 57 है, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी दो स्थान पर मुलजिम के हस्ताक्षर है। मुलजिम अब्दुल बंटी की सूचना के आधार पर दिनांक 05.06.2022 को मुलजिम के रिहायशी मकान से एक नाली बंदूक टोपीदार, एक देशी कट्टा बारूद पाउडर, टोपियां एवं छर्रे बरामद किये थे, जिनकी फर्द बरामदगी एवं जप्ती प्रदर्श पी 26 है, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान, ई से एफ उसके, जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर व तीन एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। बरामदगीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 27 है, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान, ई से एफ उसके दो स्थान पर, जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर है। उसी दिन मुलजिम शेफु खान की धारा 27 की सूचना के आधार पर ने उसके रिहायशी मकान से बंदूक का टूटा हुआ पीछे का हिस्सा, भरे एवं खाली कारतूस बरामद करवाये थे, जिनकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 28 है, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान, ई से एफ उसके, जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर व तीन एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। बरामदगीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 29 है , जिस पर ए से बी व सी से डी

गवाहान, ई से एफ उसके, जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर है। उसी दिन मुलजिम राजा उर्फ वसीम अहमद की धारा 7 की सूचना के आधार पर मुलजिम के कहे अनुसार कांसखेडली के जंगल में झाडियों से एक दोनाली टोपीदार बंदूक, बारूद से भरी हुयी थैली, एक लोहे की गज, गन पाउडर, जिसका वजन 375 ग्राम बरामद किया गया था, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 30 है, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान, ई से एफ उसके, जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर व तीन एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। बरामदगीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 31 है, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान, ई से एफ उसके, जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर है। दिनांक 06.06.2022 को मुलजिम शेफु खान द्वारा दी गयी सूचना के अनुसरण में उसने अपने रिहायशी मकान के पीछे झाडियों के अंदर से बंदूक के आगे की नाली बरामद करवायी थी जो कि प्रदर्श पी 17 है, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान, ई से एफ उसके व जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर, तीन एक्स स्थान पर नमूनासील अंकित है। बरामदगीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 15 है, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान, ई से एफ उसके व जी से एच मुलजिम, आई से जे शेफु के हस्ताक्षर है। मुलजिम अब्दुल बंटी और शेफु खान की धारा 27 की सूचना के अनुसरण में फर्द निरीक्षण एवं तस्दीकस्थल नक्शा मौका सुकेत बनाया था जो प्रदर्श पी 14 है, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान, ई से एफ उसके, जी से एच मुलजिम बंटी, आई से जे शेफु खान के हस्ताक्षर है। उसका स्थानांतरण होने से पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु सीओ एससीएसटी सेल नीरज शर्मा के सुपुर्द की थी। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 30 व पी 31 वाला स्थान खुला स्थान है, जहां पर कोई भी आ जा सकता है। यह कहना गलत है कि राजा उर्फ वसीम ने कोई धारा 27 की सूचना नहीं दी हो। यह कहना भी गलत है कि राजा उर्फ वसीम से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं की गयी हो। यह कहना सही है कि धारा 27 की सूचना पर उसके अलावा किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है।यह कहना सही है कि मुख्तार मलिक भोपाल का हिस्ट्री शीटर था। उसके उपर करीब 50-60 मुकदमें चल रहे थे। यह कहना

सही है कि वह हमेशा अपने साथ हथियार लेकर चलता था। जब मुकदमा दर्ज हुआ था, तभी यह पता चला था कि यह गेंगस्टर था। यह कहना सही है कि कमल किशोर मुख्तार मलिक के पास 8-10 दिन पहले आया था। यह कहना सही है कि मुख्तार मलिक यहां पर मछली पकडने का कार्य किस वजह से कर रहा था, इसकी जानकारी उसे नहीं है। अजखुद कहा कि मुख्तार मलिक ने इरशाद नाम के व्यक्ति से मछली पकडने का कोई अग्रीमेंट किया था लेकिन यह सरकारी था या नहीं था, यह उसे पता नहीं है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 12 किसकी कलमी है, यह वह नहीं बता सकता। नक्शा मौका बनाने के लिये हेड कानि. परमानंद, कानि. सत्यनारायण, ब्रजराज सिंह, शकिल मोहम्मद, अब्दुल बंटी और उसकी सरकारी गाडी मय चालक के गये थे। नक्शा मौका प्रदर्श पी 12 वाला स्थान थाने से करीब 5-7 किमी की दूरी पर है। अजखुद कहा कि निश्चित दूरी नहीं बता सकता प्रदर्श पी 06 व प्रदर्श पी 07 मृत्यु का कारण क्या था, यह डॉक्टर ही बता सकता है, उसने सिर्फ शामिल पत्रावली किया था। यह कहना सही है कि मुलजिमान को गिरफ्तार थाने पर ही किया था। मुलजिमान पहले से ही गैर सायल के रूप में दिनांक 02.06.2022 को गिरफ्तार थे। दिनांक 03.06.2022 को उसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था। जामा तलाशी उसके सामने ही हुयी थी। हेड कानि. परमानंद ने जामा तलाशी ली थी। यह उसे पता नहीं है कि परमानंद की तलाशी किसने ली थी। संपूर्ण जामा तलाशी में करीब 15 मिनट का समय लगा था। गिरफ्तारी की सूचना किसे दी थी, यह उसे ध्यान नहीं है। फर्द में पृथक से लिखा हुआ है। फर्द पर नहीं लिखा है। यह कहना सही है कि अब्दुल बंटी, राजा और शेफु से सूचना दिनांक 04.06.2022 को प्राप्त कर ली थी। सूचना पर कार्यवाही समय अधिक होने के कारण अगले दिन की थी। प्रदर्श पी 27, पी 29, पी 31 बनाने के लिये परमानंद हेड कानि., सत्यनारायण, वह, मुलजिम अब्दुल बंटी, शेफु, राजा उर्फ वसीम मय ड्राइवर और गन मेन के मय सरकारी वाहन के गये थे। अजखुद कहा कि मुलजिमान अलग गाडी से गये थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 27 बनाने के लिये जब वे वहां पर गये थे, उस समय उसके मकान के आस पास भीड भाड थी। यह

कहना गलत है कि स्वतंत्र गवाह बनाने के लिये तहरीर जारी नहीं की हो। यह कहना सही है कि तहरीर पत्रावली पर संलग्न नहीं है। अजखुद कहा कि डायरी में उल्लेख है। यह वह नहीं बता सकता कि अब्दुल बंटी का मकान कच्चा बना हुआ हो। अब्दुल बंटी के मकान के बाहर का गेट लगभग 3 बाइ 6 के लगभग होगा। यह कहना सही है कि जब वे वहां पर पहुंचे तब अब्दुल बंटी का मकान खाली था। यह कहना सही है कि उन्होने जहाँ पर वाहन खडा किया था, वह स्थान नक्शा मौका में नहीं दर्शाया है। वाहन को करीब 50-60 फिट दूर खडा किया था। यह उसे पता नहीं है कि पहले किस मुलजिम का मकान आता है। बंटी के घर में प्रवेश सबसे पहले बंटी ने ही की थी। उसके बाद वह, सत्यनारायण, परमानंद गये थे। यह वह नहीं बता सकता है कि मकान कई दिनों से बंद था या उनके जाने की सूचना से खाली हो गया हो। बक्से की साइज व रंग आज उसे ध्यान नहीं है। बक्सा तालाबंद नहीं था। बक्सा बंटी ने खोला था। बक्सा कहां रखा था, यह वह नहीं बता सकता, किस दिशा में रखा था, यह भी वह नहीं बता सकता। बक्से में छर्रे, टोपियां, गन पाउडर थे। बक्से के अंदर और क्या सामान था, यह आज उसे ध्यान नहीं है। बंटी के बाद बक्से को सत्यनारायण कानि. ने चेक किया था। सभी सामान जो निकाला था, वह हेड कानि. परमानंद को दिया था। बारूद की थैली लगभग 619 ग्राम की थी, जिसका साइज व रंग आज उसे ध्यान नहीं है। थैली का वजन वह पत्रावली को देखकर ही बताया है। थैली कपडे की थी या प्लास्टिक की थी, यह वह नहीं बता सकता हूं। अजखुद कहा कि शायद प्लास्टिक की थी। छर्रे 212 थे, जो हेड कानि. परमानंद ने गिने थे। छर्रे भी थैली में ही थी, जो प्लास्टिक की थी। बेरल की साइज लगभग 34 इंच थी, रंग मटमेला था। बेरल पर कुछ लगा था लेकिन क्या लगा हुआ था, यह उसे पता नहीं है। बारूद का वजन पत्रावली पर लिखा हुआ है। छर्रे 212 थे, गन केप 156 थे। गन केप भी हेड कानि. परमानंद ने ही गिने थे, यह भी प्लास्टिक की थैली में थे। इनको सीलचिट मौके पर ही किया था। प्रदर्श पी 29 में शेफु के मकान के पीछे के हिस्से में एक बंदूक का टूटा हुआ हिस्सा छिपाकर रख रखा था, जो बताया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 29

वाला स्थान आम रास्ता है। अजखुद कहा कि मकान के पीछे का हिस्सा आम रास्ता नहीं है, जहां से बंदूका का टूटा हुआ हिस्सा और 12 भरे हुये कारतूस, 19 खाली कारतूस बरामद किये थे। यह कहना गलत है कि यह खुले पडे हुये हो। अजखुद कहा कि छिपाकर जमीन में रख रखे थे। थैली में थे, जो प्लास्टिक की थी या कपडे की थी, यह आज उसे ध्यान नहीं है। कारतूस 12 बोर के थे। भरे हुये कारतूस में 8 सफेद, 3 काले व 1 लाल रंग तथा 19 खाली कारतूस में 8 सफेद व 9 काले रंग के थे। यह कहना सही है कि यह सभी एक साथ थैली में थे। कारतूस शेफु ने हेड कानि. परमानंद को दिये थे। शेफु के यहां की गयी कार्यवाही में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगा था। प्रदर्श पी 31 में की गयी बरामदगी पेड के नीचे से की गयी थी। प्रदर्श पी 31 वाले स्थान से दो नाली बंदूक, एक लोहे की गज, 375 ग्राम गन पाउडर जप्त किया था। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 31 वाले स्थान पर कोई भी आ जा सकता हो। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 31 वाला स्थान खुला हुआ है। गन पाउडर प्लास्टिक की थैली में था। गन पाउडर को जमीन के अंदर दबाकर रख रखा था। गन पाउडर को राजा ने ही निकालकर परमानंद को दिया था। संपूर्ण कार्यवाही में करीब 3 घण्टे का समय लगा था। प्रदर्श पी 27, पी 29 व पी 31 जप्तीस्थल का नक्शा थाने के रीडर के द्वारा बनाया गया है। जप्त करते समय जप्ती के साथ साथ उसे गाडी में रखते गये थे और उसकी निगरानी के लिये थाने के कानि. को वहीं पर रखा था। प्रदर्श पी 57 में दी गयी सूचना के अनुसार प्रदर्श पी 18 नक्शा मौका थाने के रीडर के द्वारा बनाया गया था। प्रदर्श पी 18 वाला स्थान थाने से करीब 4-5 किमी की दूरी पर है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 18 वाले स्थान पर वह दिनांक 05.06.2022 को भी गये थे। जहां से उन्होने दिनांक 05.06.2022 को जप्ती बरामदगी की थी, उसी स्थान पर शेफु के द्वारा बंदूक की बेरल जप्त करवायी थी। बेरल को छिपा रखा था। जिस पर मिट्टी लगी थी लेकिन जंग लगी हो तो उसे पता नहीं है। यह कहना सही है कि जून का महिना था तो झाडियां सूखी हुयी थी। प्रदर्श पी 14 से कुछ भी बरामदगी नहीं हुयी थी। प्रदर्श पी 14 वाला मकान खुला हुआ था। यह मकान गली के अंदर मस्जिद के पास है। यहां पर

दोनो मुलजिम अब्दुल बंटी, शेफु और थाने के कानि. महेन्द्र कुमार, कानि. श्रवण कुमार, उसका गन मेन ड्राइवर तथा थाने की गाडी के गये थे। यह कहना गलत है कि स्वतंत्र गवाह बनाने का प्रयास नहीं किया हो। अजखुद कहा कि कोई स्वतंत्र गवाह बनने के लिये तैयार नहीं हुआ था। यह कहना गलत है कि सारी फर्दोत की कार्यवाही थाने पर बैठकर की हो। यह कहना भी गलत है कि उसने मुलजिमान को इस प्रकरण में झूठा लिप्त किया हो।

49. **पी.ड.32 सियाराम** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 11.09.2023 को पुलिस थाना असनावर में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन थाना हाजा के मुकदमा नं. 107/22 में अनुसंधान अधिकारी चक्रवती सिंह जी ने मुलजिम शफीक की निशादेही से जिस स्थान से शफीक ने मुलजिमान अब्दुल बंटी व शेफु को जिस स्थान पर देशी कट्टा व 12 बोर के कारतूस बेचे थे, उस स्थान की तस्दीक उसके समक्ष करवायी थी, फर्द तस्दीक बेचानस्थल प्रदर्श पी 58 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन मुलजिम शफीक ने जिस स्थान से देशी कट्टा खरीदा था, उस स्थान की तस्दीक उसके समक्ष करवायी थी, फर्द तस्दीक खरीदस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 59 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन मुलजिम शफीक ने जिस स्थान से कारतूस खरीदे थे, उस स्थान की तस्दीक उसके समक्ष करवायी थी, फर्द तस्दीक खरीदस्थल कारतूस प्रदर्श पी 60 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किया है कि उसे फायर आर्म्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसे केवल मौकास्थल का गवाह बनाया गया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 58 पर मोहम्मद शफीक का पता रहमानिया स्कूल के पास सी से डी भाग में होना अंकित है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 58 पर फर्द का समय दोपहर 12 बजे के लगभग का है। यह कहना सही है कि फर्द पर सितम्बर माह में बनाया जाना अंकित है। जब स्कूलों का समय दिन का रहता है। यह कहना सही है कि वे थाने से तीन चार लोग रवाना हुये थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 58, पी 59 व पी 60 में आमद रवानगी व रोजनामचा प्रविष्टी सं. का अंकन

नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 58, पी 59 व पी 60 में जिस वाहन से वे गये हो उसका भी कोई इन्द्राज नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 58, पी 59 व पी 60 में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 58, पी 59 व पी 60 में टूल बॉक्स के बारे में भी कोई अंकन नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 58, पी 59 व पी 60 वाला स्थान आस पास आम आबादी क्षेत्र है, जहां पर लोग आते जाते रहते है। यह कहना सही है कि वह जप्तशुदा बताये गये आर्टिकल की पहचान नहीं कर सकता। यह कहना सही है कि वे सरकारी वाहन से मौके पर गये थे। यह कहना सही है कि जो भी सरकारी वाहन कार्यवाही के दौरान उपयोग में लिया जाता है उसकी लॉग बुक होती है, जिसमें उसके आने जाने के समय, किमी, वाहनचालक, प्रकरण एवं संपूर्ण कार्यवाही का अंकन किया जाता है। यह कहना सही है कि लॉग बुक ड्राइवर वाहन चालक द्वारा भरी जाती है। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि लॉग बुक पत्रावली पर है या नहीं है। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि मौके पर प्रदर्श पी 58 में बताये गये रहमानिया स्कूल पर सीसीटीवी केमरे लगे थे या नहीं लगे थे। वे फर्दोत की कार्यवाही के लिये असनावर से रवाना हुये थे, डिप्टी साहब अकलेरा से आये थे। वे उनके साथ ही रवाना हुये थे। यह कहना सही है कि असनावर थाने में सीसीटीवी केमरे लगे हुये है। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि अकलेरा डिप्टी आंफिस में सीसीटीवी केमरे लगे हुये है या नहीं है। यह उसकी जानकारी मे नहीं है कि असनावर थाने की सीसीटीवी फुटेज पत्रावली पर है या नहीं है। वह यह बता सकता है कि प्रदर्श पी 58 किसकी कलमी है। अजखुद कहा कि प्रदर्श पी 58 डिप्टी साहब की और प्रदर्श पी 59 व पी 60 डिप्टी साहब के रीडर रामकिशोर की लेखनी में है। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि रामकिशोर जी को प्रकरण में गवाह बनाया है या नहीं बनाया है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 58 लगायत पी 60 में स्वतंत्र गवाहान को तलब करने बाबत कोई अंकन नहीं है। वह असनावर थाने मे वर्ष 2018 से अर्थात कार्यवाही प्रकरण के पांच साल पूर्व से पदस्थापित है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 58 में पूर्व दिशा की ओर मकान फारूख पुत्र मुन्ना का दर्शाया है, जिसके बाद आबादी

क्षैत्र भी है। यह कहना सही है कि रहमानिया मदरसा स्कूल मुलजिम शफीक के ठीक सामने स्थित है। पश्चिम में रास्ता आम आबादी क्षेत्र है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 59 में खेत चुन्नीलाल यादव, खेत व दुकान नंदलाल गुर्जर, गुर्जर ढाबा व रेस्टोरेंट, मैन रोड पर स्थित है, जेा भवानीमण्डी सुकेत मैन रोड है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 60 पर टीकम कुमार का मकान, हरीश फ्रेश दूध डेयरी, कालू प्रजापति का मकान, अब्बास मोबाइल पोइंट, देव मोबाइल स्टोर, अशोक पारेता का मकान दर्शित है।

50. **पी.ड.33 रामभरोस** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 07.02.2023 को थाना असनावर में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन थाना हाजा के मुकदमा नं. 107/22 में अनुसंधान अधिकारी गिरधर सिंह जी ने उसके व सत्यनारायण हेड कानि. के समक्ष मुलजिमान रियासत खान पुत्र अब्दुल शौकत निवासी कांसखेडली, कदीर पुत्र बसीर निवासी कांसखेडली, घीसू उर्फ सलाम पुत्र जहीर निवासी कांसखेडली, घीसू पुत्र नजीर निवासी कांसखेडली, लियाकत पुत्र अब्दुल शौकत निवासी कांसखेडली, अब्दुल शफीक उर्फ नंदू उर्फ अब्दुल शरीफ पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी कांसखेडली को कर्यालय अकलेरा में गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी क्रमशः प्रदर्श पी 37 लगायत पी 42 है, जिन सभी पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन अनुसंधान अधिकारी ने उसके व सत्यनारायण के समक्ष मुलजिम रियासत खान की जामा तलाशी के दौरान पेंट की जेब से एक एंड्रोइड मोबाइल वीवो कंपनी का मिला, जिसे बतौर वजह सबूत जप्त कर एक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क एफ दिया था, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 43 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन अनुसंधान अधिकारी ने उसके व सत्यनारायण के समक्ष मुलजिम कदीर की जामा तलाशी के दौरान उसकी पहनी हुयी पेंट की जेब से एक कीपेड मोबाइल लावा कंपनी का मिला, जिसे बतौर वजह सबूत जप्त कर एक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क जी दिया था, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 44 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन अनुसंधान अधिकारी ने उसके व सत्यनारायण के समक्ष मुलजिम घीसू उर्फ सलाम पुत्र जहीर की जामा तलाशी के दौरान उसकी पहनी

हुयी शर्ट की जेब से एक कीपेड मोबाइल नोकिया कंपनी का मिला, जिसे बतौर वजह सबूत जप्त कर एक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क एच दिया था, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 45 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन अनुसंधान अधिकारी ने उसके व सत्यनारायण के समक्ष मुलजिम लियाकत खान की जामा तलाशी के दौरान उसकी पहनी हुयी पेंट की जेब से एक एंड्रोइड मोबाइल वीवो कंपनी का मिला, जिसे बतौर वजह सबूत जप्त कर एक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क आई दिया था, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 46 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन अनुसंधान अधिकारी ने उसके व सत्यनारायण के समक्ष मुलजिम अब्दुल शफीक उर्फ नंदू उर्फ अब्दुल शरीफ की जामा तलाशी के दौरान उसकी पहनी हुयी पेंट की जेब से एक कीपेड मोबाइल नोकिया कंपनी का मिला, जिसे बतौर वजह सबूत जप्त कर एक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क जे दिया था, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 47 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 08.02.2023 को अनुसंधान अधिकारी ने उसके व सत्यनारायण के समक्ष मुलजिमान रियासत, कदीर, घीसू उर्फ सलाम, घीसू पुत्र नजीर, लियाकत, अब्दुल शफीक उर्फ नंदू उर्फ अब्दुल शरीफ की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 48 बनाया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने कथन किया है कि वह असनावर थाने में वर्ष 2018 से पदस्थापित है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 48 उनके थाने क्षैत्र में पडता है। घटना के समय इस क्षैत्र का बीट कानि. कोई और थे, जो अनुपस्थित थे, इस कारण उसकी बीट से लिंक कर रखा था। वे थाने से सरकारी गाडी से गये थे। डिप्टी साहब गिरधर सिंह जी अकलेरा से आये थे, जिनके साथ वे कार्यवाही हेतु गये थे। यह कहना सही है कि आरोपीगण को वह पूर्व से जानता था। यह कहना सही है कि जिस दिन मुलजिमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुयी थी, उस दिन वह थाने पर ही उपस्थित था। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि उस दिन डीओ कौन था। यह कहना गलत है कि उन्होने सारी कार्यवाही थाने पर बैठकर की हो। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि आरोपीगण के खिलाफ

प्रथम बार तहरीर रिपोर्ट थाने पर किसने दी थी। यह कहना सही है कि प्राथमिकी के समय से लेकर बताये गये आरोपीगण की गिरफ्तारी के समय के बीच में हस्तगत प्रकरण में वह किसी अन्य बात का गवाह नहीं है।

51. **पुनः पी.ड.33 रामभरोस** मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 12.12.2023 को थाना असनावर पर कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन मालखाना इंचार्ज राजेन्द्रसिंह हैड कानि. ने थाना हाजा के प्रकरण संख्या 107/2022 मे जप्तशुदा व सील्डशुदा दो पैकेट मार्क डी व ई मय थाने के अग्रेषण पत्र मार्फत एस पी साहब के अग्रेषण पत्र पैकेट मार्क डी मेडिकल कॉलेज झालावाड व पैकेट ई एफ.एस.एल. कोटा मे जमा करवाने हेतु रवाना किया था। वह थाने से रवाना होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय झालावाड पहुचा। जहाँ पर अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर वहाँ से रवाना होकर पेथोलॉजिस्ट मेडिकल कॉलेज झालावाड पहुँचा जहॉ पर दिनांक 12.12.2023 को पैकेट मार्क डी जमा करवाकर जमा रसीद प्राप्त की थी व वहा से रवाना होकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला कोटा पहुँचा जहाँ पर पहुचकर दिनांक 13.12.2023 को सील्डशुदा पैकेट ई जमा करवाकर जमा रसीद संख्या आरएफएसएल(केओटी)/1933/बीआईओ/23 दिनांक 13.12.2023 प्राप्त की। वापसी थाने पर दोनो माल पैकेट डी व ई जमा रसीद मालखाना इंचार्ज राजेन्द्र सिंह हैड कानि. के सुपुर्द की थी। थाने के अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 83 व पी 84 है। एस. पी. साहब का अग्रेषण पत्र क्रमशः प्रदर्श पी 85 व 86 है जिन प्रत्येक पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। माल जमा रसीद क्रमशः प्रदर्श पी 87 व पी 88 है।

52. **पी.ड.34 गिरधरसिंह** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 26.11.2022 को वृत्ताधिकारी अकलेरा के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना असनावर के प्रकरण सं. 107/2022 की पत्रावली जेर तफतीश 173 (8) सी.आर.पी.सी. की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई। उसके द्वारा गवाह आरिफ गौरी, इरशाद माहगीर के बयान उनके कहे अनुसार 161 सीआर.पी.सी. के तहत लेखबद्ध किये गये। इरशाद द्वारा प्रस्तुत भीम सागर डेम में मछली पकड़ने का ठेका के सम्बन्ध में

दस्तावेज प्रदर्श पी 61 है जिस पर ए से बी शामिल पत्रावली करने की नोटिग व सी से डी उसके हस्ताक्षर है इरशाद द्वारा ठेके को आगे पेटी पर शीबा मलिक पत्नी मुख्तार मलिक को देने के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेजो की प्रतियां शामिल पत्रावली की गई। एफ.एस.एल. से प्राप्त रिपोर्ट नम्बर 225/2022 दिनांक 02.02.2023 जो प्रदर्शपी 62 है तथा मृतक के शर्ट के सम्बन्ध में एफ.एस.एल. की रिपोर्ट 225/2022 दिनांक 20.02.2023 है जो प्रदर्शपी 63 है। प्रकरण में वांछित मुलजिमान रियासत खान, कदीर पुत्र बशीर, घीसु उर्फ सलाम पुत्र जहीर, घीसु पुत्र नजीर, लियाकत पुत्र अब्दुल शौकत, अब्दुल शफीक उर्फ नन्दू उर्फ अब्दुल शरीफ पुत्र अब्दुल लतीफ को उनके जुर्म से आगाह कर दिनांक 07.02.2023 को जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया जो क्रमशः प्रदर्शपी 37 लगायत 42 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर, ई से एफ उसके हस्ताक्षर जी से एच आरोपीगण के हस्ताक्षर है। आई से जे गिरफ्तारी की सूचना प्राप्तकर्ता इमरान अली के हस्ताक्षर है। मुलजिमान रियासत खान, कदीर, घीसु उर्फ सलाम, लियाकत, अब्दुल शफीक उर्फ नन्दू,से जामा तलाशी में पांच मोबाईल जरिये फर्द जप्ती जप्त किये गये जो प्रदर्शपी 43 लगायत 47 है जिस पर पर ए से बी, सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर, ई से एफ उसके हस्ताक्षर जी से एच आरोपीगण के हस्ताक्षर है। तीन एक्स स्थान पर उसकी नमूना सील अंकित है। सभी छः मुलजिमान क्रमशः रियासत खान, कदीर, घीसु उर्फ सलाम, घीसु पुत्र नजीर, लियाकत खान, अब्दुल शफीक उर्फ नन्दू द्वारा कासखेड़ली के माल में भीमसागर डेम के पानी में फायर करने व पत्थर फेकने के स्थान के सम्बन्ध में सूचना अन्तर्गत धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की दी जो प्रदर्श पी क्रमशः 64 से 69 है जिस पर ए से बी मुलजिमान के सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिमान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तस्दीक मौका घटनास्थल मुर्तिब किया गया जो प्रदर्शपी 48 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर, ई से एफ, जी से एच, आई से जे, के से एल, एम से एन, ओ से पी मुलजिमान के हस्ताक्षर है क्यू से आर उसके हस्ताक्षर है। मुलजिमान को सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। इसके पश्चात उसका स्थानान्तरण

दिनांक 02.05.2023 को अन्यत्र होने से पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु श्री कैलाश चन्द आरपीएस को प्रस्तुत की। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि अभियुक्त राजा उर्फ वसीम के सम्बन्ध में उसके द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया। यह कहना सही है कि मुख्तार मलिक भोपाल का बड़ा अपराधी था। इसके उपर दर्ज मुकदमों की संख्या की जानकारी उसे नहीं है। मुख्तार मलिक हर समय हथियार लेकर चलता हो इस सम्बन्ध में उसने कोई अनुसधांन नहीं किया। उसके अनुसंधान में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये कि मुख्तार मलिक ने मध्य प्रदेश के किसी मुख्य मंत्री को कोई धमकी दी हो। यह कहना सही है कि इरशाद ने अपने मछली आखेट के ठेके में अब्दुल बंटी को पार्टनर बनाया था। यह कहना सही है कि दस्तावेज प्रदर्शपी 61 की सम्बन्धित विभाग से उसकी सत्यता के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान नहीं किया। यह कहना सही है कि इरशाद द्वारा मछली के ठेके को आगे पेटी में देने के सम्बन्ध में प्रदर्शपी 61 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता के सम्बन्ध में उसने कोई अनुसंधान नहीं किया। प्रदर्शपी 62 में जप्त प्रदर्श पूर्व अनुसंधान अधिकारी द्वारा जप्त किये गये थे। यह कहना सही है कि उसके द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों को उसके कार्यालय में ही गिरफ्तार किया था, इनको असनावर पुलिस द्वारा निरूद्ध कर दिनांक 07.02.2023 को अनुसंधान के लिये पेश किया था। वह मुलजिमानो से घटना के पूर्व से परिचित नहीं था। यह कहना सही है कि मुलजिमान से उसके द्वारा मोबाइल के अलावा अन्य कोई वस्तु जप्त नहीं की गई। प्रदर्शपी 48 कार्यालय के किस व्यक्ति का कलमी है ये वह आज नहीं बता सकता। प्रदर्शपी 48 का स्थान उसके कार्यालय से करीब 30-35 किलोमीटर दूर है। प्रदर्शपी 48 को मुर्तिब करते समय पुलिस की तीन गाडिया घटनास्थल पर गई थी। यह कहना सही है कि धारा 27 की सूचना 07.02.2023 को बाद गिरफ्तारी शाम के समय दी थी जिसकी तस्दीक अगले दिवस प्रातः करवाई थी। नक्शे मौका प्रदर्शपी 48 पर सामान्य आवाजाही है। यह कहना सही है कि घटनास्थल तस्दीक के गवाह पुलिस कार्मिक है। जहां उन्होने वाहन खड़ा किया वहाँ से घटनास्थल की दूरी 10-15 मीटर है। यह कहना

गलत है कि उसने परिवादीगण से मिली भगत कर झूठा मामला बनाया हो और आरोपीगण को झूठा फंसाया हो।

53. **पी.ड.35 राजेन्द्र सिंह** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 01.06.22 को थाना असनावर में हैड कानि. के पद पर तैनात होकर मालखाना इंचार्ज भी था। उस दिन प्रकरण संख्या 107/22 धारा 147, 148, 149, 336, 302 भा.द.सं. 3(2)(वी) में मृतक कमल किशोर की सील्डशुदा पैकेट मार्क ए श्री बालचंद एएसआई ने जमा मालखाना करवाया था। जिसे उसने जमा मालखाना किया था, मालखाना रजि. क्रमांक 180 दिनांक 01.06.22 पर दर्ज है। इसी प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री बृजमोहन आरपीएस ने अनुसंधान के दौरान दिनांक 05.06.22 को मुलजिम अब्दुल बंटी के कब्जे से जप्त पैकेट मार्क बी 1, बी 2, बी 3, बी 4, बी 5 मुलजिम सैफू खां से मार्क सी 1, सी 2, सी 3 मुलजिम राजा उर्फ वसीम से डी 1, डी 2 व मार्क ई उक्त सील्डशुदा पैकेट अनुसंधान अधिकारी द्वारा दिये थे जिसे उसने मालखाना रजि. मे इंद्राज कर जमा मालखाना किया था। उक्त सभी पैकेटों को दिनांक 25.08.22 को एफ.एस.एल. जमा हेतु ललित कुमार कानि. 365 व दिलीप कुमार कानि. 1530 को जमा एफ.एस.एल. जयपुर के मय अग्रेषण पत्र के दिये थे जिन्होने जमा रसीद संख्या 18070 दिनांक 26.08.22 की जमा रसीद उसे लाकर पेश की थी जो उसने संबंधित आईओ का इंद्राज करके सूपुर्द कर दी थी। मृतक मुख्तार मलिक पोस्टमार्टम के दौरान लिए गये आर्टिकल्स ए से जी तक उसने जमा मालखाना किया था। उक्त पैकेटों में से पैकेट ए, बी, सी को जमा कराने हेतु तेजकरण कानि. को दिया था, पैकेट डी और ई को रामभरोस कानि. को मय अग्रेषण पत्र के झालावाड़ और कोटा जमा कराने हेतु दिया था, मार्क एफ व जी जार को लालचंद कानि. को मय अग्रेषण पत्र के जयपुर जमा कराने हेतु दिया था। असल मालखाना रजि. प्रदर्शपी 70 है जिस पर ए से बी जमा माल का विवरण है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, जिस पर ई से एफ माल एफ.एस.एल. हेतु भेजने का अंकन है, जिस पर सी से डी उसके व जी से एच दिलीप कानि. व आई से जे ललित के हस्ताक्षर है, के से एल वापसी थाने पर जमा

रसीद देने का अंकन है, जिस पर सी से डी उसके जी से एच दिलीप व आई से जे ललित के हस्ताक्षर है, एम से एन पोस्टमार्टम के दौरान लिए गये आर्टिकल्स जमा का अंकन है, ओ से पी एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु आर्टिकल्स जार एफ और जी एफ.एस.एल. भेजने बाबत रवानगी का अंकन है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, माल क्यू से आर माल वापसी थाने पर जमा रसीद पेश करने का अंकन है जिस पर सी से डी उसके एस से टी लालचंद के हस्ताक्षर है, यू से वी मार्क ई एक जार को एफ.एस.एल. कोटा मे भेजने का अंकन है जिस पर सी से डी उसके और डबल्यू से एक्स रामभरोस के हस्ताक्षर है, वाई से जेड माल जमा रसीद वापसी थाने पर पेश करने का अंकन है जिसपर सी से डी उसके और डबल्यू से एक्स रामभरोस के हस्ताक्षर है। मालखाना रजि. की सत्यप्रति प्रदर्शपी 70 ए है। मार्क ए सफेद कपडे की थैली में सील्डशुदा हालत में है जिसके अंदर एक सफेद कपडे की थैली जिसके उपर चिट मार्क ए लगा हुआ है जो प्रदर्शपी 71 है जिस पर ए से बी थानाधिकारी असनावर के हस्ताक्षर है, तीन जगह नमुना सील अंकित है और सी से डी व ई से एफ गवाहान के हस्ताक्षर है, जी से एच जुगल किशोर के हस्ताक्षर है। जिसके अंदर एक शर्ट निकली जो आर्टिकल 01 है, जिस पर एफ.एस.एल. प्रयोगशाला जयपुर की रसीद है। मार्क बी 1 सफेद कपडे की थैली में तीन जगह सील सील्डशुदा हालत में है, जिसके अंदर एक सफेद कपडे की थैली धागे से बंधी हुइ है जिसके उपर चिट मार्क बी1 लगा हुआ है जो प्रदर्श पी 72 है जिस पर ए से बी आरमोर्रर झालावाड के हस्ताक्षर है, तीन जगह नमुना सील अंकित है जो एक नाली टोपीदार बंदुक है जो आर्टिकल 2 है। मार्क बी 2 सफेद कपडे की थैली में सील्डशुदा हालत में है जिसके अंदर एक सफेद कपडे की थैली जिसके उपर चिट मार्क बी 2 लगा हुआ है जो प्रदर्श पी 73 है जिस पर ए से बी आरमोर्रर झालावाड के हस्ताक्षर है, तीन जगह नमुना सील अंकित है एक थैली के अंदर बारूद निकला जो आर्टिकल 3 है। मार्क बी 3 सफेद कपडे की थैली में सील्डशुदा हालत में है जिसके अंदर एक सफेद कपडे की थैली जिसके उपर चिट मार्क बी 3 लगा हुआ है जो प्रदर्श पी 74 है जिस पर ए से बी आरमोर्रर झालावाड के हस्ताक्षर है, तीन

जगह नमुना सील अंकित है एक प्लास्टिक की डिब्बी जिसके अंदर एफ.एस.एल. की रसीद व टोपिया निकली जो आर्टिकल 4 है। मार्क बी 4 सफेद कपडे की थैली में सील्डशुदा हालत में है जिसके अंदर एक सफेद कपडे की थैली जिसके उपर चिट मार्क बी 4 लगा हुआ है जो प्रदर्श पी 75 है जिस पर ए से बी आरमोर्रर झालावाड के हस्ताक्षर है, तीन जगह नमुना सील अंकित है जिसमें एक प्लास्टिक की डिब्बी जिसके अंदर एफ.एस.एल. की रसीद व शीशे के छर्रे निकले, एक लिफाफे के अंदर बडे आकार के सीसे के छर्रे निकले जो आर्टिकल 5 है। मार्क बी 5 सफेद कपडे की थैली में सील्डशुदा हालत में है जिसके अंदर एक सफेद कपडे की थैली धागे से बंधी हुई है जिसके उपर चिट मार्क बी 5 लगा हुआ है जो प्रदर्श पी 76 है जिस पर ए से बी आरमोर्रर झालावाड के हस्ताक्षर है, तीन जगह नमुना सील अंकित है जिसमें एक देशी कट्टा निकला है जो आर्टिकल 6 है। मार्क सी 1 सफेद कपडे की थैली में सील्डशुदा हालत में है, जिसके अंदर एक सफेद कपडे की थैली धागे से बंधी हुई है जिसके उपर चिट मार्क सी 1 लगा हुआ है जो प्रदर्श पी 77 है जिस पर ए से बी आरमोर्रर झालावाड के हस्ताक्षर है, तीन जगह नमुना सील अंकित है जिसमें एक 12 बोर का लकडी का बट निकला है जो आर्टिकल 7 है। मार्क सी 2 सफेद कपडे की थैली में सील्डशुदा हालत में है जिसके अंदर एक सफेद कपडे की थैली धागे से बंधी हुई है जिसके उपर चिट मार्क सी 2 लगा हुआ है जो प्रदर्श पी 78 है जिस पर ए से बी आरमोर्रर झालावाड के हस्ताक्षर है, तीन जगह नमुना सील अंकित है जिसमें एक कपडे की बेल्ट जिस पर 12 बोर कारतूस राउंड निकले है जो आर्टिकल 8 है। मार्क सी 3 सफेद कपडे की थैली में सील्डशुदा हालत में है जिसके अंदर एक सफेद कपडे की थैली धागे से बंधी हुई है जिसके उपर चिट मार्क सी 3 लगा हुआ है जो प्रदर्श पी 79 है जिस पर ए से बी आरमोर्रर झालावाड के हस्ताक्षर है, तीन जगह नमुना सील अंकित है जिसे खोला गया जिसमें 19 खाली खोखे कारतूस निकले है जो आर्टिकल 9 है। मार्क डी 1 सफेद कपडे की थैली में तीन जगह सील सील्डशुदा हालत में है जिसे खोला गया, जिसके अंदर एक सफेद कपडे की थैली धागे से बंधी हुई है जिसके उपर चिट

मार्क डी 1 लगा हुआ है जो प्रदर्शपी 80 है जिस पर ए से बी आरमोर्रर झालावाड के हस्ताक्षर है, तीन जगह नमुना सील अंकित है जो दो नाली टोपीदार बंदुक है जो आर्टिकल 10 है। मार्क डी 2 सफेद कपडे की थैली में तीन जगह सील सील्डशुदा हालत में है। जिसके अंदर एक सफेद कपडे की थैली धागे से बंधी हुई है जिसके उपर चिट मार्क डी 2 लगा हुआ है जो प्रदर्शपी 81 है जिस पर ए से बी आरमोर्रर झालावाड के हस्ताक्षर है, तीन जगह नमुना सील अंकित है जिसके अंदर एक प्लास्टिक की थैली मे बारूद निकला जो आर्टिकल 11 है। मार्क ई सफेद कपडे की थैली में तीन जगह सील सील्डशुदा हालत में है जिसके अंदर एक सफेद कपडे की थैली धागे से बंधी हुई है जिसके उपर चिट मार्क ई लगा हुआ है जो प्रदर्श पी 82 है जिस पर ए से बी आरमोर्रर झालावाड के हस्ताक्षर है, तीन जगह नमुना सील अंकित है जिसके अंदर एक एक नाल निकली जो आर्टिकल 12 है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि वह असनावर थाने पर माल खाना इंचार्ज के पद पर तैनात था। यह कहना भी सही है कि उसके द्वारा जो मालखाना में जो पैकेट जमा किये थे वह एएसआई बालचंद जी एवं आरपीएस बृजमोहन ने सील्डशुदा ही दिये थे जिसे उसने मालखाना रजि. में इंद्राज किया था। यह कहना सही है कि जिस दिन पैकेट मालखाने में जमा किये थे उनको आज हाजिर अदालत में खोलकर देखा है। यह कहना सही है कि जप्ती के अनुसार ही मालखाना रजि. में इंद्राज किया था। यह कहना सही है कि अनुसंधान अधिकारी के अग्रेषण पत्र के अनुसार मालखाने से माल निकालकर विशेष वाहक को दिया था।

54. **पी.ड.36 ललित कुमार** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 25.08.22 को थाना असनावर में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन प्रकरण संख्या 107/22 मालखाना इंचार्ज राजेन्द्र सिंह जी ने प्रकरण में जप्तशुदा माल पैकेट मार्क ए, बी 1, बी 2, बी 3, बी 4, बी 5, सी 1, सी 2, सी 3, डी 1, डी 2 व मार्क ई कुल 12 पैकेट सील्डशुदा अवस्था में रासायनिक परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. जयपुर में जमा कराने हेतु मय थाने का अग्रेषण पत्र, मार्फत एस.पी साहब झालावाड के अग्रेषण

पत्र जमा कराने हेतु उसे और दिलीप कानि. को देकर रवाना किया था। वह और दिलीप मय माल थाने से रवाना होकर एस.पी. आफिस झालावाड पहुचे। वहां से अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर जयपुर के लिए रवाना हुए। दिनांक 26.08.22 एफ.एस.एल. जयपुर माल जमा कराकर जमा रसीद संख्या 18070 प्राप्त की। वापसी थाने आकर जमा रसीद राजेन्द्र सिंह मालखाना इंचार्ज को सुपूर्द की थी। थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 71 है। एस.पी. साहब का अग्रेषण पत्र प्रदर्शपी 72 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। माल जमा रसीद प्रदर्शपी 73 है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 71 पर ए से बी स्थान पर दिनांक का अंकन नही है। यह कहना भी सही है कि प्रदर्शपी 71 पर विशेष वाहक का नाम एवं नमूना हस्ताक्षर क्रमशः सी से डी, ई से एफ अंकित नही है, खाली स्थान है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 71 पर अग्रेषण पत्र एवं आर्टिकल दिये जाने के संबंध मे आमद रवानगी, रोजनामचा प्रविष्टि संख्या का अंकन नही है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 71 उसे मालखाना इंचार्ज ने दिया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 72 अग्रेषण पत्र पर उसके साथ माल लेकर जाने वाले दिलीप जी का नाम वाहक के रूप मे अंकित नही है। यह कहना सही है कि उसे थाने से प्रदर्श पी 71, 72 तथा उनमें अंकित पैकेट के अलावा और कुछ नही दिया था। यह कहना सही है कि प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 73 के संबंध में संबंधित कार्यालय से माल प्राप्ति एवं रवानगी की प्रविष्टी के संबंध में संधारण किये जाने वाले रजि. की प्रति प्राप्त नही की गई। यह कहना सही है कि रसीद प्रदर्श पी 73 कम्प्युटर जनरेटेड है। यह कहना भी सही है कि जिस कम्प्युटर से यह रसीद निकाली गई उस कम्प्युटर से संबंधित रिकॉर्ड उस कार्यालय से नही दिया गया। यह कहना भी सही है कि प्रदर्श पी 73 पर नेम आंफ मैसेंजर में सिर्फ उसका नाम अंकित है। रसीद प्रदर्शपी 73 जिनके द्वारा हस्ताक्षरित है उनसे वह नही मिला। रसीद प्रदर्श पी 73 जिनके द्वारा हस्ताक्षरित है उनके द्वारा उसे नही दी गई किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई जो कार्यालय में कार्यरत था। यह कहना सही है कि जिनके द्वारा यह रसीद दी गई उनके पद व नाम, अधिकारीता पत्र के संबंध में कोई

दस्तावेज एफएसएल कार्यालय से प्राप्त नही किया। यह कहना सही है कि पैकेट के संबंध में थाने से आमद रवानगी का रोजनामचा प्रविष्टी संख्या का प्रदर्श पी 71, 72 में नही है। यह कहना गलत है कि सारी कार्यवाही थाने पर बैठ कर थाने के कम्प्युटर पर बैठकर की हो।

55. **पी.ड.37 दलीप कुमार** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 25.08.22 को थाना असनावर मे कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन प्रकरण संख्या 107/22 मालखाना इंचार्ज राजेन्द्र सिंह जी ने प्रकरण में जप्तशुदा माल पैकेट मार्क ए , बी 1, बी 2, बी 3, बी 4, बी 5, सी 1, सी 2, सी 3, डी 1, डी 2 व मार्क ई कुल 12 पैकेट सील्डशुदा अवस्था में रासायनिक परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. जयपुर में जमा कराने हेतु मय थाने का अग्रेषण पत्र, मार्फत एस.पी. साहब झालावाड के अग्रेषण पत्र जमा कराने हेतु माल ज्यादा होने से उसे ललित कुमार कानि. के साथ रवाना किया था। वह और ललित मय माल थाने से रवाना होकर एस.पी. आफिस झालावाड पहुचे वहां से अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर जयपुर के लिए रवाना हुए। दिनांक 26.08.22 एफ.एस.एल. जयपुर में ललित कानि. ने माल जमा कराकर जमा रसीद संख्या 18070 प्राप्त की थी। वापसी थाने आकर उसने और ललित जी ने जमा रसीद राजेन्द्र सिंह मालखाना इंचार्ज को सुपूर्द की थी। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि थानाधिकारी महोदय ने ऐसा कोई लेटर जारी नही किया था कि माल ज्यादा होने से उसे साथ जाना है जो अग्रेषण पत्र थाने से दिया था उसमें दिनांक 25.08.22 भरी हुई थी। यह कहना सही है कि जो अग्रेषण पत्र जारी होते है उसमें विशेष वाहक के नाम होता है। यह उसे पता नही है कि प्रदर्श पी 71 उसे थानाधिकारी ने दिया था या मालखाना इंचार्ज ने दिया था। यह कहना गलत है कि सारी कार्यवाही थाने पर बैठ कर थाने के कम्प्युटर पर बैठकर की हो।

56. **पी.ड.38 योगेन्द्र** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 10.07.2022 को पुलिस लाइन झालावाड में आरमोर्रर के पद पर तैनात था। उस दिन थाना हाजा के मुकदमा नं. 107/22 में जप्तशुदा आर्टिकल माल मार्क बी1, बी2, बी3,

बी4, बी5, सी1, सी2, सी3, डी1, डी2 व ई अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 336 भा.द.सं. व 3/25, 5/25 आर्म्स एक्ट में पी.एस. असनावर झालावाड की सील्ड से सील हालत में सुरेश कानि. 498 ने वास्ते यान्त्रिक परीक्षण उसके समक्ष पेश की, जिसकी सील उक्त कानि. के सामने खोलकर मुताबिक तहरीर परीक्षण किया। मार्क बी 1 एक नाली मजल लोडेड टोपीदार गन जो लोहे की बनी हुई थी, गन का बट लकडी का बना हुआ था, गार्ड, ट्रिगर व प्लेट बट पीतल के थे। लोहे का गज गन के साथ लगा हुआ था। बैरल पर 486 नंबर अंकित था। वक्त परीक्षण गन का ट्रिगर मेकेनिज्म सही कार्य कर रहा था। गन फायर करने योग्य थी जो फायर आर्म्स की श्रेणी में आती है। मार्क बी 2 बारूद जो एमएल गन टोपीदार में प्रयोग किया जाता है। मार्क बी 3 एक प्लास्टिक की गोल डिब्बी जिसके अन्दर 156 गन केप (टोपी) जो पीतल की बनी हुई थी। एमएल गन टोपीदार में प्रयोग में आती है। मार्क बी 4 एक प्लास्टिक की गोल डिब्बी जिसके अन्दर छोटी-बड़ी साइज के 212 छर्रे भरे हुए थे जिनको टोपीदार गन में फायर करने में उपयोग में लिया जाता है। मार्क बी 5 एक नाली देशी कट्टा एमएल टोपीदार लोहे का बना हुआ था। पिस्टल ग्रिप लकड़ी की बनी हुई थी। वक्त परीक्षण कट्टे का ट्रिगर मेकेनिज्म सही कार्य कर रहा था। कट्टा फायर करने योग्य था जो फायर आर्म्स की श्रेणी में आता है। मार्क सी 1, 12 बोर गन की बॉडी लोकल मेटल की बनी हुई थी। जिसका बट लकड़ी का बना हुआ था। वक्त परीक्षण गन का ट्रिगर मेकेनिज्म सही कार्य कर रहा था। गन फायर करने योग्य थी जो फायर आर्म्स की श्रेणी में आती है। मार्क सी 2, 12 कारतूस 12 बोर के जो प्लास्टिक के बने हुए थे। कारतूसों पर पीतल की केप फिट थी। कारतूसों में से 09 कारतूसों पर शक्तिमान एक्सप्रेस 12 अंकित था व 03 कारतूसों केप पर आरसी इटली 12 अंकित था। वक्त परीक्षण सभी कारतूस जिंदा अवस्था में थे जो एम्यूनेशन की परिभाषा में आता है। मार्क सी 3, 19 खाली खोखे कारतूस 12 बोर प्लास्टिक के बने हुए थे। जप्तशुदा खाली खोखे कारतूस जो एम्यूनेशन की परिभाषा में आता है। मार्क डी 1 दो नाली मजल लोडेड टोपीदार गन जो लोहे की बनी हुई थी, गन का बट लकडी का बना हुआ था,

गार्ड, ट्रिगर व प्लेट बट पीतल के थे। लोहे का गज गन के साथ लगा हुआ था। बैरल पर 1557 नंबर अंकित था। वक्त परीक्षण गन का ट्रिगर मेकेनिज्म सही कार्य कर रहा था। गन फायर करने योग्य थी जो फायर आर्म्स की श्रेणी में आती है। मार्क डी 2 बारूद जो एमएल गन टोपीदार में प्रयोग किया जाता है। मार्क ई 12 बोर एक नाली बेरल लोकल मेंटल की बनी हुई थी जो फायर आर्म्स की श्रेणी में आती है। बाद परीक्षण उक्त सभी आर्टिकल माल पूर्ववर्ती पेकिंग सफेद कपडे की थैलियो में रखकर आरमोर्रर आर.एल. झालावाड़ की सील से सील्डकर सुरेश कानि. को मय माल व रिपोर्ट सुपूर्द कर वापस थाना असनावर रवाना किया। आरमोर्रर रिपोर्ट प्रदर्श पी 74 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व तीन एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसका कार्य 3/25 के अंतर्गत जो भी हथियार जप्त होता है उसका यांत्रिक परीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करना होता है। यह कहना सही है कि मार्क बी1 उसने स्वयं ने खोला था। यह कहना सही है कि मार्क बी 1 असनावर थाने की सील से बंद होकर उसके पास आई थी। यह वह नही बता सकता कि मार्क बी 1 मे जप्त हथियार कितने वर्ष पुराना है। यह कहना सही है कि उसके द्वारा पेश किये गये हथियार को चला कर देखा गया था। यह कहना सही है कि उसके द्वारा यह नही बताया जा सकता कि बरामद हथियार से पिछली बार कब फायर हुआ था। आज उसे याद नही है कि मार्क बी 2 में बारूद किस प्रकार का था। मार्क बी 4 में छर्रो की डिब्बी ही बरामद हुई थी उन छर्रो के साथ मार्क बी 4 मे बारूद नही था। यह कहना सही है कि टोपीदार गन मे प्रयोग होने वाले छर्रो को खरीद करने के लिए अनुज्ञा पत्र की जरूरत होती है। यह उसे पता नही है कि कारतूस केप पर आरसी ईटली जो अंकित है वह कारतूस भारत में ब्रिकी के लिए मान्य है या नही। यह कहना सही है कि थाना असनावर के द्वारा जप्त शुदा माल की उसके द्वारा परीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की गई थी।

57. **पी.ड.39 लालचंद** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 07.12.2023 को थाना असनावर पर कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन

मालखाना इंचार्ज राजेन्द्रसिंह हैड कानि. ने थाना हाजा के प्रकरण संख्या 107/2022 में जप्तशुदा व सील्डशुदा दो पैकेट मार्क एफ व जी मय थाने के अग्रेषण पत्र मार्फत एस.पी. साहब के अग्रेषण पत्र रसायनिक परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. जयपुर में जमा करवाने हेतु रवाना किया था। थाने से रवाना होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय झालावाड पहुचा जहा पर अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर जयपुर के लिए रवाना होकर दिनांक 08.12.2023 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर पहुचकर सील्डशुदा पैकेट मार्क एफ व जी जमा करवाकर जमा रसीद संख्या एस.एफ.एस.एल.(जे.ए.आई.)/ 29358/ बी.ए.एल/23 दिनांक 08.12.2023 प्राप्त की। वापसी थाने पर माल जमा रसीद मालखाना इंचार्ज राजेन्द्रसिंह हैड कानि. के सुपुर्द की थी। थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 75 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एस. पी.साहब का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 76 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। माल जमा रसीद प्रदर्श पी 77 है। इस गवाह से किसी प्रकार प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है।

58. **पी.ड.40 तेजकरण** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 18.12.2023 को थाना असनावर पर कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन मालखाना इंचार्ज राजेन्द्रसिंह हैड कानि. ने थाना हाजा के प्रकरण संख्या 107/2022 में जप्तशुदा व सील्डशुदा तीन पैकेट मार्क ए, बी व सी मय थाने के अग्रेषण पत्र मार्फत एस.पी. साहब के अग्रेषण पत्र रसायनिक परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. कोटा मे जमा करवाने हेतु रवाना किया था। थाने से रवाना होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय झालावाड पहुचा जहा पर अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर कोटा के लिए रवाना होकर दिनांक 19.12.2023 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला कोटा पहुचकर पैकेट मार्क ए, बी व सी सील्डशुदा हालत में जमा करवाकर जमा रसीद संख्या आर.एफ.एस.एल. (के.ओ.टी.)/1989/टी.ओ.एक्स/23 दिनांक 19.12.2023 प्राप्त की। वापसी थाने पर माल जमा रसीद मालखाना इंचार्ज के सुपुर्द की थी। थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 78 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एस.पी. साहब का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 79 है

जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। माल जमा रसीद प्रदर्श पी 80 है। इस गवाह से किसी प्रकार प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है।

59. **पी.ड.41 मोहम्मद इरशाद** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिल्ली का रहने वाला है और मछली पकडने की ठेकेदारी का काम करता है। उसने राजस्थान सरकार से मछली पकडने का लाइसेंस ले रखा है जिसका लाइसेंस नंबर 0009015 है। उक्त लाइसेंस से दिनांक 21.10.2021 को भीमसागर डेम जिला झालावाड का मछली पकडने का 20 लाख रूपए में ठेका लिया था। उस समय उसके ठेके मे 25 प्रतिशत में बंटी निवासी कासखेडली व घनश्याम निवासी असनावर एवं 25 प्रतिशत मे आरिफ गौरी निवासी खिलचीपुर व 50 प्रतिशत मे वह, नसीम निवासी दिल्ली, फरीद निवासी दिल्ली व जहीर अब्बास मंसूरी निवासी गुजरात चार लोग थे। सभी ने मिलकर ठेका एक साल तक चलाया। मार्च 2022 मे ठेके मे वह नसीम व फरीद व जहीर अब्बास मंसूरी चारों पार्टनर थे बाकि बंटी, घनश्याम व आरिफ गौरी की हिस्सेदारी उन्होने खत्म कर दी थी। उसने मार्च मे लाईसेंस रिन्यू करवाकर ठेका चालू किया था। दिनांक 31.05.2022 को उन्होने उनका भीमसागर का ठेका शीबा मलिक पत्नि मुख्तार मलिक को पेटी पर दे दिया था जिसकी स्टाम्प पेपर पर लिखा पढी की थी। उसने शीबा मलिक को मछली पकडने का सामान व नाव वगै. नहीं बेचे थे। वह सामान उनका भीमसागर डेम के किनारे पर रखा हुआ था। वह कदीला बॉध पर चला गया जो पहले से ही उनके पास था। रात को करीब दो बजे उसके पास किसी का फोन आया और उसने बताया कि भीमसागर डेम पर झगडा हो गया है। कुछ लोग घायल भी हो गये है। वह और उसका साथी विश्वनाथ व यूसूफ निवासी खिलचीपुर तीनो असनावर आये। थाने पर जा रहे थे परंतु थाने के पास उसकी तबीयत खराब हो गयी थी हार्ट अटैक आ गया था उसे उसके साथी असनावर अस्पताल लेकर गये। जहॉं से उसे झालावाड रैफर कर दिया। वह झालावाड से कोटा श्री जी हार्ट अस्पताल में भर्ती रहा। उसका भाई मोहम्मद शहजाद छुटटी करवाकर दिल्ली हार्ट अस्पताल में लेकर गये। वहा वह इलाज करवाकर घर चला गया। वहा उसके भाई शहजाद, फरीद व नसीम ने बताया कि

भीमसागर डेम पर हुये झगडे मे मुख्तार मलिक व कमलकिशोर मीणा की मृत्यु हो गयी थी उसने वापस आकर शीबा मलिक का हिसाब करके उनसे ठेका वापस लेकर नसीम व जहीर अब्बास मंसूरी को ठेका पेटी पर दे दिया था। उसने सुना था कि अब्दुल बंटी व उसके साथी व मुख्तार मलिक व उसके साथियो के बीच भीमसागर डेम पर रात्रि में लडाई झगडा हुआ था व फायरिंग हुयी थी। उसने पुलिस को उसका मत्स्य आखेट का लाइसेंस व डेम का ठेका पेटी पर देने के संबंधी कागजात आदि दिए थे। उसका मत्स्य आखेट का लाइसेंस प्रदर्श पी 61 है। शीबा मलिक को बेचाननामा मछली पालन का ठेका की प्रति पेश की थी। जहीर अब्बास मंसूरी को इकरारनामा बेचान बाबत मछली पालन ठेका की प्रति पेश की थी। नसीम को इकरारनामा बेचान बाबत् मछली पालन ठेका की प्रति पेश की थी। पॉवर आंफ अटॉर्नी की प्रति पेश की थी। अनुज्ञा पत्र की प्रति पेश की थी। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसे घटना के बारे मे कोई जानकारी नहीं है घटना किस प्रकार घटित हुयी अथवा मृतको की मृत्यू कैसे हुयी। मुख्तार मलिक को वह पहले से नहीं जानता था। मुख्तार मलिक से उसकी मुलाकात मछली ठेके को लेकर बातचीत करने से हुयी थी। यह कहना सही है कि ठेके को लेकर उनकी बातचीत हुयी थी उसी बातचीत और ठेके से उनकी मुलकात मुख्तार मलिक से हुयी। मछली ठेके मे उसके साथ बंटी व घनश्याम एक साल पार्टनर रहे है। मुख्तार मलिक से उसकी पहचान खिलचीपुर के यूसूफ भाई ने करवायी थी और वही मुख्तार मलिक साहब का प्रपोजल लेकर आये थे कि अगर आप अपना डेम पेटी पर देना चाहते है तो वह लेना चाहते है। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि मुख्तार मलिक के खिलाफ भोपाल में 60 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हो। यह उसकी जानकारी में नही है कि मुख्तार मलिक ने एमपी सीएम को भी धमकी दी हो तथा फिरौती मांगी हो। यह उसकी जानकारी में नही है कि मुख्तार मलिक के पास कौन कौन से हथियार लाइसेंस वाले थे और कौन कौन से हथियार बिना लाइसेस के थे।

60. **पी.ड.42 अखलाक पक्षद्रोही** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह उज्जैन का रहने वाला है, उसका भाई अकबर ठेकेदार मुख्तार मलिक के यहा भवरासा डेम पर खाना बनाने का काम करता था। वह अपने भाई से मिलने के लिए दिनांक 31.05.2022 को यहा आया था और पुलिस वाले उसे थाने पर लेकर आ गये थे। वह किसी को नहीं जानता, उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उसके सामने कोई लड़ाई झगड़ा कहा सुनी नहीं हुई। पुलिस बयान प्रदर्श पी-81 का ए से बी भाग गलत है उसने पुलिस को नहीं दिया। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने कथन किया है कि वह मुख्तार मलिक को व्यक्गित रूप से नहीं जानता। उसे यह भी पता नहीं कि वो कहा के रहने वाले है। उसने मुख्तार मलिक का नाम सुन रखा था। मुख्तार मलिक के खिलाफ बहुत सारे केस चल रहे हो तो यह उसे पता नहीं है। मुख्तार मलिक ने मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगी थी इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। मुख्तार मलिक बहुत सारे हथियार रखता हो तो इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। यह उसकी जानकरी नहीं है कि मुख्तार मलिक के खिलाफ 60 से ज्यादा आपराधिक मुकदमें दर्ज हो और इसके बारे मे कई बार सोशल मीडिया व अखबार में भी आया हो। यह कहना सही है कि पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की व प्रदर्श पी 81 अपने आप ही लिख लिया।

61. **पी.ड.43 दिनेश कुमार** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 20.10.2023 को कलेक्ट्रेट झालावाड की न्याय शाखा में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना असनावर के प्रकरण संख्या 107/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अब्दुल बंटी पुत्र अब्दुल हाफिज जाति मुसलमान निवासी कांसखेडली थाना असनावर, सेफू खां पुत्र अब्दुल हाफिज जाति मुसलमान निवासी कांसखेडली थाना असनावर, राजा उर्फ वसीम अहमद पुत्र अब्दुल हकीम जाति मुसलमान निवासी किशनपुरा आतरी थाना कोतवाली झालावाड जिला झालावाड के विरूद्ध तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट श्री आलोक रंजन द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी। अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी 82 है जिस पर ए से बी तत्कालीन जिला

मजिस्ट्रेट श्री आलोक रंजन जी के हस्ताक्षर है जिनके हस्ताक्षर वह उनके अधीनस्थ कार्य करने से पहचानता है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि पुलिस अनुसंधान के दौरान उसके पुलिस मे बयान नहीं लिये गये। यह कहना भी सही है कि वह कलेक्टर कार्यालय मे न्याय शाखा मे प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत होने के संबंध मे उसका नियुक्ति पत्र अथवा अन्य कोई दस्तावेज पुलिस ने नहीं मांगा। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 82 मे सी से डी स्थान पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झालावाड टाईप किया हुआ है लेकिन उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 82 पर ई से एफ जिला मजिस्ट्रेट झालावाड के हस्ताक्षर की दिनांक अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि आर्म्स हथियार के लिए जो लाईसेसं इश्यू होता है उसके लिए एक रजिस्टर मेनटेंन होता है। यह कहना सही है कि जो रजिस्टर मेंनटेंन होता है वो त्रैमासिक या छह माही या सालाना होता हो तो इसकी उसे जानकारी नहीं है अजखुद कहा कि रजिस्टर रखते है अगर वो भर जाता है तो नया ले लेते है। जब लाईसेंस के बारे में उनसे पूछा जाता है तो वह जब लाईसेंस जारी करते है केवल उसी साल का रजिस्टर देखते है।

62. **पी.ड.44 चक्रवती सिंह** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 10.08.2023 को वृत्ताधिकारी अकलेरा के पद पर कार्यरत था। उक्त पत्रावली 173(8) सीआर. पी. सी. में पेण्डिग थी जो अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा आरोपी शरीफ पुत्र अब्दुल मजीद का मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत लावासल से प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया जो प्रदर्श पी-89 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में डिटेनशुदा आरोपी मोहम्मद शफीक उर्फ वजीर को जुर्म धारा 5/25 आयुध अधिनियम जरिये फर्द गिरफतार किया गया जो प्रदर्श पी-49 है जिस पर सी से डी मुलजिम मोहम्मद शफीक के, ए से बी, ई से एफ गवाहान के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम शफीक द्वारा दी गई धारा 27 की इत्तला मुर्तिब की गई जो प्रदर्श पी-90 है जिस पर ए से बी दो स्थान पर मुलजिम मोहम्मद शफीक के हस्ताक्षर है, सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुताबिक इत्तला मुलजिम की निशादेही से

अवैध देशी कट्टा व कारतूस बेचानस्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया गया जो प्रदर्श पी-58 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के जी से एच दो स्थान पर उसके हस्ताक्षर है, आई से जे मुलजिम मोहम्मद शफीक के हस्ताक्षर है। मुलजिम की इत्तला अनुसार उसकी निशादेही से अवैध देशी कट्टा खरीदस्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया गया जो प्रदर्श पी-59 है जिस पर पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ दो स्थान पर उसके हस्ताक्षर है, जी से एच मुलजिम मोहम्मद शफीक के हस्ताक्षर है। मुलजिम की इत्तला अनुसार जिस दुकान से कारतूस खरीदना बताया गया था उस स्थान का मुलजिम की निशादेही से नक्शा मौका बनाया गया जो प्रदर्श पी-60 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के ई से एफ दो स्थान पर उसके हस्ताक्षर है, जी से एच मुलजिम मोहम्मद शफीक के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा सेफी गन फेक्ट्री के मालिक शब्बीर हुसैन के बयान 161 सीआर.पी.सी. उसके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे। सेफी गन फेक्ट्री के दैनिक विक्रय पुस्तक, लाईसेन्स की प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। अभियुक्त मोहम्मद शफीक उर्फ वजीर के बन्दूक लाईसेन्स की प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात दिनांक 01.10.2023 को उसका स्थानान्तरण हो जाने के कारण पत्रावली सुपुर्द कर दी गई। **प्रतिपरीक्षा** मे इस गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-58 लगायत प्रदर्श पी-60 दो पृष्ठ में है । यह कहना सही है कि उक्त फर्द पर पीछे की ओर जहाँ पर फर्द की अन्तिम इबारत है वहाँ पर मोहम्मद शफीक के हस्ताक्षर नहीं करवाये। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-58 लगायत प्रदर्श पी-60 पर मोहम्मद शफीक के हस्ताक्षर मुख्य पृष्ठ पर नीचे अन्त में करवाये गये है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-90 पर जनरल रोजनामचा सन्दर्भ आमद रवानगी संख्या अंकित नहीं है अजखुद कहा कि वृत्ताधिकारी के रोजनामचा लागू नहीं है। यह कहना सही है कि वृत्ताधिकारी पर रोजनामचा लागू नहीं होने के सम्बन्ध में उसने कोई आदेश या निर्देश सलंग्न नहीं किया है। उसने मुलजिम शफीक मोहम्मद को वृत्त कार्यालय से ही गिरफ्तार किया था। अजखुद कहा कि असनावर थाने के कानि. डिटेनशुदा को लेकर आये थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-49 में इस बात

का कोई अकंन नहीं है कि मोहम्मद शफीक को पहले से डिटेन किया हुआ था। उसे आज याद नहीं कि मोहम्मद शफीक को डिटेन किये जाने के सम्बन्ध में कोई वैधानिक दस्तावेज था या नही। मोहम्मद शफीक को डिटेन करके जो कानि. लेकर आये थे उनमें कानि. सत्यनारायण व सियाराम थे। यह बात सही है कि कानि. सत्यनारायण को ही प्रदर्श पी-49 मे गवाह बनाया है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-49 व प्रदर्श पी-90 कम्प्यूटर से टाईप की हुई है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-90 में ई से एफ व जी से एच डिफरेन्ट फॉन्ट में टाईप किया हुआ है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-90 की कार्यवाही के दौरान वृत्त कार्यालय मे कौन कौन स्टाफ मौजूद था इस सम्बन्ध में कोई डिटेल उसने पत्रावली मे सलंग्न नहीं की है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-49 और प्रदर्श पी-90 में अभियुक्त ने क्या और किस रंग के कपड़े पहन रखे थे इस बात हुलिया वाले कॉलम में कोई अंकन नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-58 लगायत प्रदर्श पी-60 में कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं है। दोनो गवाह पुलिसकर्मी है अजखुद कहा कि कोई भी स्वतंत्र गवाह बनने के लिए तैयार नहीं था। यह कहना सही है कि उन्होने स्वतंत्र गवाह बनाने के लिए प्रयास किये हो और कोई तैयार नहीं हुआ हो इस बाबत् प्रदर्श पी-58 लगायत प्रदर्श पी-60 में अंकन नहीं है। यह कहना सही है कि उसने स्वतंत्र गवाह लाने हेतु किनको भेजा और उन्होने वापिस आकर क्या कहा, किन व्यक्तियों से सम्पर्क किया इस बारे में फर्दात में कोई अंकन नहीं किया है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-58 की कार्यवाही का समय दिन के बारह बजकर 20 मिनट का समय अंकित है। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी-58 में घटनास्थल के पास फारूख का मकान, रहमानिया मदरसा स्कूल, आम रास्ता आबादी क्षेत्र, आम रास्ता सुकेत और आबादी क्षेत्र है। प्रदर्श पी-59 मे खेत गोविंद तैली, खेत चुन्नीलाल यादव, खेत व दूकान नंदलाल गुंर्जर, गुर्जर रेस्टोरेन्ट और दूकान, खेत नंदलाल मेहर अंकित है, एक्स स्थान भवानीमण्डी सुकेत मेन रोड़ के पास अंकित है। प्रदर्श पी-60 में अब्बास मोबाईल पाईन्ट, टीकम कुमार का मकान, हरीश फ्रैश दूध डेयरी, कालू प्रजापति का मकान, अशोक पारेता का मकान, श्रीदेव मोबाईल स्टोर

अंकित है तथा एक्स स्थान झालरापाटन अकलेरा मेन रोड़ के पास अंकित है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-58,59,60 मे जिन मकान, दुकान व खेत होने का जिक्र है उनके सम्बन्ध में उसने कोई दस्तावेज नहीं लिये। यह कहना सही है कि जिन मकान व खेत होने का जिक्र प्रदर्श पी-58,59,60 में है उन पर उनकी पहचान के लिए कोई साईन बोर्ड नहीं लगा हुआ है अजखुद कहा कि जो दुकाने थी उन पर बोर्ड लगा हुआ था। यह कहना गलत हे कि प्रदर्श पी-58,59,60 की कार्यवाही कार्यालय में बैठकर की हो और मौके पर नहीं गये हो। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी-58,59,60 पर पीछे वाले पृष्ठ पर इबारत के अन्त में मुलजिम के हस्ताक्षर इसलिए नहीं हो क्योंकि मुलजिम वंहा उपस्थित ही न हो अजखुद कहा कि सहवन से रह गये है। यह कहना भी गलत है कि प्रदर्श पी-58,59,60 खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये हो इसीलिए केवल एक पृष्ठ पर ही और वह भी पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर हो रहे हेा। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी-90 पर हस्ताक्षर एवं प्रदर्श पी-49 मे अभियुक्त के हस्ताक्षर में भिन्नता हो। यह कहना गलत है कि प्रदर्शपी-90 मेन्युप्लेटेड करके बनाया गया हो।

63. प्रतिरक्षा साक्ष्य में **गवाह डी.ड.1 अब्दुल शरीफ** ने कथन किया है कि उसके पास दो नाली टोपीदार बन्दूक है, जिसका नं 1557 है। जिसका लाईसेंस नंबर 1303/96 है। लगभग चार साल पहले पुलिस वाले आये तथा उसके घर से उसकी उक्त दो नाली बन्दूक तथा एक पुडिया में बारूद था वो घर से लेकर चले गये थे। उसने आज तक बन्दूक किसी को नहीं दी। उसके घर पर ही सुरक्षित रखता था। मूल लाईसेन्स प्रदर्श डी 2 है जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श डी 2ए है। जिरह लोक अभियोजक में उक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि वह भी इस प्रकरण में मुलजिम है। यह कहना सही है कि आज से चार साल पहले पुलिस वाले उसके घर पर आये हो और उसकी बंदूक और बारूद की पुडिया लेकर गये हो इस बाबत उसने पुलिस और अदालत मे कोई कार्यवाही नहीं की ना ही कोई परिवाद पेश किया। यह कहना सही है कि उसकी बंदूक नंबर 1557 इस प्रकरण मे जप्त है। यह कहना सही है कि जब से उसकी बंदूक इस प्रकरण मे जप्त है तब से लेकर आज दिनांक तक भी उसने उसकी

बंदूक इस प्रकरण मे झूठी जप्त की हो इस बाबत कोई भी परिवाद या शिकायत पुलिस विभाग मे या न्यायालय मे नही की है। यह कहना गलत है कि वह इस प्रकरण मे मुलजिम है और इसलिए इससे बचने के लिए आज झूठे बयान दे रहा है।

64. पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जुगल किशोर द्वारा जो प्रदर्श पी-01 है, इस आशय की दर्ज कराई कि उसका भाई कमल किशोर मुख्तार मलिक के पास करता चौकीदारी का काम झालावाड़ डैम पर करता था तथा मुख्तार मलिक के पास काली सिंध डैम झालावाड़ आया हुआ था, मुख्तार मलिक के पास भीम सागर डैम का मछली पकड़ने का ठेका था। दिनांक 31.05.2022 की रात को मुख्तार मलिक के साथ उसका भाई कमल किशोर, शफीक मोहम्मद, शकील मोहम्मद, सलमान, विजय, अख्लाक खां, गोविन्दा, शोयब हुसैन तथा दो-तीन और अन्य आदमी नाव से भीम सागर डैम की चौकीदारी करने के लिए गए थे, रात के करीब 1-2 बजे कांसखेड़ली गाँव के पास पहले से घात लगाकर बैठे व्यक्तियों बंटी, वसीम अहमद और उनके साथ 8-10 अन्य लोगों ने मुख्तार मलिक, कमल किशोर इत्यादि पर पत्थर फैके और बंटी, वसीम ने बंदूक से उसके भाई कमल किशोर और उनके साथ वालो पर जान से मारने के लिए बंदूक से फायर किया, बंदूक का फायर उसके भाई कमल किशोर को लगा जो पानी में नाव से गिर गया और उसकी मौके पर मौत हो गई, साथ अन्य व्यक्तियों को भी बंदूक से गोली लगी फिर कमल के साथ वाले नाव से कूदकर इधर-उधर भाग गए। उसको अपने भाई के साथ वालों से घटना का पता चला तो वह यहाँ पहुँचा है।

65. परिवादी न्यायालय में पी.ड.1 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने बयानों में बताया है कि उसके भाई कमल किशोर मीणा की कांसखेड़ली थाना असनावर में मुलजिम बंटी ने हत्या कर दी है। प्रकरण में चश्मदीद साक्षीगण के रूप में पी.ड.6 शकील मोहम्मद, पी.ड.10 शफीक मोहम्मद, पी.ड.11 सलमान और पी.ड.12 विजय कुमार अभियुक्तगण बंटी, सैफू, राजा, कालू के द्वारा गन से फायर करने की पुष्टि करते है। पी.ड.10 शरीफ मोहम्मद और पी.ड.11 सलमान द्वारा अपने बयानो में मुलजिम

कालू, तनवीर, रहुफ और दोनों घीसू, शरीफ, शौकत एवं लियाकत के द्वारा घटना स्थल पर मौजूद और पत्थरबाजी करने की पुष्टि करते है। जब मलिक और कमल किशोर मीणा अपनी नाव में बैठकर गाँव कासखेड़ली की ओर आ रहे थे उक्त सभी गवाहो ने अर्थात पी.ड.6 शकील मोहम्मद, पी.ड.10 शफीक मोहम्द, पी.ड.11 सलमान और पी.ड.12 विजय कुमार ने अपने बयानों में सभी मुलजिमान जिनके नाम ऊपर लिखे गए है के घटना स्थल पर मौजूद होने और एक राय होकर आहतगण पर पत्थर फैकने, आहतगण के साथ चश्मदीद साक्षीगण भी उपस्थित थे उनके ऊपर भी पत्थर फैकने और साथ ही साथ मुलजिमान बंटी, शैफू और राजा द्वारा गन से फायर करने की पुष्टि की है, जिससे मोहम्मद शकील के छर्रे लगे और कमल के पी.ड.10 शफीक मोहम्द, पी.ड.11 सलमान के बयानों के अनुसार उसकी ऑंख और सिर पर चोट लगी, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया, जिससे आहतगण सहित चश्मदीद साक्षीगण पानी में गिर गए।

त्रुटिपूर्ण अनुसंधान (Defective Investigation) संदेहास्पद बरामदगी (Doubtful Recovery)

66. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा दौराने बहस अंतिम यह तर्क दिया गया है कि अनुसंधान बृजमोहन को दे दिया गया था, उसके पश्चात भी पी.ड.16 हरवन्तसिंह प्रकरण में अनुसंधान करता रहा। बाबर मलिक का पर्चा बयान लिया गया और बाबर मलिक के पर्चा बयान लिए जाने के पश्चात प्रकरण में दुराशय पूर्वक (Malafidely) पुलिस द्वारा कार्यवाही अमल में लाई गई। अभियुक्तगण के गिरफ्तार किए जाने और उस समय पर बाबर मलिक का पर्चा बयान लेना, पुलिस का दुराशय स्पष्ट करता है, जिसमें साथ ही साथ गिरफ्तारी की कार्यवाही और पर्चा बयान लिए गए जो कि दो विभिन्न अनुसंधान अधिकारी द्वारा लिया गया। पर्चा बयान में मात्र दो नाम थे, जबकि पुलिस द्वारा सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें बंटी सम्मिलित है। प्रकरण में जो विभिन्न फर्दे तैयार की गई है, उनमें आधी फर्दे कम्प्यूटर से तैयार की गई है और आधी फर्दे हस्तलिखित में है, जिससे पता चलता है कि उक्त कार्यवाही थाने पर

की गई है। एफ.एस.एल.हेतु माल दिनांक 26.08.2022 को भेजा गया था, जब 2026 में न्यायालय में माल पेश किया गया तो उक्त माल कौनसे दस्तावेज से आया था ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, इससे पता चलता है कि माल कभी एफ.एस.एल. हेतु भेजा ही नहीं गया है, ऐसी कोई प्रविष्टी रजिस्टर में नहीं है। सी.डी.आर.और टॉवर लोकेशन प्रस्तुत नहीं की गई है जो कि तथ्यों को छुपाने की परिभाषा में आता है। प्रकरण में श्रृखलाबद्ध तरीके से दुराशय पूर्ण अनुसंधान किया गया है, किसी तरह की कोई रोजनामचा की प्रविष्टी पेश नहीं की गई है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का जप्ती के संबंध में भी तर्क रहा है कि जप्ती के संबंध में गवाहो के बयानों में विरोधाभास है। पी.ड.15 परमानंद और पी.ड.18 सत्यनारायण शर्मा सील लगाए जाने के संबंध में विरोधाभासी बयान देते है। जहाँ पर सिलचिट मौके पर किया जाना पी.ड.15 परमानंद बताता है, जबकि पी.ड.18 सत्यनारायण शर्मा इसकी पुष्टि नहीं करता है। सारी फर्दे जो बरामदगी संबंधी है, कम्प्यूटर से तैयार की गई है। जबकि घटना स्थल पर कम्प्यूटर कहाँ से आया इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। पी.ड.18 सत्यनारायण शर्मा जो पुलिसकर्मी है, वह अपने सभी उत्तर के बारे में यह बताता है कि उसे ध्यान नहीं है। पी.ड.14 महेन्द्र कुमार और पी.ड.21 श्रवण कुमार बरामदगी स्थल को हरा भरा और सूखा बताते है। अभियुक्त सैफू के संबंध में जो अनुसंधान किया गया है वह भी त्रुटिपूर्ण है, जिसमें निरूद्ध किए जाने का कोई दस्तावेज नहीं है तथा कार्यवाही के पीछे के पृष्ठ पर हस्ताक्षर नहीं है। शब्बीर को गन डीलर बताया गया है और जिसके आधार पर टारगेटेड कर प्रकरण में अभियुक्तगण को मुलजिम बनाया गया है। प्रकरण में जो बरामदगी की गई है वह सूचना दिए जाने के एक दिन पश्चात की गई है, जिसकी देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उक्त बरामदगियां कम्प्यूटर से तैयार की गई है जो प्रदर्श पी-26 है। जबकि बरामदगी स्थल पर कम्प्यूटर कैसे उपलब्ध होगा, ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है, इससे पता चलता है कि समस्त कार्यवाही थाने पर की गई है और समस्त बरामदगी प्रदर्श पी-26, प्रदर्श पी-28 और प्रदर्श पी-30 थाने पर बैठकर तैयार की गई है। एफ.एस.एल. में जो अग्रेषण पत्र

भेजा गया है, उसमें 12 आर्टीकल मार्क ए उपलब्ध बताए गए है परन्तु उक्त अग्रेषण पत्र में कोई क्रमांक दिनांक अंकित नहीं है, विशेष वाहक का कॉलम भी खाली है। इस तरह से विभिन्न कमियां/त्रुटियां विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस अंतिम के दौरान अपने तर्को के रूप में बताई है और इन्ही के संबंध में विभिन्न गवाहों से विस्तृत प्रतिपरीक्षण भी किया गया है।विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि बरामदगी खुले स्थान से की गई है जो संदेहास्पद है। अपने मत के समर्थन में विद्वान अधिवक्तागण ने न्यायिक दृष्टान्त 1983 Supreme Court Cases (Cri) पेज 387 KORA GHASI Versus STATE OF ORISSA पेश किया जिसका ससम्मान अवलोकन कर मार्ग दर्शन प्राप्त किया गया। उक्त मामला लास्ट सीन ऐवीडेंस पर आधारित है। जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट में संदेहास्पद व्यक्तियों का नाम पृथक था और अभियुक्त/अपीलार्थी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था। जबकि हस्तगत मामला प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य पर आधारित है और तहरीरी रिपोर्ट में अभियुक्तगण का नाम भी मौजूद है। जिससे यह न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत मामले पर लागू नहीं होता है और अभियुक्तगण की कोई सहायता नहीं करता है। जहाँ तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का दौराने बहस अंतिम दिए गए तर्क का प्रश्न है कि मौके पर कम्प्यूटर से किस तरह से जप्ती के दस्तावेज तैयार किए जा सकते है या कुछ दस्तावेज कम्प्यूटर से तैयार किए गए है, कुछ हस्तलिखित में है। जबकि दोनों दस्तावेज एक साथ जारी किया जाना संभव नहीं है और यह भी तर्क रहा है कि कुछ गवाहो ने कहा है कि बरामदगी स्थल सूखा था, कुछ ने कहा कि हरा भरा था और जहाँ तक सिलचिट किए जाने का प्रश्न है। इस संबंध में भी गवाहो के बयानो में विरोधाभास बताया है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त Mohammed Khalid v. The State of Telangana (2024 INSC 158) का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टान्त जप्ती प्रक्रिया, स्वतंत्र साक्षीगण के अभाव और विरोधाभास से जुडे हुए है, जिनमें मोहम्मद खालिद बनाम तेलगाना राज्य वाला मामला एन.डी.पी.एस. एक्ट से संबंधित है। जबकि हस्तगत मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पी.ड.6 शकील मोहम्मद,

पी.ड.10 शफीक मोहम्म्द, पी.ड.11 सलमान और पी.ड.12 विजय कुमार की मौजूद है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है। चूंकि हस्तगत मामले में अभियोजन मात्र बरामदगी पर आधारित नहीं है बल्कि सुदृढ़ चश्मदीद साक्ष्य भी मौजूद है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक State vs Sanjeevan (2023), का प्रश्न है एवं Crl. Appeal No. 70/2025 (Feb 2025), RAJA KHAN VS STATE OF CHATTISGARH the SC का प्रश्न है तो हस्तगत मामले में जो बरामदगी की गई है, उसकी पुष्टि एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी-62 से होती है। जिसमें समस्त सील इत्यादि इनटेक्ट बताई गई है, जिसका विस्तृत विश्लेषण अग्रिम पंक्तियों में किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **क्रिमिनल अपील नं. 206 वर्ष 2004** ***रामसिंह बनाम उत्तरप्रदेश राज्य (2024)*** ***तथा*** **क्रिमिनल अपील नं. 1624 वर्ष 2011** ***ओमपाल बनाम उत्तरप्रदेश राज्य 2025*** में यह स्पष्ट किया गया है कि मात्र हथियार की बरामदगी नहीं होना अभियोजन के मामले को स्वतः असफल नहीं बनाता है यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी विश्वसनीय हो। जबकि हस्तगत मामले में तो बंदूके वगैराह की बरामदगी भी की गई है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा यह तर्क दिया गया है कि स्वतंत्र साक्षी नहीं होने के कारण जप्ती दूषित हो जाती है। इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा विचार किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय ***ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 762 मुसीर खान उर्फ बादशाह खान व अन्य बनाम स्टेट ऑफ एम.पी.*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि यदि जप्ती अन्य सभी प्रकार से विश्वसनीय है तो उस पर मात्र स्वतंत्र गवाह सम्पुष्टि के अभाव के आधार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। बरामदगी के सम्बन्ध में पत्रावली पर अनुसंधान अधिकारी सहित अन्य साक्षीगण की सुदृढ़ प्रकृति की साक्ष्य विद्यमान है। अतः अधिवक्ता अभियुक्तगण का उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इस न्यायालय का विव्रम मत है जिस अनुसंधान के संबंध में त्रुटियां अंकित की गई है। यहाँ यदि समग्र रूप से साक्ष्य का विश्लेषण एवं विवेचन किया जाए तो न्यायालय के समक्ष चश्मदीद गवाहो की साक्ष्य मौजूद है, जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट यह बताया गया है कि

अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर पूर्व योजनाबद्ध तरीके से व हथियार लेकर तैयार थे और जब आहतगण मौके पर पहुँचे तो उनके द्वारा उन पर फायरिंग की गई जिससे आहतगण मुख्तार मलिक और कमल किशोर की मृत्यु हो गई। ऐसे में जब न्यायालय के समक्ष पी.ड.6 शकील मोहम्मद, पी.ड.10 शफीक मोहम्मद, पी.ड.11 सलमान और पी.ड.12 विजय कुमार की चश्मदीद साक्ष्य के रूप में साक्ष्य मौजूद है तो यह प्रकरण प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर आधारित है, ना कि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर। ऐसी स्थिति में यदि अनुसंधान के दौरान कोई त्रुटि या कमी रही भी जाती है तो इससे चूंकि अन्यथा घटना की पुष्टि चश्मदीद साक्षीगण द्वारा की गई है, अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है, त्रुटिपूर्ण अनुसंधान अथवा अनुसंधान की कमी दोषमुक्ति का आधार नहीं है। ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित किया गया है जो निम्नानुसार है-

(1) ***गज्जू बनाम उतराखण्ड राज्य क्रिमिनल अपील संख्या 1856 वर्ष 2009 निर्णय दिनांक 13 सितम्बर, 2012*** त्रुटिपूर्ण अनुसंधान के संबंध में है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक अनुसंधान अभियोजन मामले के जड़ को प्रभावित नहीं करता है और अभियुक्तगण के लिए प्रतिकूल तब तक वह महत्वपूर्ण नहीं है।

(2) ***दयालसिंह व अन्य बनाम उतराखण्ड राज्य क्रिमिनल अपील संख्या 529 वर्ष 2010 निर्णय दिनांक 03 अगस्त, 2012*** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि In the case of a defective investigation the court has to be circumspect in evaluating the evidence. But it would not be right in acquitting an accused person solely on account of defective investigation.

(3) ***हेमा बनाम राज्य जरिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया क्रिमिनल अपील संख्या 31 वर्ष 2013 निर्णय दिनांक 07 जनवरी, 2013*** में यह अभि निर्धारित किया गया है कि There may be highly defective investigation in a case. However, it is to be examined as to whether there is any lapse by the IO

and whether due to such lapse any...defective investigation, unless affects the very root of the prosecution case and is prejudicial to the accused, should not be an aspect of material consideration by the court...

<u>स्वतंत्र साक्षियों का अभाव का प्रभाव</u>

67. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, सभी हितबद्व साक्षी है। न्यायालय के विव्रम मत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 अपने आप में यह स्पष्ट करती है कि साक्ष्य में किसी तथ्य को सिद्व करने के लिए गवाह की कोई निश्चित संख्या की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक गवाह भी विश्वसनीय हो तो भी उसके आधार पर दोषसिद्वि की जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा ***बलजिन्दरसिंह उर्फ लड्डू व अन्य क्रिमिनल अपील संख्या 1389/2012 निर्णय दिनांक 25 सितम्बर, 2024*** में प्रतिपादित किया है कि पीड़ित गवाह की उपस्थिति घटना स्थल पर संदिग्ध नहीं मानी जाती है, इसलिए उसके बयान को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। इसी तरह से ***जावेद शौकत अली हुसैन कुरैशी बनाम गुजरात राज्य क्रिमिनल अपील संख्या 1012 वर्ष 2022 निर्णय दिनांक 13 सितम्बर, 2023*** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि दोषसिद्वि के लिए कई सारे गवाह जरूरी नहीं है, बल्कि एक विश्वसनीय साक्ष्य भी पर्याप्त है अर्थात गवाहो की संख्या नहीं बल्कि विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। अतः बचाव पक्ष का यह तर्क घटना के समय केवल पीड़ित के बयान उपलब्ध है, स्वीकार नहीं है। इसी तरह से जहाँ तक बरामदगी/भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना का संबंध है तो हस्तगत मामले में विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जो पी.ड.6 शकील मोहम्मद, पी.ड.10 शफीक मोहम्म्द, पी.ड.11 सलमान और पी.ड.12 विजय कुमार की साक्ष्य उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना/बरामदगी यदि प्रमाणित भी नहीं होती है तो भी इससे अभियोजन का मामला असफल नहीं होता है।

68. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का दौराने बहस अंतिम यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में स्वतंत्र गवाहो की साक्ष्य मौजूद नहीं है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि हितबद्ध साक्षी की साक्ष्य विचार में ली जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***कन्हैयालाल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य, 4 (2013) 5 एस.सी.सी. 655*** में अभिनिर्धारित किया है कि हितबद्ध साक्षी की साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विवेचन विश्लेषण किया जाना चाहिये और उक्त न्यायिक दृष्टान्त में ***कार्तिक मल्हार बनाम बिहार राज्य, (1996) 1 एस.सी.सी. 614*** का उल्लेख करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि रिश्तेदार नैच्यूरल विटनेस हैं, तो भी उसकी साक्ष्य मात्र इस आधार पर कि वह हितबद्ध है, नकारी नहीं जा सकती है। अतः विद्वान अधिवक्ता का उक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

69. माननीय उच्चतम न्यायालय ने *Rahul Versus State of Haryana, CRIMINAL APPEAL NO. 262 OF 2021 decided on 3 March 2021* में अभिनिर्धारित किया है किः-

70. ''Merely because PW3 and PW12 are related, by itself is no ground, to reject their testimony. Further, a close relative who is a natural witness cannot be regarded as an interested witness. It is fairly well settled proposition that even the evidence of interested person can also be considered provided such evidence is corroborated by other evidence on record. At this stage, it is apposite to refer to a judgment of this Court in the case of **Kanhaiya Lal & Ors. Etc. v. State of Rajasthan 4 (2013) 5 SCC 655 Paragraphs 24 and 25** of the said judgment read as under : "24. In **Hari Obula Reddy v. State of A.P. (1981) 3 SCC 675** a three Judge Bench has opined that it cannot be laid down as "an invariable rule that interested evidence can never form the basis of conviction unless corroborated to a material extent in material particulars by independent evidence. All that is necessary is that the evidence of the interested witnesses should be subjected

to careful scrutiny and accepted with caution. On such scrutiny, the interested testimony is found to be intrinsically reliable or inherently probable, it may, by itself, be sufficient, in the circumstances of the particular case, to base a conviction there on." (SCC pp.68384, para 13) 25. In **Kartik Malhar v. State of Bihar (1996) 1 SCC 614** this Court has stated (SCC p.621, para 15) that a close relative who is a natural witness cannot be regarded as an interested witness, for the term "interested" postulates that the witness must have some interest in having the accused, somehow or the other, convicted for some animus or for some other reason."

71. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अनेकानेक न्यायिक दृष्टान्तों में यह प्रतिपादित किया गया है कि हर इंसान के देखने और याद रखने की क्षमता अलग-अलग होती है। तोते की तरह रटी-रटाई गवाही देने से ज्यादा महत्वपूर्ण नैचुरल तरीके से गवाही देना है। प्रकरण में मूल साक्ष्य वही रही है, जिसमें चश्मदीद साक्षीगण द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा बंदूक से फायर करके आहतगण को चोटे पहुँचाई गई है तो न्यायालय के विभ्रम मत में यहाँ पर पूरा मामला सिर्फ बरामदगी पर आधारित नहीं है बल्कि चश्मदीद साक्षीगण के बयानों पर आधारित है। अतः इससे अभियुक्तगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है और ना ही अभियोजन के लिए घातक है।

<u>सील कार्यवाही संबंधी अनुसंधान कार्यवाही के आक्षेप</u>

72. न्यायालय द्वारा विभिन्न एफ.एस.एल.रिपोर्ट, पी.एम.आर. जो प्रदर्श पी-09,प्रदर्श पी-10 और प्रदर्श पी-11 एवं प्रदर्श पी-62, प्रदर्श पी-63 के रूप में पेश की गई है, का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार वारदात में प्रयुक्त हथियार SBML गन (W/1), SBML पिस्टल (W/2), DBML गन (W/4) इत्यादि हथियार चलाने की स्थिति में बताए गए है। बचाव पक्ष का जहाँ तक इस तर्क का प्रश्न है कि हथियार पुराने बताए

गए है, हथियार निष्क्रिय बताए गए है। न्यायालय के विव्रम मत में यह तर्क यहाँ समाप्त हो जाता है कि बैरल अवशेष का रसायनिक परीक्षण यह बताता है कि प्रयुक्त किए हथियारों से फायरिंग की गई है, इससे ना केवल बरामदगी की पुष्टि अभियोजन द्वारा की गई है, बल्कि उक्त बरामदगी की पूर्ण संपुष्टि वैज्ञानिक तरीके से होती है कि फायरिंग की गई। अर्थात संक्षेप में बरामदगी की पुष्टि रसायनिक परीक्षण से भी होती है। इसके अतिरिक्त प्रयुक्त किए गए कारतूस के संबंध में जो रिपोर्ट पेश की गई है। उक्त कारतूस 12 बोर हथियार से फायरिंग की जा सकती है और जो खाली कारतूस बरामद हुए है वह इन्ही हथियारों से फायरिंग किए गए। इसके अतिरिक्त जहाँ तक जिन्दा Ammunition के संबंध में विश्लेषण किया जाए तो संबंधित कारतूस का परीक्षण किया गया है और परीक्षण के बाद यह पाया गया है कि उनसे संबंधित सिस्टम कार्य करने की स्थिति में था, जिससे हथियारों की फायरिंग क्षमता भी स्पष्ट होती है। रिपोर्ट में ब्लैक कलर का पाऊडर जो कि मजल लोडिग फायर आर्म्स से संबंधित है से यह स्पष्ट होता है कि संबंधित Ammunition असली था और फैक (दूषित) अर्थात फर्जी नहीं था। एफ.एस.एल. रिपोर्ट से तीनों तथ्य स्थापित होते है-

1- हथियार वास्तविक और चालू हालत में थे।

2-उनसे फायरिंग की गई।

3-बरामदशुदा कारतूस उन्ही से फायरिंग की गई।

जिससे घटना के चश्मदीद साक्षीगण द्वारा दिए गए वृतान्त कि अभियुक्तगण द्वारा आहतगण पर फायरिंग की गई का एक सुदृढ़ वैज्ञानिक संपुष्टि होती है। यद्यपि एफ.एस.एल.रिपोर्ट प्रत्यक्ष रूप से यह नहीं दर्शाती है कि गोली मृतक को लगी। इस संबंध में बचाव पक्ष का तर्क यह भी रहा है कि एफ.एस.एल.रिपोर्ट में मृत्यु का कारण डूबने से बताया गया है और मृतक के शरीर पर से या शरीर में से कोई मैटेलिक पार्ट नहीं पाया गया है। इस संबंध में इस न्यायालय के विव्रम मत में यह सही है कि एफ.एस.एल.रिपोर्ट में गोली मृतक को लगी हो यह नहीं दर्शाया है। तद्यापि विभिन्न एफ.एस.एल. रिपोर्ट यह निर्विवाद रूप से साबित करती है कि अभियुक्त पक्ष

के पास कार्य शील अग्न्येय अस्त्र थे और उनसे फायरिंग की गई जो चश्मदीद साक्षीगण पी.ड.6 शकील मोहम्मद, पी.ड.10 शफीक मोहम्म्द, पी.ड.11 सलमान और पी.ड.12 विजय कुमार की साक्ष्य को विश्वसनीय बनाती है। बचाव पक्ष का दौराने बहस अंतिम जो तर्क रहा है कि विभिन्न पैकेट सील्ड नहीं थे, सिलचिट को लेकर भी विभिन्न प्रश्न बचाव/अभियुक्त पक्ष द्वारा दौराने बहस अंतिम लिए गए। इस संबंध में गवाहो के बयानों में विरोधाभास को लेकर विस्तृत तर्क दौराने बहस अंतिम लिए गए। एफ.एस.एल. रिपोर्ट से संबंधित अग्रेषण पत्र पर क्रमांक अंकित नहीं होकर Special messsenger का नाम नहीं होने संबंधी विभिन्न तर्क एवं अन्य तर्क जो कि इस कार्यवाही की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लगाते है से संबंधित विस्तृत बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई है। इस संबंध में पत्रावली पर मौजूद एफ.एस.एल.रिपोर्ट प्रदर्श पी-81 का यदि अवलोकन किया जाए तो इसमें DESCRIPTION OF PACKETS में स्पष्ट लिखा है कि

> Enclosed within-Cloth, polythene & plastic container. Which were properly sealed bearing impression which tallied with the specimen seal impression forwarded.

उक्त अंकन अथवा उल्लेख से यह तीनों तथ्य साबित हो जाते है कि

1-विभिन्न पैकेट सिलचिट अवस्था में थे।

2-सील इनटेक्ट थी, एफ.एस.एल. ने खोलते समय सील वैरीफाई की है।

3-स्पेशीमेन सील मैच हुई है।

73. जिससे यह स्पष्ट होता है कि संबंधित माल वही था जो पुलिस द्वारा भेजा गया था और टैम्परिंग नहीं हुआ, जिससे बचाव पक्ष के विभिन्न तर्क डिस्पेच नंबर नहीं है, मैसेजर का नाम नहीं है, माल वापस भेजने वाला पत्र नहीं है, सभी तथ्य गैर सुसंगत हो जाते है। जैसा उक्त विश्लेषण, विवेचन में इसको स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक पैकेट विधिवत रूप से सीलबंद था जिन पर अंकित सील का नाम होने से मिलान किया गया और वह मेल पाया गया, जिससे यह साबित होता है कि बरामद की गई वस्तुओ की

सीले अक्षुण्य थी तथा उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना स्थापित नहीं हुई। जब स्वयं विशेषज्ञ संस्था द्वारा सील की अखण्डता प्रमाणित की गई है जब प्रेषण संबंधी औपचारिक कमियां साक्ष्य की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती है।

74. मालखाना इंचार्ज पी.ड.35 राजेन्द्र सिंह द्वारा मुलजिम बंटी के कब्जे से एक पैकेट मार्क बी1 लगायत बी5 मुलजिम सैफू से मार्क सी1 लगायत सी3 और मुलजिम राजा उर्फ वसीम से डी1 लगायत डी2 व मार्क ई सीलबंद पैकेट अनुसंधान अधिकारी द्वारा संभलाए जाने की पुष्टि करता है। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-70 है जिस पर ए से बी जमा कराए जाने वाले माल का विवरण है, जिसमें मृतक कमल किशोर मीणा से संबंधित दो आस्तीन, फटी हुई शर्ट जिस पर खून के धब्बे गर्दन के नीचे टेग लगा हुआ होना बताया गया है तथा मुलजिम अब्दुल बंटी से बरामदशुदा एक नाली बंदूक टोपीदार, एक देशी कट्टा वजह सबूत जप्त किया जाना बताया गया है तथा विभिन्न बरामद बारूद गन पाऊडर, गन कैप टोपिया कुल 156 तथा इसी तरह से मुलजिम सैफू से मार्क सी1, सी2 और सी3 के जरिए बंदूक व कारतूस को जमा कराए जाने की पुष्टि की है तथा मुलजिम राजा उर्फ वसीम अहमद से मार्क डी1, डी2, ई इत्यादि से संबंधित दो नाली टोपीदार बंदूक गन पाऊडर और एक नाली बैरल बंदूक मालखाने में जमा कराए जाने की पुष्टि की है, जिस मालखाना रजिस्टर पर माल जमा करवाने वाले गवाह ललित द्वारा मालखाना इंचार्ज द्वारा माल जमा कराए जाने की पुष्टि की गई है।

<u>प्रथम सूचना रिपोर्टः: देरी का प्रभाव</u>

75. बचाव पक्ष का दौराने बहस अंतिम एक महत्वपूर्ण तर्क यह रहा है कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज कराई है। अपने पक्ष के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा न्यायिक दृष्टान्त (2011) 2 Supreme Court Cases (Cri.) पेज 915 A.SHANKAR Versus STATE OF KARNATAKA, 2003 Supreme Court Cases (Cri.) पेज 751 RAJEEVAN AND ANOTHER Versus STATE OF KERALA, 1993 Cr.L.R. (Raj.) पेज 390 pooran & Ors. Versus The State of Rajasthan पेश किए। उक्त

न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अवलोकन कर मार्ग दर्शन प्राप्त किया गया। न्यायिक दृष्टान्त (2011) 2 Supreme Court Cases (Cri.) पेज 915 A.SHANKAR Versus STATE OF KARNATAKA के मामले में घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना एक किलो मीटर दूर होने के बावजूद देरी से दर्ज कराई गई है। उक्त मामले में रिपोर्टकर्ता मृतक का भाई था, जिसके पास रिपोर्ट दर्ज कराने का पूर्ण अवसर उपलब्ध था। जबकि हस्तगत मामले में घटना की परिस्थितियां इस तरह से है कि मृतक के साथ आए हुए अन्य व्यक्ति नाव के पलटने से पानी में डूब जाते है। हस्तगत मामले में रिपोर्टकर्ता मृतक कमल किशोर का भाई है जो झालावाड़ का निवासी नहीं होकर मध्य प्रदेश का निवासी है, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के मध्य प्रदेश से झालावाड़ आने में कुछ समय लगता है, पुलिस की सामान्य कार्य प्रणाली इस तरह से ही है कि मृतक व्यक्ति का नजदीकी रिश्तेदार से ही सामान्यतः रिपोर्ट ली जाती है और इसी वजह से मध्य प्रदेश से झालावाड़ आने में और रिपोर्टकर्ता को उक्त घटना की सूचना प्राप्त होने में समय लगा वह स्वभाविक है व इस न्यायालय के विव्रम मत में देरी की परिभाषा में नहीं आता है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस मामले पर चस्पा नहीं होता है और अभियुक्तगण की कोई सहायता नहीं करता है। न्यायिक दृष्टान्त 2003 Supreme Court Cases (Cri.) पेज 751 RAJEEVAN AND ANOTHER Versus STATE OF KERALA उक्त मामला राजनैतिक पार्टीज से संबंधित मतभेद से जुड़ा हुआ है, इसमें मजिस्ट्रेट को भी एफ.आई.आर. देरी से भेजी गई थी, जिससे संबंधित एफ.आई.आर. ही संदिग्ध मानी गई है। इस मामले में घटना स्थल से पुलिस थाना मात्र 100 मीटर की दूरी पर मौजूद था, उसके पश्चात भी एफ.आई.आर.दर्ज कराने में 12 धण्टे का विलम्ब कारित किया। जबकि हस्तगत मामले में पुलिस थाना 100 मीटर की दूरी पर मौजूद नहीं है, घटना के पश्चात गवाहो का भयवश नाव से उतरकर जँगल की ओर भाग जाना और तत्पश्चात रिपोर्ट करना परिस्थितियों में स्वभाविक है कि उसकी पहली प्राथमिकता स्वयं की जान बचाने की रही होगी ना कि रिपोर्ट करने की, जीवित रहने को कोई भी सामान्य व्यक्ति प्राथमिकता देगा परन्तु इससे अभियोजन कहानी की विश्वसनीयता पर प्रश्न उत्पन्न

नहीं होता है। इसलिए उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होता है और अभियुक्तगण की कोई सहायता नहीं करता है। न्यायिक दृष्टान्त (Raj.) पेज 390 pooran & Ors. Versus The State of Rajasthan वाले मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज कराया जाना माननीय न्यायालय द्वारा टेलीफोन के जरिए माना गया था। तथाकथित मामले में अभियोजन साक्षीगण एवं चिकित्सकीय साक्ष्य में विरोधाभास था। जबकि हस्तगत मामले में मौखिक साक्ष्य एवं विशेषज्ञ चिकित्सकीय साक्ष्य में विरोधाभास नहीं है। मौखिक साक्ष्य, अभियुक्तगण द्वारा फायरिंग, नाव से संतुलन खराब होना, नाव से गिरना, डूबने से मृत्य होना एवं चिकित्सा विशेषज्ञ साक्ष्य में अग्नेय शस्त्र का उपयोग करना और डूबने से मृत्यु होना प्रमाणित करता है, जिससे यह कहा जा सकता है कि हस्तगत मामले में मौखिक साक्ष्य एवं चिकित्सा विशेष साक्ष्य में विरोधाभास नहीं है, जिससे उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत मामले पर लागू नहीं होता है और अभियुक्तगण की कोई सहायता नहीं करता है। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RCC, March 1989 पेज 158 Heera Lal Vs. The State of Rajasthan का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टान्त prevention of Corruption Act. से संबंधित है। तथाकथित मामले में अभियोजन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को छुपाया गया था और प्रदर्श पी-2 रिपोर्ट को ही लिखित में लिया गया था और देरी से दर्ज किए जाने का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया था। जहाँ तक हस्तगत मामले का प्रश्न है तो प्रथम तो यह prevention of Corruption Act. से संबंधित नहीं है। दूसरा जैसी पत्रावली पर साक्ष्य मौजूद है, उससे यह स्पष्ट है कि जो आहत जिनकी घटना में मृत्यु हुई है वे मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और घटना झालावाड़ क्षैत्र में कारित हुई थी और सामान्यतः पुलिस की यह कार्य प्रणाली रहती है कि वह धारा 302 भा.द.सं. से संबंधित हत्या से जुड़े मामलो में यदि नजदीकी रिश्तेदार उपलब्ध हो तो उसके द्वारा दी गई सूचना पर ही रिपोर्ट/कार्यवाही शुरू करती है। अतः झालावाड़ से मध्य प्रदेश (भोपाल) की दूरी को देखते हुए यह नहीं माना जा सकता कि रिपोर्ट देरी से दर्ज हुई है। रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले कोई भी

सामान्य व्यक्ति अपनी जान पहले बचाएगा और उसके बाद ही सामान्य होकर सदमे से बाहर निकलकर रिपोर्ट दर्ज कराने की सोचेगा। ऐसे में आहत पक्ष के साथ मौजूद व्यक्तियों द्वारा यदि रिपोर्ट दर्ज भी नहीं कराई गई है तो भी इससे अभियोजन पक्ष दूषित नहीं होता। अतः यह न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण पर लागू नहीं होता है और अभियुक्तगण की किसी प्रकार से कोई मदद नहीं करता है।

<u>जब दो मत संभव हो तो दोषमुक्ति दी जानी चाहिए</u>

76. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का दौराने बहस निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त Chandrappa & Ors. v. State of Karnataka (2007) 4 SCC 415, Roopwanti v. State of Haryana (2023). Yogesh Singh v. Mahabeer Singh & Ors. (2013) पेश किए गए एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा यह तर्क दिया गया कि जहाँ दो मत संभव हो, वही अभियुक्त को दोषमुक्ति का लाभ दिया जाना चाहिए। न्यायालय के विन्रम मत में उक्त विश्लेषण, विवेचन से हस्तगत मामले में दो मत संभव नहीं है, बल्कि चश्मदीद गवाहो की साक्ष्य, की गई बरामदगी, मोटिव, चिकित्सकीय एवं विशेषज्ञ साक्ष्य से अभियोजन द्वारा यह साबित किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त घटना कारित की गई ऐसे में दो मत की संभावना हस्तगत मामले में मौजूद नहीं है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त से अभियुक्तगण को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है और उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत एक न्यायिक दृष्टान्त (2025) 1 Supreme Court Cases (Cri.) पेज 147 ALLARAKHA HABIB MEMON AND OTHERS Versus STATE OF GUJARAT का सम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। उक्त मामले में चश्मदीद साक्षियों के बयान पुलिस द्वारा रिकार्ड पर नहीं लिए गए थे। जबकि हस्तगत मामले में ऐसा नहीं है, चश्मदीद साक्षीगण के बयान पत्रावली पर मौजूद है। तथाकथित मामले में पुलिस कानिस्टेबल द्वारा हथियार जप्त किए गए थे और उन्हे थाने में जमा करा दिया गया था यह स्वीकृत स्थिति थी, इसके बावजूद घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी और रोजनामचे में इसका इंद्राज नहीं किया गया था। तथाकथित मामले में पुलिस कानि.

स्वयं चश्मदीद साक्षी था, स्वयं हथियार थाने पर लेकर आया था, ऐसी स्थिति में ऐसे पुलिसकर्मी का बयान दर्ज नहीं करना, हथियारों को जमा कराए जाने का तथ्य रोजनामचे में नहीं लिया जाना इत्यादि को माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा अस्वीकृत माना गया है। कानिस्टेबल के कथन को रिकार्ड पर नहीं लिए जाने का कोई कारण अभियोजन स्पष्ट नहीं कर सका था, जिसे अभियोजन के लिए घातक माना था। जबकि हस्तगत मामले में ऐसा नहीं है जो हथियार अभियुक्तगण से जप्त किए है, उनका इंद्राज मालखाना रजिस्टर में किया गया है। हस्तगत मामले में कोई पुलिसकर्मी चश्मदीद साक्षी नहीं है, बल्कि जो साक्षीगण है वे सामान्य व्यक्ति है। तथाकथित मामले में कानिस्टेबल द्वारा आहत व्यक्तियों की मौके पर उपस्थिति के संबंध में कोई कथन नहीं किए गए थे। जबकि हस्तगत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में आहत का नाम अंकित है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत मामले पर चस्पा नहीं होता है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त (2025) Cr.L.R.(S.C.) पेज 120 Wadla Bheemaraidu Versus State of Telangana का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। उक्त मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, जिसमें धारा 27 की सूचना के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है जब तक अनुसंधान अधिकारी अभियुक्त द्वारा बताए गए तथ्यों का वृतान्त नहीं देता है, जब तक ऐसी कोई सूचना ग्राह्य नहीं है। हस्तगत मामले में न्यायालय के समक्ष पी.ड.6 शकील मोहम्मद, पी.ड.10 शफीक मोहम्म्द, पी.ड.11 सलमान और पी.ड.12 विजय कुमार की प्रत्यक्ष चश्मदीद साक्ष्य मौजूद है। हस्तगत मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित नहीं है। अतः दोनों मामलों में काफी फर्क है, एक मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, वहीं हस्तगत मामले में चश्मदीद साक्ष्य मौजूद है, जिससे उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होता है। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2003(2) Cr.L.R.(Raj.) पेज 1263 Poona Ram & Ors. Versus State of Rajasthan. का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। तथाकथित मामले में अभियोजन के अनुसार अपीलार्थी

रामप्रकाश के पास गन मौजूद थी परन्तु ऐसा कोई आरोप नहीं था कि उसने गन से फायर किया हो। जबकि हस्तगत मामले में ऐसी स्थिति नहीं है। अभियुक्तगण पर यह आरोप है और गवाह पी.ड.6 शकील मोहम्मद, पी.ड.10 शफीक मोहम्द, पी.ड.11 सलमान और पी.ड.12 विजय कुमार द्वारा अपने बयानों में इसकी पुष्टि की गई है कि अभियुक्तगण द्वारा आहत व्यक्तियों व चश्मदीद साक्षीगण पर पथराव किया गया, अभियुक्तगण के पास हथियार थे जो उनके पूर्व नियोजन के साथ एकत्रित होना और आहतगण को जान से मारने की नियत से घात लगाकर मौजूद रहना, आहतगण पर फायर करना इत्यादि सभी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है, जिससे यह माने जाने का आधार हो कि अभियुक्तगण के पास मात्र हथियार थे परन्तु उनके द्वारा ना तो उसका उपयोग किया गया और ना ही हत्या के सामान्य उद्वेश्य के अग्रसरण में अभियुक्तगण एकत्रित हुए। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण पर लागू नहीं होता है और अभियुक्तगण की किसी प्रकार से सहायता नहीं करता है। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2016(1)Cr.L.R.(Raj.) पेज 521 Aladdin & Anr. Versus State of Rajasthan का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। तथाकथित मामला एन.डी.पी.एस.एक्ट से संबंधित है, जिसमें बरामदगी इत्यादि महत्वपूर्ण विषयवस्तु है। जबकि हस्तगत मामला हत्या से संबंधित है जिसमें गवाह पी.ड.6 शकील मोहम्मद, पी.ड.10 शफीक मोहम्द, पी.ड.11 सलमान और पी.ड.12 विजय कुमार की प्रत्यक्ष चश्मदीद साक्ष्य मौजूद है। अतः दोनों मामले पूर्णतया भिन्न-भिन्न है। तथाकथित मामले में बरामदगी स्थल पूर्व से ही पुलिस के संज्ञान मे थी। ऐसी स्थिति में बरामदगी स्थल से की गई बरामदगी माननीय न्यायालय द्वारा संदेहास्पद माना गया है। अतः यह न्यायिक दृष्टान्त भी अभियुक्तगण की किसी प्रकार से सहायता नहीं करता है और इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है।

77. अभियुक्तगण अब्दुल बंटी, सैफू खां, राजा उर्फ वसीम अहमद, शौकत, अब्दुल शफीक उर्फ नंदू उर्फ अब्दुल शरीफ पुत्र अब्दुल लतीफ पठान एवं मोहम्मद शरीफ उर्फ

वजीर पुत्र मोहम्मद सुलेमान पर अंतर्गत धारा 3/25, 3/30 एवं 5/25 आर्म्स एक्ट के आरोप है। अभियुक्तगण से की गई जप्ती प्रदर्श पी-26, प्रदर्श पी-28 और प्रदर्श पी-30 के गवाह पी.ड.15 परमानंद और पी.ड.18 सत्यनारायण अपने बयानों में अभियुक्तगण के कब्जे से हथियार बरामद होने की पुष्टि करते है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की सूचना के आधार पर मुलजिम अब्दुल बंटी, सैफू खां और राजा उर्फ वसीम अहमद से जरिए फर्द प्रदर्श पी-26, प्रदर्श पी-17, प्रदर्श पी-28 और प्रदर्श पी-30 के विभिन्न हथियारों की बरामदगी की गई है, जिसे रखने का उनके पास कोई वैध लाईसेंस नहीं था, उक्त हथियारों का उपयोग अपराध में किया गया है। अभियुक्त शौकत, अब्दुल शफीक उर्फ नंदू उर्फ अब्दुल शरीफ जिन पर अपराध अंतर्गत धारा 3/30 एवं 5/25 आर्म्स एक्ट का आरोप है। अभियुक्त मोहम्मद शरीफ उर्फ वजीर द्वारा जरिए फर्द प्रदर्श पी-58 अभियुक्त सैफू खां, अब्दुल बंटी को अवैध रूप से देशी कट्टा और 12 बोर के कारतूस के बेचान स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया है। मोहम्मद शफीक उर्फ वजीर द्वारा जरिए फर्द प्रदर्श पी-58 अभियुक्त सैफू खां, अब्दुल बंटी को अवैध रूप से देशी कट्टा और 12 बोर के कारतूस के बेचान स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया है। मोहम्मद शफीक द्वारा उक्त अवैध देशी कट्टा किसी अंजान व्यक्ति से खरीदना बताया है जिसका फर्द तस्दीक खरीद स्थल प्रदर्श पी-59 तैयार किया गया है, जरिए फर्द प्रदर्श पी-60 मोहम्मद शफीक द्वारा मुताबिक सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम लाईसेंसी 12 बोर बंदूक के कारतूस उक्त नक्शा मौका में दर्शाया गई दुकान से लाईसेंस से खरीदना बताया है और उक्त हथियार एवं कारतूस अब्दुल सैफू को बेचे जाने की पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त जरिए फर्द प्रदर्श पी-53 लगायत 57 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना है, जिसमें अभियुक्त अब्दुल बंटी द्वारा दी गई सूचना, अभियुक्त राजा उर्फ वसीम अहमद द्वारा दी गई सूचना सम्मिलित है। इसके अलावा फर्द प्रदर्श पी-56 अभियुक्त अब्दुल बंटी द्वारा शरीफ उर्फ वजीर से देशी कट्टा उसके घर से ले जाना बताया है तथा उसका बारूद्व और टोपियां शरीफ पुत्र अब्दुल मजिद से खरीदना बताया गया है। इसी तरह से जरिए फर्द प्रदर्श पी-57 अभियुक्त सैफू

खां द्वारा 12 बोर बंदूक शरीफ पुत्र अब्दुल मजिद से लिया जाना बताया गया है और कारतूस शफीक उर्फ वजीर पुत्र सुलेमान से लिया जाना बताया गया है जिसके घर की भी पुष्टि मुलजिमान ने बताई है। अतः उक्त सभी फर्दो से जिनमें प्रदर्श पी-58, प्रदर्श पी-59, प्रदर्श पी-60, एवं प्रदर्श पी-54 से 57 इत्यादि से अभियुक्तगण द्वारा दी गई सूचना के आधार पर ना केवल हथियार एवं कारतूसों की बरामदगी हुई है बल्कि उक्त सूचनाओ में जिनमें व्यक्तियों से हथियार/कारतूस/टोपियां प्राप्त किए जाने का उल्लेख किया गया है वे बरामदगियां व अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य से पुष्टि होती है जिससे अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा हथियार/गोला बारूद्व/कारतूस का अवैध हस्तान्तरण किया गया जो आर्म्स एक्ट की धारा के प्रतिषेध का उल्लधंन है एवं लाईसेंसी शस्त्र/बदूक का उपयोग विधि के विपरीत एवं अपराध कारित करने हेतु किया गया हे जो आर्म्स एक्ट की धारा 30 के प्रतिषेध की परिभाषा में आता है। चूंकि लाईसेंसी हथियार का दुरूपयोग किया गया है उक्त विभिन्न फर्दो से जिनकी चर्चा की गई है एवं विर्निदिष्ट व्यक्ति से बंदूक, कारतूस इत्यादि खरीदा जाना और Supply किया जाना बताया गया है, दी गई सूचना के आधार पर बरामदगी की गई है इस करबद्व श्रृंखला को Support करती है, जिसमें कोई विरोधाभास दृष्टिगत नहीं होता है जो बरामदगियां की गई है, उसमें गन, गन फायर कारतूस, बारूद्व इत्यादि। भिन्न-भिन्न अभियुक्तगण अर्थात अब्दुल बंटी, सैफू, राजा द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कहाँ से उक्त हथियार लिए गए है, उसके स्त्रोत को बताने में अभियोजन सफल रहा है। अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी-82 है, उसको अभियोजन द्वारा न्यायालय में प्रदर्शित कराया गया है और उक्त अभियोजन स्वीकृति के आधार पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है। गवाह पी.ड.43 दिनेश कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट झालावाड़ द्वारा अभियोजन स्वीकृति की पुष्टि की है और जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन के हस्ताक्षर उनके अधीनस्थ होने से पहचान किए है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से दौराने बहस अंतिम यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन की ओर से अभियोजन

स्वीकृति जारी करने वाले जिला मजिस्ट्रेट को साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है तथा जिला मजिस्ट्रेट के स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में कार्यरत कार्मिक श्री दिनेश कुमार को परीक्षित करवाया गया है जो कि एक अभियोजन की कमी रहीं है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अभियोजन की ओर से जिला मजिस्ट्रेट श्री आलोक रंजन को पेश नहीं किया गया है तथा उसके स्थान पर गवाह पी.ड.43 दिनेश कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट झालावाड़ को पेश किया गया है तथा जिसके द्वारा अभियोजन स्वीकृति की पुष्टि की है और जिला मजिस्ट्रेट श्री आलोक रंजन के हस्ताक्षर उनके अधीनस्थ होने से पहचान किए है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विनिश्चय **क्रिमिनल अपील संख्या 115 वर्ष 2014** ***चन्द्रप्रकाश बनाम राजस्थान राज्य एस०सी० 2014 निर्णय दिनांक 09.05.2014*** में पैरा संख्या 29 व 30 में स्पष्ट रुप से अवधारित किया है कि अभियोजन स्वीकृति को जिला मजिस्ट्रेट (जारीकर्ता) से साबित करायी जाना आवश्यक नहीं है बल्कि अन्य किसी भी सक्षम व्यक्ति से जो जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षरों को पहचानता हो, से साबित कराकर प्रदर्श कराया जा सकता है। इसी प्रकार का मत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोहम्मद इकबाल अहमद बनाम आंध्रप्रदेश राज्य 1979 क्रिमिनल लॉ जनरल 633 (एस०सी०), सी०बी०आई० बनाम पी०मूथुरमन 1996 पेज नं. 3638 में भी ऐसा ही मत व्यक्त किया है। हस्तगत प्रकरण में गवाह पी.ड.43 दिनेश कुमार जो कि तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट श्री आलोक रंजन का अधीनस्थ लिपिक था, की साक्ष्य से अभियोजन स्वीकृति जो कि स्वमुखित (Speaking) है, को संदेह से परे साबित कराया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य बनाम नरसिंहाचारी 2006 क्रिमिनल लॉ जनरल 518 सुप्रीम कोर्ट में यह अवधारित किया है कि अभियोजन स्वीकृति एक लोक दस्तावेज दस्तावेज है जिसे साबित किये जाने हेतु अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने वाले प्राधिकारी को साक्ष्य में बुलाने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि अभियोजन यह साबित करता हो कि सुसंगत सामग्री अभियोजन स्वीकृति जारी करने वाले प्राधिकारी के समक्ष रख दी गई है, इसके बाद ही अभियोजन स्वीकृति जारी की गई

है। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी-82 जारी करने वाले तत्कालीन प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ श्री आलोक रंजन ने अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी 82 में स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि फर्द जप्ती, आर्मोरर रिपोर्ट, संवीक्षा/अनुसंधान अधिकारी की रिपोर्ट, आरोपी का आपराधक रिकार्ड एवं विधिक टिप्पणी के विवेचन से तथा स्वतंत्र मस्तिष्क का प्रयोग कर अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है। इस प्रकार तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट श्री आलोक रंजन द्वारा अपने सम्मुख प्रस्तुत सामग्री से संतुष्ट होकर तथा अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग कर अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी 82 जारी की गई थी, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा पी.ड.43 दिनेश कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से श्री आलोक रंजन के हस्ताक्षरों की पहचान कराकर व प्रदर्श कराकर बखूबी साबित किया गया है। बचाव पक्ष का दौराने बहस अंतिम यह तर्क रहा है कि उनके द्वारा अभियोजन स्वीकृति आदेश में विभिन्न कमियों को उजागर किया गया है परन्तु न्यायालय के विन्रम मत है यह एक प्रशासनिक आदेश है और इसमें मौजूदा तकनीकी कमियों से अभियुक्त के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तकनीकी खामियां महत्वपूर्ण नहीं है। अभियोजन स्वीकृति आदेश और तकनीकी कमियों के चलते उक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश शून्य नहीं हो जाता है।

78. प्रकरण में अभियुक्त अब्दुल शफीक उर्फ नंदू उर्फ अब्दुल शरीफ जो न्यायालय में डी.ड.1 के रूप में परीक्षित हुआ है, जो इस प्रकरण में मुलजिम है, जिसके द्वारा अपने बयानों में यह बताया गया है कि चार साल पहले उसकी लाईसेंसधारी बंदूक और बारूद्व पुलिस वाले उसके घर से लेकर चले गए थे, उसने आज तक बंदूक किसी को नहीं दी है। अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने अपनी लाईसेंसी बंदूक का आपराधिक घटना में प्रयुक्त कर लाईसेंसी शर्तों व नियमों का उल्लधंन किया है। जहाँ तक इस गवाह के इस कथन का प्रश्न है कि उसकी बंदूक जबरदस्ती उठा ले गए, यह पर्याप्त साक्ष्य से समर्थित नहीं है। चूंकि उक्त गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसने इस तरह से जबरन पुलिस वालों द्वारा बंदूक और बारूद्व ले गए संबंध में कोई कार्यवाही पुलिस या न्यायालय में नहीं की, कोई परिवाद भी पेश नहीं किया। उक्त

गवाह जो इस प्रकरण में अभियुक्त है, अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार करता है कि उसकी बंदूक इस प्रकरण में जप्त है और उसने आज दिनांक तक कोई कार्यवाही किसी न्यायालय या पुलिस के समक्ष पेश नहीं की है। जिससे जप्ती झूठी साबित होती हो। अतः डी.ड.1 अब्दुल शफीक उर्फ नंदू उर्फ अब्दुल शरीफ के मुख्य परीक्षण में किए गए कथन पर्याप्त साक्ष्य से समर्थित नहीं होने से माने जाने योग्य नहीं है। दौराने बयान मुलजिम अभियुक्तगण द्वारा यह आपत्ति ली गई है कि उनसे कोई जप्ती नहीं की गई, उन्हे झूठा फसाया गया है, जबकि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे परन्तु न्यायालय के समक्ष पी.ड.6 शकील मोहम्मद, पी.ड.10 शफीक मोहम्म्द, पी.ड.11 सलमान और पी.ड.12 विजय कुमार चश्मदीद गवाहो की साक्ष्य मौजूद है, जिनमें उक्त चश्मदीद गवाहो अभियुक्तगण की मौके पर मौजूदगी की पुष्टि की है, उक्त साक्ष्य के खण्डन में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे यह माना जा सके कि अभियुक्तगण किसी अन्यत्र स्थान पर मौजूद थे। जहाँ तक बरामदगी का प्रश्न है तो इस संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि बरामदगी अपने आप में सारभूत साक्ष्य नहीं है बल्कि संपुष्टि कारक साक्ष्य है, एक मात्र बरामदगी को आधार बनाकर किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुँचा जा सकता है। हस्तगत मामले में अभियुक्तगण पर लगे आरोपों की पुष्टि चश्मदीद गवाहो ने अपने बयानों मे की है, जिनके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तात्विक खण्डन नहीं मिलता है जिससे अभियोजन कहानी दूषित हो जाती हो।

79. प्रकरण में एक अन्य आहत व्यक्ति जो कमल किशोर के अतिरिक्त है, जिसका नाम मुख्तार मलिक है की भी मृत्यु हुई है। उक्त मृत्यु के संबंध में अभिलेख से यह तथ्य प्रमाणित हुआ है कि वह नाव से गिरने के पश्चात नाव से सुरक्षित रूप से बाहर निकल गया, तत्पश्चात वह जँगल में भटकता रहा और अन्ततः भूख प्यास से उसकी मृत्यु हो गई और यही उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आता है कि फायरिंग के पश्चात नाव में गिरना नाव से निकलकर जँगल में भटकना और उसके पश्चात भूख प्यास से मृत्यु होना एक स्वतंत्र और दूरस्थ कारण है, जिससे अभियोजन अभियुक्तगण के कृत्य और साक्ष्य की करबद्ध श्रृखलां अविच्छिन्न नहीं रही है। अतः जहाँ तक मुख्तार मलिक

के लिए अभियुक्तगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 302/304 भा.द.सं. के अंतर्गत आपराधिक दायित्व अभियोजन संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर सका।

80. समस्त अभियुक्तगण द्वारा जो कृत्य किया गया है उससे यह नहीं माना जा सकता कि उन्होने लापरवाही पूर्वक किया हो, बल्कि उन्होने आहतगण को जान से माने के सआशय से पथराव किया है। ऐसे में तकनीकी रूप से जब अभियुक्तगण के बारे में अभियोजन द्वारा यह संदेह से परे सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घातक हथियारों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया और उनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया तो ऐसी स्थिति में तकनीकी रूप से नहीं माना जा सकता कि उक्त कृत्य अर्थात पत्थर फैकना लापरवाही रूप से कृत्य किया हो। अतः तकनीकी रूप से अब अभियुक्तगण को अपराध धारा 302 सपठित धारा 149 भा.द.सं. में पत्थर फैकने को जान से मारने की नियत से जोड़कर एक ही समग्र घटना का पूरक माना गया है तो ऐसी स्थिति में तकनीकी रूप से अपराध धारा 336 भा.द.सं. में दोषसिद्व घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

81. जैसा उक्त विवेचन, विश्लेषण से यह स्पष्ट हो गया है कि चश्मदीद गवाहो की साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ है कि पीड़ित पक्ष एवं चश्मदीद गवाहान मौके पर बोट लेकर गए थे, दूसरा अभियुक्तगण पक्ष घटना स्थल पर पहले से ही मौजूद था, पत्थरबाजी शुरू हुई उसके पश्चात अग्नेय शस्त्रो से फायरिंग हुई, उक्त भगदड़ में बोट डूब गई, मृतक और अन्य व्यक्ति जिसमें अन्य चश्मदीद साक्षीगण भी शामिल है पानी में गिर जाने से कुछ व्यक्ति तैरकर बाहर निकल गए। यहाँ पर मूल घटना (कोर) पूरी तरह से संबंद्ध है। यद्यपि चश्मदीद गवाहो के बयानों में कुछ मामूली असंगतिया है तथापि समग्र रूप से सभी गवाहो के कथनों का समग्र अवलोकन किया जाए तो इससे यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित होता है कि अभियुक्तगण की ओर से पत्थर बाजी के उपरान्त अग्नेय शस्त्रों से फायरिंग की गई और उस फायरिंग से ही भगदड़ मची, जिससे नाव डूब गई। जहाँ तक गवाहों के बयानों में असंगतिया का प्रश्न है तो उक्त असंगतिया स्वभाविक है क्योकि घटना रात के समय, अचानक एवं

तनावपूर्ण परिस्थितियों में घटित हुई। जहाँ तक अभियुक्तगण की पहचान का प्रश्न है तो प्रकरण में यह निर्विवाद स्थिति है कि पीड़ित पक्ष और अभियुक्तगण के बीच में मछली के ठेके को लेकर विवाद विद्यमान था और पीड़ित पक्ष एवं अभियुक्त पक्ष दोनों ही उक्त मछली के ठेके को अपने पास रखने में रूचि रखते थे, जिससे उक्त घटना का मोटिव (Motive) उत्पन्न हुआ और जिसमें प्रतिबद्वता इस स्तर तक पहुँची कि अभियुक्त पक्ष अग्नेश शस्त्रो को लेकर दूसरे पक्ष को जान से मारने के लिए तैयार हो गया। उक्त परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्तगण की पहचान में कोई वास्तविक एवं मजबूत संदेह उत्पन्न नहीं होता है। एफ.एस.एल.रिपोर्ट फायरिंग की संपुष्टि करती है एवं पोस्ट मार्टम रिपोर्ट डूबने से मृत्यु होने की पुष्टि करती है। यहाँ पर न्यायालय के विन्रम मत में अभियुक्त पक्ष आक्रामक एवं मजबूत स्थिति में था। घटना में चश्मदीद साक्षीगण की उपस्थिति चूंकि वह सभी एक ही नाव व घटना मे मौजूद है, इसलिए उनकी प्राकृतिक रूप से उपस्थिति स्वभाविक एवं घटना स्थल से प्रत्यक्षतः संबंधित है। अतः चश्मदीद साक्षीगण पी.ड.6 शकील मोहम्मद, पी.ड.10 शफीक मोहम्म्द, पी.ड.11 सलमान और पी.ड.12 विजय कुमार की सुसंगत और विश्वसनीय साक्ष्य से यह संदेह से परे सिद्व होता है कि अभियुक्तगण द्वारा किए गए आक्रामक कृत्य के परिणामस्वरूप नाव डूबने की घटना घटित हुई, जिससे मृतक कमल किशोर की मृत्यु डूबने से हुई। अग्नेय शस्त्रो का प्रयोग मृत्यु होने की प्रबल संभावना का ज्ञान स्पष्ट करता है, जिससे डूबने से मृत्यु होना अभियुक्तगण के कृत्य का प्रत्यक्ष एवं स्वभाविक परिणाम जिससे साक्ष्य की (करबद्व श्रृखला) अभियुक्तगण के कृत्य पत्थर बाजी और फायरिंग से आरम्भ होकर मृतक कमल किशोर की मृत्यु तक अविच्छिन्न रही है से स्थापित होती है। चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार मृतक कमल किशोर की मृत्यु का कारण डूबने से उत्पन्न श्वास अवरोध बताया गया है। यद्यपि मृतक के शरीर पर घातक अग्नेय शस्त्रो का उल्लेख नहीं है यद्यपि यह तथ्य अभियोजन के कथनों के विपरीत नहीं है।

82. जहाँ तक अभियुक्तगण रियासत खान पुत्र अब्दुल शौकत और कदीर पुत्र बशीर का प्रश्न है तो उक्त अभियुक्तगण का नाम किसी भी चश्मदीद गवाह द्वारा अपने बयानों में नहीं लिया गया है। यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का विश्लेषण, विवेचन किया जाए तो उक्त अभियुक्तगण के विरूद्व कार्यवाही जैसे गिरफ्तारी इत्यादि धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना जो उक्त अभियुक्तगण से प्राप्त की गई जिसमें उक्त अभियुक्तगण द्वारा पत्थर फैकने के स्थान की तस्दीक किया जाना जाहिर किया और उसके आधार पर तस्दीक घटना स्थल तैयार किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त अभियुक्तगण के विरूद्व कोई साक्ष्य नहीं है, उनसे कोई बरामदगी भी नहीं है। दूसरे शब्दो में कहा जाए तो इस तरह की साक्ष्य जो उक्त अभियुक्तगण के विरूद्व एकत्रित की गई है वह पुलिस द्वारा ली गई संस्वीकृति की परिभाषा में भी आता है ऐसा कहा जा सकता है, जिसके आधार पर उक्त अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता अभियोजन संदेह से परे साबित नहीं कर सका है।

83. अतः उक्त समग्र विश्लेषण एवं विवेचन से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण **1. अब्दुल बंटी, 2. राजा उर्फ वसीम अहमद 3. सैफू खां** के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 302/149 भा.द.सं. एवं अपराध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट **4. शौकत** के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 302/149 भा.द.सं. एवं अपराध धारा 3/30 आर्म्स एक्ट एवं अभियुक्तगण **5. तनवीर 6. अब्दुल कालू खान 7. अब्दुल रऊफ 8. घीसू उर्फ सलाम, 09. घासू खां 10. लियाकत 11. अब्दुल शफीक उर्फ नंदू उर्फ अब्दुल शरीफ** को अपराध अंतर्गत धारा **302/149** भा.द.सं. एवं अभियुक्त **12. मोहम्मद शफीक उर्फ वजीर** के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 5/25 आर्म्स एक्ट प्रमाणित करने में सफल रहा है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्व अपराध अंतर्गत धारा **336** भा.द.सं. प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण **1. रियासत खान** पुत्र अब्दुल शौकत, उम्र 23 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड (राज.) **2. कदीर** पुत्र बशीर, उम्र 40 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड

(राज.) के विरूद्व अपराध अंतर्गत धारा **147, 148, 302 या 302/149, 336 भा.द.सं.** साबित करने में असफल रहा है।

<u>आदेश</u>

84 अतः अभियुक्तगण **1. अब्दुल बंटी** पुत्र अब्दुल हाफिस, उम्र 35 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड (राज.)**2. सैफू खां** पुत्र अब्दुल हाफिस, उम्र 45 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड (राज.)**3. राजा उर्फ वसीम अहमद** पुत्र अब्दुल हकीम, उम्र 32 साल, निवासी किशनपुरा आतरी, पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़, जिला झालावाड (राज.) के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा **302/149 भा.द.सं. एवं धारा 3/25 आर्म्स एक्ट 4. शौकत** पुत्र अब्दुल हाफिस, उम्र 51 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड (राज.) के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा **302/149 भा.द.सं. एवं धारा 3/30 आर्म्स एक्ट 5. अब्दुल शफीक उर्फ नंदू उर्फ अब्दुल शरीफ** पुत्र अब्दुल लतीफ उम्र 65 साल निवासी कांसखेड़ली, 6.**अब्दुल कालू खान** पुत्र अब्दुल हाफिस, उम्र 44 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड (राज.) 7. **अब्दुल रउफ** पुत्र अब्दुल शरीफ, उम्र 33 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड (राज.) 8. **तनवीर पुत्र नजीर**, उम्र 37 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड (राज.) 9. **घीसू उर्फ सलाम** पुत्र जहीर, उम्र 54 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड (राज.) 10. **घासू खां** पुत्र नजीर, उम्र 43 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड (राज.) **11. लियाकत** पुत्र अब्दुल शौकत, उम्र 29 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड (राज.) के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा **302/149 भा.द.सं.** एवं अभियुक्त **12 मोहम्मद शफीक उर्फ वजीर** पुत्र मोहम्मद सुलेमान उर्फ बादशाह, उम्र 57 साल, निवासी वार्ड नं.19 रहमानिया स्कूल के पास सुकेत जिला कोटा ग्रामीण (राज.) को अपराध अंतर्गत धारा **5/25 आर्म्स एक्ट**. में **दोषसिद्व** और अभियुक्तगण सभी को अपराध धारा 336 भा.द.सं. में **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

85 अभियुक्तगण **1. रियासत खान** पुत्र अब्दुल शौकत, उम्र 23 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड (राज.) **2. कदीर** पुत्र बशीर, उम्र 40 साल, निवासी कांसखेड़ली, पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड (राज.) को अपराध अंतर्गत धारा **147, 148, 302 या 302/149, 336 भा.द.सं. में संदेह** का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(नरेन्द्र मीणा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

<u>दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई</u>

86. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर लोक अभियोजक को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

87. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। उक्त अभियुक्तगण में अभियुक्त राजा उर्फ वसीम गिरफ्तार होकर लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है तथा लम्बे समय से विचारण की यंत्रणा भुगत रहा है। अभियुक्त के परिवार में कोई भी अन्य कमाने वाला सदस्य नहीं है। अन्य अभियुक्तगण भी विचारण की यंत्रणा काफी समय से भुगत रहे है तथा न्यायिक अभिरक्षा मे भी काफी समय तक रह चुके है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रुख अपनाते हुए अभियुक्त को कम से कम सजा से दण्डादिष्ट किया जावे।

88. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण के उक्त तर्कों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्वेश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्व का गठन किया तथा गन इत्यादि से फायरिंग की जिसके परिणामस्वरूप नाव पल्टी खा गई जिससे कमलकिशोर की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई तथा अन्य आहत के छर्रे की चोटे लगी ऐसे आरोपी व्यक्तियो के प्रति नरमी का रूख अपनाए जाने पर समाज में गलत सन्देश जाने की सम्भावना पूर्णतया प्रबल हो

जाती है। अन्त में अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

89. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

90. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा **कमलकिशोर** की हत्या कारित की गयी है। न्यायालय के विनम्र मत में आपराधिक विधि का उद्देश्य समाज को सुरक्षित करना एवं अपराधियों में भय व्याप्त करवाना है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **(1980)2 SCC 684 बच्चनसिंह बनाम पंजाब राज्य एवं (1983) 3 SCC 470 मच्छीसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मृत्युदण्ड केवल विरल से विरलतम मामले में ही दिया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण न्यायालय के विनम्र मत में विरल से विरलतम मामले के परिक्षैत्र में आना दर्शित नहीं होता है, न ही ऐसी कोई आपवादिक परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसमें कि अभियुक्तगण को मृत्युदण्ड की सजा दी जावे। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा **302/149 भा.द.सं.** के अपराध में मृत्युदण्ड के स्थान पर **आजीवन कारावास** के दण्ड से एवं धारा **3/25, 5/25, 3/30** आर्म्स एक्ट में निम्नानुसार दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

91. अतः अभियुक्तगण **अब्दुल बंटी, राजा उर्फ वसीम अहमद, सैफू खां** को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है-

क्र.सं.	दोषसिद्ध अपराध	दण्ड	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड
1	302/149 भा.द.सं.	आजीवन कारावास	20,000/-रुपये	06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास
2	3/25 आर्म्स एक्ट	02 वर्ष का साधारण कारावास	5,000/-रुपये	दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास

92. अतः अभियुक्तगण **अब्दुल शफीक उर्फ नंदू उर्फ अब्दुल शरीफ, अब्दुल कालू खान, अब्दुल रऊफ, तनवीर, घीसू, घासू खां एवं लियाकत** को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है-

क्र.सं.	दोषसिद्ध अपराध	दण्ड	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड
1	302/149 भा.द.सं.	आजीवन कारावास	20,000/-रुपये	06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास

93. अतः अभियुक्त **शौकत** को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है-

क्र.सं.	दोषसिद्ध अपराध	दण्ड	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड
1	302/149 भा.द.सं.	आजीवन कारावास	20,000/-रुपये	06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास
2	3/30 आर्म्स एक्ट	06 माह का साधारण कारावास	2,000/-रुपये	एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास

94. अतः अभियुक्त **मोहम्मद शफीक उर्फ वजीर** को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है-

क्र.सं.	दोषसिद्ध अपराध	दण्ड	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड
1.	5/25 आर्म्स एक्ट	07 वर्ष का साधारण कारावास	5,000/-रुपये	दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास

95. उपरोक्तानुसार उक्त अभियुक्तगण का सजा वारन्ट तैयार किया जावे। इस प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अन्वेषण, जाँच एवं विचारण के दौरान पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि को धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रावधानान्तर्गत उसकी मूल सजा में समायोजित की जावे। सभी सजाए साथ-साथ चलेगी।

96. अर्थदण्ड की सम्पूर्ण राशि जमा होने पर उक्त राशि में से **मृतक कमल किशोर के आश्रितो** को धारा 357(1)(ख) द.प्र.सं. के प्रावधानान्तर्गत बतौर क्षतिपूर्ति अपील अवधि की समाप्ति के पश्चात 1,00,000/- रूपए (एक लाख रूपए)अदा की जावे।

97. प्रकरण में संबंधित पुलिस स्टेशन/कार्यालय के मालखाने में पडी जप्तशुदा सामग्री (जो भी हो) का निस्तारण सामान्य नियम (सिविल/आपराधिक)2018

के अनुसार/नियमानुसार अपील अवधि समाप्त होने के बाद या अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन किया जाएगा।

98. धारा 365 दं.प्र.सं. के अधीन हस्तगत मामले के निष्कर्ष एवं दण्डादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़ को प्रेषित की जावें।

99. धारा 363 दं.प्र.सं. के अनुसरण में अभियुक्तगण को उक्त निर्णय एवं दण्डादेश की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

(नरेन्द्र मीणा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

100. निर्णय आज दिनांक **28.04.2026** को पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षररित किया गया।

(नरेन्द्र मीणा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

सेशन प्रकरण सं. **123/2024**
राज. राज्य बनाम **अब्दुल बंटी** वगैरह

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

खेमचन्द कश्यप

स्टेनो ग्रेड- प्रथम

नोटः यह प्रतिलिप प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।